खण्ड-117, अंक-2
मंगलवार, 16 पौष, शक संवत् 1874
(6 जनवरी, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 117 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ६ जनवरी, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज़ इमाम, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराऊल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल , श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
काली चरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर , श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीका राम, श्री
डल्ला राम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसी राम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री

दातातराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम , श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय , श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
नेक राम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पाती राम श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री

भुदयाल , श्री
फतेह सिंह, राणा, श्री
प्रफूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुसमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
विशम्भर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद, श्री
बैजू राम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भवगती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन मिश्र, श्री
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद , श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल , श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजा राम, श्री
राजा राम किसान, श्री
राजा राम मिश्र, श्री
राजा राम शर्मा, श्री

राधा कृष्ण अग्रवाल, श्री
राधा मोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर शर्मा, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास सलगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्व नाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भरनाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री

शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद , श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद , श्रीमती
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवा राम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह , श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री
होती लाल दास, श्री

उद्योग मंत्री श्री हुकुम सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले की अदालतों में दफा १०७ और १४५ के मुकदमें

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या न्याय मंत्री बता सकते हैं कि आजमगढ़ जिले की अदालतों में इस वर्ष दफा १०७ और १४५ के कितने मुकदमे चल रहे हैं और कितनों के निर्णय हो चुके हैं?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)— आजमगढ़ जिले की अदालतों में दफा १०७ और दफा १४५ के १,२४५ मुकदमें चल रहे हैं। अब तक १,४३७ मुकद्दमों का निर्णय हो चुका है।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन २,६८२ मुकदमों में से कितने मुकदमे दफा १०७ के हैं?

श्री सैयद अली जहीर—दफा १०७ में ६०९ मुकदमे हैं।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री को ज्ञात है कि तीन-तीन साल की अपीलों और मुकदमों का निर्णय नहीं हुआ है।

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मुकदमों के फैसलों में तीन-तीन साल तक देरी क्यों हुई?

श्री सैयद अली जहीर—दो मुकदमें ऐसे हैं जिनके फैसले तीन साल से ज्यादा के हो गये हैं और ४२ अपीलें भी ऐसी हैं। दो मुकदमों में देरी होने की वजह यह है कि पेट्रोल कूपन्स के मामलों का चालान हुआ और उसमें सी० आई० डी० के आफ़िसर काम कर रहे हैं। तहकीकात में उनको बहुत देर लग गई। जब मुकदमे चले तो कभी तो मैजिस्ट्रेट साहब को फुर्सत नहीं थी और कभी निगरानी होने की वजह से रोकना पड़ा और बहुत सी बातें हो गईं लेकिन मैजिस्ट्रेट ने यह रिपोर्ट दी कि १५ दिन के अन्दर फैसला हो जायगा। ४२ अपीलें ऐसी हैं जिनके फैसले तीन साल से ज्यादा के हो गये हैं। इसकी वजह भी यह है चूंकि कानून बदल रहा था लिहाजा इस वजह से उनमें देर हुई और उम्मीद है कि ये सब मुकदमें और जितनी अपीलें हैं उनका फैसला जल्दी हो जायगा।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री बता सकते हैं कि आजमगढ़ जिले की अदालतों में कुल कितने मुकदमें कितनी अदालतों में हैं?

श्री सैयद अली जहीर—आजमगढ़ जिले में ८,११४ मुकदमें १२ अदालतों में चल रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १०७ के मुकदमें जल्दी फैसला करने के लिये सरकार की ओर से कोई आदेश जारी किया जा [illegible] है?

श्री सैयद अली जहीर—इसकी कोई जरूरत नहीं मालूम होती। उन लोगों को खुद इसका ध्यान है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय न्याय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के जिले में एस० डी० ओ० लोग तहसीलों में चले गये हैं, तो १४५ और १०७ के मुकदमें कौन लोग देख रहे हैं।

श्री सैयद अली जहीर—जो एस०डी० ओ० लोग हैं वे हफ्ते में एक दिन अमूमन सदर में आकर मुकदमे वगैरह का फैसला करते हैं और बहरहाल इसका इन्तजाम हो रहा है। इसकी वजह से जहां तक हो सका है काम रुका नहीं है।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १४५ के मुकदमें जितने हैं उनके फैसले १३५९ फसली के ऐक्ट के मातहत होंगे या उस तरह होंगे जैसे समरी प्रोसीजर होता है?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो कानून की बात है। गालिबन माननीय सदस्य भी इसे मालूम कर सकते हैं।

एकाउण्टेण्ट जनरल की भेजी हुई आडिट पार्टी द्वारा कौंसिल (सेक्रेटियट) के हिसाब की जांच

*४—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या न्याय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कौंसिल (सेक्रेटेरियट) के हिसाब की जांच करने के लिये एकाउण्टेण्ट जनरल के यहां से कोई आडिट पार्टी बुलायी गयी थी?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आडिट पार्टी क्यों बुलायी गई थी?

श्री सैयद अली जहीर—यह हिसाब जांच करने के लिये बुलायी गई थी।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतलायेंगे कि हिसाब जांच करने के लिये लेजिस्लेचर के शुबहात पर जो यह पार्टी बुलाई गई थी वह शुबहात किस नेचर के थे?

श्री सैयद अली जहीर—कोई खास वजह तो कम से कम मुझे मालूम नहीं है अगर पूछा जाय तो मैं दरियाफ्त करके बतला सकता हूं।

*५—श्री भगवान सहाय—क्या इस आडिट पार्टी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक कापी मेज पर रखने की कृपा करेंगी?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, पर जनहित में आडिट रिपोर्ट का सदन के मेज पर रखा जाना उचित नहीं प्रतीत होता।

*६—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ ८७ पर]

नशा बन्द क्षेत्रों में मादक वस्तुओं की दुकानें

*७—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि शराब, गांजा, भांग इत्यादि की दुकानें सरकार की तरफ से उन जिलों में खुली हैं जहां नशा खोरी बंद है यदि हां, तो क्यों?

श्री सैयद अली ज़हीर—जी हां।

यूनाइटेड प्राविन्सेज इण्टाक्सीकेंट रूल्स, १९४७ ई० के अन्तर्गत परमिट रखने वालों के लिये इन्तजाम करना गवर्नमेंट का कर्त्तव्य है।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि परमिट कैसे लोगों को और क्यों दिये जाते हैं?

श्री सैयद अली ज़हीर—इस वक्त मुझको जबानी याद नहीं है लेकिन इसके लिये कायदे बने हुये हैं और उन कायदों के मुताबिक ही परमिट दिये जाते हैं।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जिले में नशाखोरी रोकने के लिये एक्साइज इन्सपेक्टर हैं या पुलिस को अख्तियार दिये गये हैं।

श्री सैयद अली ज़हीर—इन दोनों को ही अख्तियार है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर नशाबन्दी है वहां पर पुलिस का ज्यादा अख्तियार हैं और जहां पर नशाबन्दी नहीं है वहां पर एक्साइज इन्सपेक्टर की जिम्मेदारी ज्यादा है।

श्री परमेश्वरी राम (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में गांजा, चरस, शराब वगैरह बन्द है वहां पर चौहद्दी के जिलों में खुलने की वजह से पहले की अपेक्षा अब अधिक मात्रा में यह चीजें बिक रही हैं?

श्री सैयद अली ज़हीर—यह इत्तिला तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है ऐसा नहीं हो रहा है।

इटावा ज़िले में रिहन्द नदी के पुल से डाक बंगले तक बेमरम्मत सड़क

*८—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में बेला से किशनी जाने वाली सड़क पर विधूना में रिहन्द नदी के पुल से डाक बंगले तक बाई पास बन जाने के कारण तहसील से डाक बंगले तक तीन फर्लांग सड़क बेमरम्मत पड़ी है?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जी हां, किन्तु बाई पास के कारण नहीं।

*९—श्री गजेन्द्र सिंह—क्या यह तीन फर्लांग का टुकड़ा पी० डब्लू० डी० के अधिकार में नहीं है? यदि है, तो इसकी मरम्मत क्यों नहीं हुई?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं, यह सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इटावा के अधिकार में है और इसकी मरम्मत का भार बोर्ड पर है।

श्री गजेन्द्र सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि बोर्ड इस टुकड़े की मरम्मत इस वजह से नहीं करा रहा है कि चूंकि उसने इसे पी० डब्लू० डी० को दे रखा है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह टुकड़ा पी० डब्लू० डी० को नहीं दिया गया था, इसको छोड़ कर बाक़ी हिस्सा पी० डब्लू० डी० के पास था लेकिन यह टुकड़ा हमेशा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ही पास रहा है।

श्री गजेन्द्र सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसके ऊपर जो पेड़ हैं वह पी० डब्लू० डी० के क़ब्जे में हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी बात की ठीक-ठीक इत्तला मेरे पास नहीं है। हो सकता है कि माननीय सदस्य की बात ठीक हो।

वैधानिक पुस्तकों का हिन्दी में उल्था कराने की मांग

*१०—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या यह सही है कि अनेकों अधिनियम, विधि तथा विधान उत्तर प्रदेश राज्य में अंग्रेजी में प्रचलित हैं ? क्या सरकार इनका उल्था हिन्दी में कराने की कार्यवाही शीघ्र ही करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, अधिनियमों आदि का उल्था (translation) हिन्दी में कराने के संबंध में यह सरकार विचार कर रही है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि इस मसले पर कितने दिनों से विचार हो रहा है और कितने दिनों में उल्था कराने का विचार है ?

श्री सैयद अली जहीर—इस पर विचार तो १० फरवरी, सन् १९५० ई० से ही शुरू हुआ था कि जब से हिन्दी यहां की जबान मानी गयी। बहुत से क़ानून सेंट्रल गवर्नमेंट या केन्त्रीय सरकार के हैं लिहाज़ा सोचा जा रहा है कि तर्जुमा सेंट्रल गवर्नमेंट से कराना है या प्रवेशीय सरकार को कराना है।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि किसी अधिनियम का तर्जुमा अभी हुआ भी है ?

श्री सैयद अली जहीर—इस तारीख के बाद जितने अधिनियम हाउस में आये वह सब हिन्दी जबान ही में आये।

श्री भगवानदीन मिश्र (जिला बहराइच)—जो अधिनियम पहले से अंग्रेजी में हैं उनमें जो संशोधन आ रहे हैं, उनके लिये वह अंग्रेजी से हिन्दी में कब तक किये जायंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—इस सिलसिले में बहुत कुछ काम हो रहा है लेकिन इसमें पहली चीज यह है कि एक ऐसी वाकेबुलेरी बन जाय जिसमें तमाम टेक्निकल टर्म्स की हिन्दी हो सके, यह काम चल रहा है लेकिन अभी तकमील को नहीं पहुंचा है जब वह मुकम्मल हो जायगा तो ज्यादा वक्त तर्जुमे में नहीं लगेगा।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि कोश बनाने के काम के समाप्त होने की कब तक आशा की जा सकती है ?

श्री सैयद अली जहीर—ठीक तो नहीं बताया जा सकता लेकिन कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द वह तैयार हो जाय।

*११—श्री श्रीचन्द—यदि हां, तो सरकार इस कार्य को कब तक सम्पन्न करा सकेगी?

श्री सैयद अली जहीर—यह अभी ठीक नहीं कहा जा सकता कि यह कार्य कब तक पूरा हो सकेगा।

चन्द्रप्रभा बांध पर हाथियों द्वारा मिट्टी दबाने का कार्य

*१२—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चन्द्रप्रभा बांध पर मिट्टी दबाने का काम हाथियों से लिया जा रहा है ? यदि हां, तो प्रत्येक हाथी पर दैनिक व्यय क्या पड़ता है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी हां, चन्द्रप्रभा बांध पर मिट्टी दबाने के लिये हाथियों का उपयोग किया जा रहा है। १० रुपया प्रति दिन प्रति हाथी पर व्यय होता है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चन्द्रप्रभा बांध पर इस समय कितने हाथी काम कर रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—निश्चित संख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ५,६ हाथी जरूर काम कर रहे हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी (जिला गोंडा)—मशीनों के जरिये काम लेने से अब कितने आदमी बेकार हो चुके हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह प्रश्न तो नहीं उठता इसलिये कि काम करने के लिये आदमियों की कमी है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जहां यह काम हो रहा है वहां काफ़ी आदमी बेकार हैं और अगर उन्हें बुलाया जाय तो काम पर आ सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—बावजूद कोशिश करने के आदमी कम मिल पाते हैं। यदि माननीय सदस्य कुछ प्रबंध कर दें कि आदमी मिल सकें तो हमारा विभाग कृतज्ञ होगा।

श्री गेंदा सिंह—वहां जो लोग काम करते हैं उन्हें मजदूरी क्या दी जाती है और इसकी सूचना सब लोगों को दी गयी है, या नहीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मजदूरी का बंधा हुआ रेट है और मेरा ख्याल है कि १।। रुपये से लगाकर २।। रुपये तक पहुंच जाती है और इस पर लोग काम करते ही रहते हैं।

श्री भगवान दीन मिश्र—हाथी द्वारा और आदमियों द्वारा काम कराने में किसमें आर्थिक कमी पड़ती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हाथियों द्वारा काम सस्ता पड़ता है।

*१३—**श्री नागेश्वर द्विवेदी**—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बांध की मिट्टी दबाने में जो साधन अब तक काम में लाये जाते थे उनमें तथा हाथियों से काम लेने में आर्थिक और मजबूती की दृष्टि से क्या-क्या अन्तर पाया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मिट्टी दबाने का कार्य निम्नलिखित ३ विधियों से हो सकता है तथा अब तक होता रहा है :—

(१) मनुष्यों द्वारा दुर्मुट तथा हाथ से चलाने वाले बेलनों की सहायता से,

(२) हाथियों द्वारा, और

(३) यंत्रों द्वारा चलने वाले बेलनों से।

मनुष्यों द्वारा मिट्टी दबाने का काम उतनासंतोष जनक नहीं होता, जितना कि हाथियों अथवा यंत्र चालित बेलनों द्वारा होता है। सब से अधिक संतोषजनक मिट्टी दबाने का काम यंत्र चालित बेलनों द्वारा होता है। यंत्र चालित बेलनों द्वारा दबाई हुई मिट्टी अधिक अच्छी तथा विश्वास करने योग्य होती है। किन्तु यह साधन उपलब्ध न होने पर हाथियो द्वारा किया हुआ काम भी संतोषजनक कहा जा सकता है। कुछ समय में मिट्टी दबाने का काम जहां तक मशीनें मिल सकती हैं उन्हीं से लिया जाता है।

आर्थिक दृष्टिकोण से, सब से सस्ता साधन यंत्र चालित बेलनों का है, दूसरा साधन हाथियों का है और सब से अधिक मंहगा और निम्नकोटि का साधन मनुष्यों द्वारा काम करने का है।

*१४—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—[२० जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

जौनपुर की कुछ सड़कों को पी० डब्लू० डी० के अन्तर्गत रखने की आज्ञा

*१५—श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के कलेक्टर ने प्रान्तीय सरकार को इस आशय की कोई चिट्ठी भेजी है कि जौनपुर जिले की कुछ सड़कें पी० डब्लू० डी० के अन्तर्गत ही रक्खी जायं ? यदि हां, तो वह सड़कें कौन-कौन सी हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। सड़कों के नाम यह हैं:

१—शाहगंज से खुटान, बदलापुर व सुजानगंज होते हुये मुंगराबादशाहपुर तक।

२—प्रतापगढ़ जिले की सीमा से सुजानगंज, मछलीशहर, मरियाहूं, जलालपुर, थाना गद्दी होते हुये केराकत, बनारस सड़क तक।

३—बख्शा महराजगंज प्रतापगढ़ सड़क।

कप्तानगंज से कठकुइयां रेलवे तक पक्की सड़क की आवश्यकता

*१६—श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि कप्तानगंज से कठकुइयां रेलवे के उत्तर के, देवरिया जिले के भाग में कोई पक्की सड़क ऐसी नहीं है जिसके द्वारा बरसात के महीने में यात्रा की जा सके ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह हिस्सा कितने मील लम्बा चौड़ा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी सूचना अभी तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो दे दी जायगी।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय निर्माण मंत्री जी यह बताने की मेहरबानी करेंगे कि क्या सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना है जिससे इस हिस्से के यातायात में सुविधा हो ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस हिस्से में तीन सी० सी० ट्रैक्टस बनने थे। केन कमिश्नर ने कोई प्रायोरिटी उनको नहीं दी। अर्थ वर्क कराया जा रहा है, कुछ हो भी गया है, बाक़ी शायद इस साल हो जायगा।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय निर्माण मंत्री को यह मालूम है कि जो सी० सी० ट्रेक्ट्स बनाये जा रहे हैं उससे पड़रौना खड्डा के बीच का हिस्सा नहीं जुड़ता ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, नहीं जुड़ता। जो योजना है वह मैंने आपको बतला दी है।

*१७—श्री गेंदा सिंह—[२० जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*१८—२०—श्री सत्यासिंह राणा (जिला टेहरी गढ़वाल)—[२० जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*२१—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—[५ जनवरी, १९५३ ई० को संख्या २५ के अन्तर्गत इस प्रश्न का उत्तर दिया गया।]

*२२—श्री भगवान दीन मिश्र—[२० जनवरी, १९५३, के लिये स्थगित किया गया।]

*२३—श्री रामलखन (जिला बनारस) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ ८७ पर।]

मुरसान परगना, तहसील हाथरस (अलीगढ़) में सिंचाई के लिये नल कूप की योजना

*२४—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरसान परगना, तहसील हाथरस के खेतों की सिंचाई के लिये ट्यूब-वेल तथा नहर बम्बों आदि की कोई योजना बन रही है ? यदि हां, तो वह कब से आरम्भ हो सकेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुरसान परगना में सिंचाई के लिये कोई नई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है । इस परगने के एक बड़े भाग में नहरें हैं जिनसे सिंचाई होती है ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस इलाके की कितनी भूमि पानी की सिंचाई के बिना रह जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—सरकार ने तस्लीम किया है कि वहां पानी की अधिक आवश्यकता है, तो क्या सरकार वहां शीघ्रातिशीघ्र ट्यूबवेल्स बनाने की कृपा करेगी

श्री कमलापति त्रिपाठी—उत्तर में कहा गया है कि मुरसान परगने में ट्यूबवेल बनाने का प्रश्न ही विचाराधीन नहीं है।

*२५—श्री नंदकुमार देव वाशिष्ठ—क्या यह सच है कि इस तहसील में सिंचाई के बम्बों, रजवहों तथा नालियों का पानी टेल तक नहीं पहुंचने के कारण खेत सिंचाई से वंचित रह जाते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नहर के अन्त तक पानी न पहुंचने की कोई शिकायत सरकार के पास नहीं है। इस तहसील में पानी की बड़ी मांग है, इसलिये अधिकारियों द्वारा इस बात की पूरी देख-भाल रहती है कि पानी का वितरण उचित प्रकार से हो । यदि वहीं कोई स्थानीय शिकायत होती है, तो अधिकारियों द्वारा उसकी तुरन्त जांच की जाती है ।

आजमगढ़ जिले में सिंचाई के साधन

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार की तरफ से आजमगढ़ जिले की कोई सर्वे कराई गयी है जिससे प्रकट हो सके कि किन-किन भागों पर सिंचाई के लिये कौन-कौन से साधन उपलब्ध तथा उपयोगी हो सकेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आजमगढ़ जिले में कुछ निरीक्षण कार्य किया गया है जिससे यह मलूम हुआ कि घोसी तथा मोहम्मदाबाद तहसीलों के क्षेत्र नल कूप के लिये उपयुक्त हैं। जिले के दूसरे क्षेत्रों में निरीक्षण कार्य प्रगति पर है अतः इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि कौन सा क्षेत्र नलकूप तथा दूसरे साधन के लिये उपयुक्त है।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि फूलपुर लालगंज में धान ही अधिकतर पैदा होता है जिसकी सिंचाई नलकूपों द्वारा नहीं हो सकती?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, यह सही है, जहां धान का क्षेत्र है वहां पूरी सिंचाई नलकूपों से नहीं हो सकती।

श्री सत्यानन्द (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां ट्यूबवेल्स बनाने की बात नहीं सोची जा रही है उन क्षेत्रों में वहां की नदियों, तालों को जिनका सर्वे पहले हो चुका है, सिंचाई के काबिल बनाने की बात पर सरकार विचार कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, इसी दृष्टि से निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उस क्षेत्र में जहां कि आपने बतलाया कि फूलपुर और लालगंज तहसील में नलकूप नहीं हैं, तो इस वक्त वहां सिंचाई का क्या साधन नयी योजना के मुताबिक उपलब्ध करने का विचार गवर्नमेंट कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि सुविधा और साधन के अनुसार जिस क्षेत्र में भी उपयुक्त योजना होगी वह चलायी जायगी। आजमगढ़ जिले में पिछले साल में कुछ बन्धियां बन गयी हैं और कुछ बन्धियों का कार्य भी हो रहा है। उनका सर्वे भी इसी दृष्टि से हो रहा है कि जिन स्थानों पर नलकूपों से काम नहीं चलेगा उन स्थानों के लिये कौन सी उपयुक्त योजना लायी जाय। इसी दृष्टि से हम सर्वे भी करा रहे हैं और जैसे जैसे रिपोर्ट आवेगी, सुविधा और साधन के अनुसार, वैसे-वैसे सरकार उन योजनाओं को लेती चलेगी।

*२७—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले में सिंचाई के बहुत कम साधन उपलब्ध हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*२८—श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)—[१५ जनवरी, १९५३ के लिये संख्या ३४के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नैनीताल में मल्लीताल—तल्लीताल रोड को सरकारी प्रबन्ध में लेना

२९—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को मालूम है कि भीमताल, जिला नैनीताल के निवासियों ने मल्लीताल से तल्लीताल तक स्वयं श्रमधन द्वारा मोटर रोड़ के हेतु सड़क को चौड़ा कर लिया है? अगर हां, तो क्या सरकार इस सड़क का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने की कृपा करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जनता ने जगह-जगह पर थोड़ी बहुत सड़क चौड़ी कर ली है। सड़क पहले ही से इस विभाग के अन्तर्गत है अतः इसका प्रबन्ध अब सरकार के अन्तर्गत लेने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार भीमताल, मल्लीताल, तल्लीताल सड़क को परिवहन परिचालन के लिये खोलने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी तक जिस शक्ल में यह सड़क है, वैसी ही है। नयी कोई योजना उसमें नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जिस प्रकार यह सड़क है उसे मोटर परिचालन के लिये खोलवाने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सवाल तो अभी आया नहीं है। इस पर विचार किया जायगा।

विनायक-चांफी रोड (जिला नैनीताल) का निर्माण

*३०—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को सूचित किया गया है कि चांफी, अलचोना, घिघराती, पांडेछोड़ आदि जिला नैनीताल के निवासियों ने विनायक-चांफी रोड को मोटर रोड के रूप में परिणत करने के लिये एक तिहाई कार्य करना तय कर लिया है ? अगर हां, तो क्या सरकार बाकी दो तिहाई मोटर रोड का निर्माण करने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं, सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

लोहाघाट-धूनाघाट रोड (जिला अल्मोड़ा) का निर्माण

*३१—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि जिला अल्मोड़ा के लोहाघाट सब-डिवीजन की जनता ने लोहाघाट से धूनाघाट तक मोटर मार्ग का निर्माण किया है ? अगर हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त रोड का प्रबन्ध अपने हाथ में लेगी और साथ ही उस मोटर रोड को देवीधूरा से सरगा खेत में मुक्तेश्वर मोटर रोड से मिला देने की योजना को कार्यान्वित करने के हेतु विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—(क) जी हां, इस मोटर मार्ग का निर्माण हो रहा है। यह सूचना मिली है कि काम अभी तक पूरा नहीं हुआ।

(ख) आर्थिक संकट के कारण इस समय सरकार इस मार्ग के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने तथा देवीधूरा से सरगाखेत में मुक्तेश्वर मोटर रोड से मिला देने में असमर्थ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि लोहाघाट से धूनाघाट तक कितनी रोड अब तक बन चुकी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी सही सही तो सूचना नहीं है लेकिन इतना मालूम है कि काफी वहां की जनता में उत्साह है और काम हो रहा है। पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर उनकी मदद कर रहे हैं और उनके काम में सलाह दे रहे हैं ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार इस सड़क के निर्माण में कुछ आर्थिक सहायता भी दे रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सरकार की तरफ से टूल्स, औजार वगैरह दिये जाते हैं और हमारे इंजीनियर्स उनको सलाह वगैरह देते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार कुछ आर्थिक सहायता भी इस सड़क के निर्माण में देगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सेल्फ हेल्प के जितने काम हैं वे प्लानिंग कमेटी के जरिये होते हैं। हर जिले में प्लानिंग कमेटी को ग्रांट दे दी गयी है। वे जिसको चाहें हर जिले में प्राथमिकता दे सकती हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को यह मालूम है कि अब तक जनता जितनी सड़कें बना चुकी है अगर उसका प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में नहीं लेगी तो उनका उत्साह भंग हो जायगा?

श्री अध्यक्ष—यह माननीय सदस्य स्वयं समझ सकते हैं। इसकी नाप-तौल आप ही जानते हैं।

* * * *

गाजियाबाद से नयी देहली तक की सड़क

*६—**श्री रामचन्द्र विकल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गाजियाबाद से नयी देहली को सड़क द्वारा मिलाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—गाजियाबाद नई देहली से नेशनल हाई वे द्वारा मिला हुआ है।

* * * *

बनारस जिले में नवीन सड़कों का निर्माण

*२३—**श्री रामलखन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रोड प्रोग्राम के प्रथम फेज में बनारस जिले के प्रत्येक तहसील में कितने मील नयी पक्की एवं कच्ची सड़कें बन रही हैं और वे कौन-कौन सी सड़कें हैं?

श्री गिरधारी लाल—माननीय सदस्य की मेज पर एक सूची रख दी गयी है जिसमें यह सूचना दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५५ पर)

अतारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले में सिंचाई की नवीन सुविधायें

१—**श्री बाबूनन्दन**—क्या यह सच है कि जौनपुर जिले में सिंचाई के लिये (tube wells) तथा नहर सरकार बनवाने जा रही है? यदि हां, तो जिले के किन-किन तहसीलों में और उनकी क्या संख्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। नहर सारदा की एक शाखा प्रतापगढ़ जिले की मुसाफिरखाना और पट्टी तहसीलों में होकर जौनपुर तक बढ़ाई जा रही है। यह शाखा सई और गोमती नदियों के बीच के क्षेत्र की २०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई करेगी। इसके अतिरिक्त २० ट्यूबवेल भी जौनपुर जिले में बनाये जा रहे हैं। इन कुओं का स्थितिकरण किया जा रहा है इसकी रिपोर्ट आने पर ही स्थान के संबन्ध में निर्णय किया जा सकेगा।

---

†उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५२

‡खंड ६ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब हम उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर विचार जारी रखेंगे।

---

†२ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

‡५ जनवरी, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कम्पलसरी वोटिंग का जहां तक संबंध है वह चीज चाहे जितनी अच्छी हो फिर भी उसमें दिक्कतें काफी हैं और जो हमारा पोलिटिकल काशसनेस का स्टैन्डर्ड है उसको देखते हुये अभी यह प्रिमेच्योर, कब्ल अज वक्त, है। जो मिसालें दी गई थीं और जो माननीय रामनारायण जी ने दी थीं वह स्वीडेन और स्विटजरलैंड की मिसालें थीं। स्विटजरलैंड में एक खास बात तो यह है कि उसकी आबादी बहुत थोड़ी है लेकिन उसके अलावा शायद माननीय रामनारायण जी को पता हो कि जिस जमाने की किताब का उन्होंने हवाला दिया है उस जमाने में स्विटजरलैंड की औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। सिर्फ पुरुषों को था और यहां पर हमने शुरू से स्त्रियों और पुरुषों, दोनों को ही वोट देने का अधिकार दिया है। यहां पर बहुत सी स्त्रियां परदा करती हैं और बहुत सी चीजें करती हैं। तो यहां पर परसुयेशन से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा तादाद में आयें और आरही हैं और आगे आशा है कि ज्यादा से ज्यादा आयेंगी लेकिन उसको कम्पलसरी बना देना यह कहां तक मुनासिब है यह सोचने की बात है। स्वीडेन एक छोटा सा मुल्क है। उसकी आबादी से हमारे प्रदेश की आबादी ९ गुनी है। वहां सड़सठ और अड़सठ लाख की आबादी है। वहां की हालत काफी अच्छी है, उनकी आर्थिक अवस्था भी बहुत ज्यादा अच्छी है। मैंने इन मुल्कों को खूब देखा है और मैं कह सकता हूं कि वहां के गरीब से गरीब आदमी की मिनिमम वेजेज मैंने कहीं पांच सौ रुपये से कम नहीं पाई वहां पर काफी खुशहाली है कहीं चले जाइये गांवों में दूर तक वहां पर रेडियो सेट, टेलीफोन, मेटल्ड सड़कें यह सब चीजें आपको मिलती हैं और कन्वीनियेंस भी काफी हैं। तो उन लोगों को जो सहूलियतें हैं वह अभी हमें प्राप्त नहीं हैं। हमारे यहां काफी कठिनाइयां हैं। शिक्षा और विद्या का भी वहां पर काफी प्रचार है और वह आप जानते हैं। तन्दुरुस्ती भी वहां के लोगों की काफी अच्छी है। वहां ऐवरेज लाइफ सड़सठ या अड़सठ साल पहले थी, अब कुछ और बढ़ गई होगी और इसलिये उन मुल्कों की जो कि सैकड़ों वर्षों से तरक्की करते करते इस अवस्था पर पहुंचे हैं मिसाल देना उचित नहीं है और स्वेडेन की तो तरक्की का एक विशेष कारण यह भी है कि पिछले डेढ़ सौ वर्षों से वहां पर, और मैं १४१ साल कहूं १८१२ से वहां आजतक कोई लड़ाई नहीं हुई यानी स्वेडेन किसी लड़ाई में शरीक नहीं हुआ। वे पोलिटिकली बढ़ते चले गये, एकनामिकली, और सोशली सब तरीके से तरक्की करते चले गये। ऐसे छोटे छोटे मुल्कों की मिसाल ले कर आज अगर हम तमाम चीजों को अपने यहां लागू करते जायं तो यह कहां तक मुनासिब होगा यह सोचने की बात है। जब कम्पलसरी वोटिंग हम रखेंगे तो उसका मतलब यह भी होगा कि जो वोट देने न आयें उनको सजा दी जाय और सजा का जिक्र उन्होंने किया था कि कुछ दिनों के लिये उनको राय देने का अधिकार न दिया जाय और यही उनकी सजा मान ली जाय। यहां तक कि दस वर्ष तक राय देने का अधिकार न हो। इसका अर्थ यह है कि इतना बड़ा एलेक्शन, इतना बड़ा एलेक्टोरेट, और इतनी संख्या यहां उसी की दिक्कत है। फिर एक नई लिस्ट रखें कि इन एलेक्टर्स में किसी को एक साल किसी को दो साल के लिये निकालें। फिर यह भी रखें कि कौन एक साल में खत्म होता है और कौन दो साल में खत्म होता है। फिर एलेक्शन पेटीशंस में यह सब लिस्टें आयेंगी कि इस तरीके से जो एलेक्शन हुआ था वह एक हफ्ते के लिये पोस्टपोन हो गया। ताकि जो ओरिजनल तारीख थी उस पर राय देने का अधिकार नहीं था, और एक हफ्ते के बाद जो तारीख थी उसमें राय देने का अधिकार था इसपर वकील लोग बहस कर रहे हैं कि अधिकार था या नहीं था। मैं तो कहता हूं कि पहले वोटर्स लिस्ट को ही मुकम्मल कर लें और पूरे संतोष से चुनाव करायें बजाय इसके कि इतने बड़े प्रतिबन्ध लगा दिये जायं जिसमें एक बड़ी दिक्कत हो। इसलिये यह बहुत परेशानी की चीज है। और देश आज इसके लिये तैयार है या नहीं मैं इस बहस में न पड़ कर उसकी दिक्कतों को मैं समझता हूं और मुझे अफसोस है कि मैं इसको मान नहीं सकता। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि रामनारायण जी फिलहाल वापस ले लें तो अच्छा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, कल इस संशोधन को उपस्थित करते हुये मैंने पार्लियामेंट और यू० पी० की असेम्बली के वोटरों के आंकड़े दिये थे और मैंने बतलाया था कि सिर्फ ३९ फीसदी लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया। अध्यक्ष महोदय, आज कल की दुनिया बहुत सी बातों के झगड़े में पड़ कर कितनी पेचीदा होती चली जा रही है यह किसी से छिपा नहीं है। ऐसी हालत में मुल्क के अधिक से अधिक प्रतिशत लोगों को वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिये ताकि वे ऐसे उम्मीदवार चुनें जो सही मानी में जनता की नुमाइन्दगी कर सकें। इनमें बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि काफी शिक्षित और समझदार हैं। उनकी राय से, अगर जो मौजूदा सिस्टम है उसको कम्पल्सरी वोटिंग में परिणत कर दिया जाये तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है और जो देश और समाज के हित में बहुत बड़ा कदम होगा। इन्हीं मेरी भावनाओं का स्वेडेन के प्रोफेसर रिडाल्फ हेलेन ने बड़े सुन्दर शब्दों में चित्रित किया है कि कौन कौन से लोग हैं जो कम्पल्सरी वोटिंग में वोट डालने आयेंगे। उन्होंने लिखा है :—

"The non-voters——the 'election shirkers' or 'election strikers'—are divided into certain psychologically defined groups : the pessimists, who do not find it worth while to register their vote, the optimists, who believe that all goes well without their help, the timid, who do not want to offend anybody by taking sides in politics, the high-principled, who cannot agree wholly with any party, and therefore, remain outside politics, altogether, the sensitive who are disgusted with the political scramble the indifferent of various categories."

अध्यक्ष महोदय, इतने लोग हैं जो कम्पलसरी वोटिंग न होने से से वंचित रह जाते हैं अगर माननीय स्वशासन मंत्री ने जरूर उन बातों की तरफ इशारा किया है कि ऐसी प्रणाली में, वोटिंगमें भाग न लेने वालों की सजाओं की बहुत लम्बी लिस्ट हो जायगी और माननीय स्वशासन मंत्री को यह भी आशंका है कि वह लिस्ट एलेक्टर रोल से भी बढ़कर हो जायगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं माननीय स्वशासन मंत्री का ध्यान रेलवे की जंजीर खींचने की सजा की तरफ दिलाना चाहता हूं। अगर उसके आंकड़े इकट्ठे किये जायं तो बहुत कम होंगे, हज़ारों में एक आधा शायद हो। वहां एक एग्जेम्पलरी फाइन पचास रुपये का रख दिया गया है। इसी तरह से कोई बड़ा जुरमाना रख सकते हैं। और मैंने यह भी कहा था कि उसमें छुट्टी लेने की भी व्यवस्था कर दी जाय। अगर किसी को कोई खास काम है तो वह छुट्टी ले सकता है। मैं नहीं चाहता कि खामखाँ लोगों को परेशान किया जाय। लेकिन मेरा निश्चित मत है कि बहुत कम केसेज इस किस्म के आयेंगे। जहां तक दस साल के लिये डिस्फ्रेंचाइज करने की बात है उसे मैंने उन डिफाल्टर्स के लिये कहा था जो बार बार, कई मरतबा वोट न देने आयें, तो तीन चार बार के बाद तब दस साल के लिये डिस्फ्रेंचाइज कर दिया जाना चाहिये। लेकिन मामूली मामूली केसेज में मामूली मामूली सजा मुकर्रर की जा सकती है। उनका ट्रायल किया जा सकता मैंने कल माननीय स्वशासन मंत्री से यह निवेदन किया था कि यह हमारी प्रदेश की जनता के लिये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी और इस प्रदेश की इस बात में शोहरत होगी कि यू० पी० के स्वशासन मंत्री, माननीय मोहनलाल गौतम ने कम से कम इस देश में कम्पल्सरी वोटिंग को इंट्रोड्युस किया और दूसरे प्रदेश इससे सबक लेंगे। तो कम से कम वह इसकी महत्ता को तो समझते ही हैं और उन्होंने खुद ही कई बार कहा है कि जब तक इंसान की जिन्दगी है और मिनिस्टर की जिन्दगी है तो उसमें जिम्मेदारीयाँ और रेस्पांसिबिलिटीज तो रहेंगी ही। तो यह भी रेस्पांसिबिलिटी है कि ६० परसेंट और लोग राय दे सकें जिससे और अच्छे ढंग से लोग चुने जा सकें और टाउन एरियाज की व्यवस्था ठीक हो सके। आबादी का जिक्र करते हुये स्वयं मंत्री महोदय ने कहा था कि बेल्जियम, स्वेडन और स्विटजरलैंड इत्यादि मुल्कों की आबादी कम है। मैं असेम्बली का वक्त इन बातों पर खराबी नहीं करना चाहता, बल्कि मैं यह चाहता हूं कि टाउन एरियाज में यह एक्सपेरिमेंट किया जाय और टाउन एरियाज का रकबा इतना होता है कि वोटर को एक दो फर्लांग ही वोट देने

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

के लिये जाना पड़ता है। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इससे एनकरेजिंग रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे तो उस समय हम इस पर सोच सकते हैं कि म्युनिसिपैलिटीज, असेम्बली, कौंसिल और पार्लियामेंट में भी यह व्यवस्था लागू की जाय।

इन शब्दों के साथ मैं स्वशासन मंत्री से दरख्वास्त करता हूं कि वह इस पर पुनः विचार करें और एक यूनीक एक्सपेरिमेंट करने का क्रेडिट लें।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर मेरे नाम से कोई फारमूला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में निकल जाय और उसके लिये मैं विशेष कर रामनारायण जी को बहुत धन्यवाद दूंगा और शायद जिन्दगी भर उनको याद रख सकूं। लेकिन सवाल यह है कि कहीं ऐसा न हो कि रामनारायण जी का प्रपोजल मेरी सब कोशिशों के बावजूद भी नाकामयाब हो और उससे कुछ बदनामी हम दोनों की हो जाय, इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा उनसे कि अभी और थोड़े दिन इन्तजार करें। मुझे शायद मौका मिले तो साल दो साल में, अगर मैं यहां रहा, तो हम दोनों आगे कुछ करेंगे अगर मेरा नाम अमर इस तरह से हो गया तो मुझे बड़ी खुशी होगी उनसे कोआपरेट करने में। इन शब्दों के साथ मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इसको वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष—क्या आप अपना संशोधन वापस लेते हैं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—अगर वापस ले लेते तो मैं समझता हूं कि आपका नाम अमर हो जाता।

प्रश्न यह है कि खंड ६ द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 6-A के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"Provided that elections for the first two trems of the committee will be held on the basis of compulsory adult vote."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित कर रहा हूं—

खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा 6-D को धारा 6-D की उपधारा (1) के रूप में पुनरांकित किया जाय, और तत्पश्चात निम्नलिखित नयी उपधारा (2) बढ़ा दी जाय—

"(2) When an area is declared to be a Town area under section 3, the first committee thereof shall, as far as may be, be constituted in accordance with the provisions of this Act relating to general election to a Committee."

माननीय, इसके विषय में तो विशेष निवेदन करने की जरूरत है नहीं, केवल यह एक जानने की चीज है। मैं समझता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा 6-D को धारा 6-D की उपधारा (1) के रूप में पुनरांकित किया जाय, और तत्पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (2) बढ़ा दी जाय—

"(2) When an area is declared to be a Town Area under section 3, the first Committee thereof shall, as far as may be, be constituted in accordance with the provisions of this Act relating to general election to a Committee."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं—

खंड ६ के अन्तर्गत प्रस्तावित नयी धारा 6-F की उपधारा (5) को बदल कर इस प्रकार पढ़ा जाय—

(5) "No person shall vote at any election if he is convicted for an offence involving moral turpitude."

यह साफ है और मैं समझता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है। मारल टरपीच्यूड के आफेंस में जिस किसी को भी सजा हुई हो उसको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिये और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आगे एक दूसरी जगह आ रहा है और मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य उस समय तक इन्तजार करेंगे जिस समय कि उसे हम मंजूर करेंगे। मैं समझता हूं कि इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—कहां पर आ रहा है।

श्री मोहनलाल गौतम—यह अमेंडमेंट नं० ५४ जो है इसको यहां पर रख लिया है। इसलिये उसका मतलब निकल आता है।

श्री अध्यक्ष—माननीय उपाध्याय जी, आप वापस लेना चाहते हैं?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जी हां।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रतनलाल जैन (ज़िला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा 6-F की उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित प्राविजो बढ़ा दिया जाय—

"Provided that nothing in this sub-section shall apply to a person subject to detention under any law for the time being in force."

यह मैंने जो संशोधन रखा है वह पीपुल्स रिप्रिजेंटेशन ऐक्ट जो है उसके अनुसार रखा है और मैं समझता हूं कि यह बढ़ा दिया जाय तो यह हमारा जो विधेयक है टाउन एरियाज का, उसके अनुकूल हो जायगा।

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड 6-F की उपधारा (5) के पश्चात्—मैं समझता हूं कि प्राविजो शब्द भाषा के अनुसार ठीक नहीं है इसकी जगह प्रतिबन्ध कर दिया जाय—निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"Provided that nothing in this sub-section shall apply to a person subject to detention under any law for the time being in force."

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहनलाल गौतम—यह श्री जयराम वर्मा वाला अमेंडमेंट नं० ४४ जो है इसे मैं मूव करना चाहता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के अन्तर्गत प्रस्तावित नयी धारा 6-H की उपधारा (h) के प्रतिबन्ध की पंक्ति ३ में शब्द "effecting" के स्थान पर शब्द "affecting" रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के अन्तर्गत प्रस्तावित नयी धारा 6-H की उपधारा (h) के प्रतिबन्ध की पंक्ति ३ में शब्द " effecting " के स्थान पर शब्द " affecting " रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं—

"खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा 6-K की उपधारा (*a*) की पंक्ति १ में शब्द "servant of" और शब्द "the State" के बीच शब्द " a local authority" जोड़ दिये जायं।

इस संशोधन के संबंध में अध्यक्ष महोदय मुझे अधिक नहीं कहना है। इस धारा में जहां आपने प्रदेशीय और केन्द्रीय सरकार द्वारा बरखास्त किये गये सरकारी कर्मचारियों पर यह पाबन्दी लगादी है कि वह लोकल नगर पालिका या टाउन एरिया की मेम्बरी या उसकी अध्यक्षता के लिये खड़ा न हो सके, यह शर्त या यह जो पाबन्दी है यह टाउन एरिया का जहां तक प्रश्न है वहां भी लगा देना आवश्यकीय प्रतीत होता है। मुझे इस संबंध में और अधिक नहीं कहना है।

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा 6-K की उपधारा (*a*) की पंक्ति १ में शब्द "servant of" और शब्द "the State" के बीच शब्द "a local authority" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं—

खंड ६ द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 6-k की उपधारा (*c*) को बदलकर इस प्रकार पढ़ा जाय—

"(*c*) is a person having close relation in the service of a Town Area Committee, or having directly or indirectly any share or interest in contract with, by or on behalf of a Committee owning such share or interest

Explanation—close relation includes , father, grand-father, father-in-law paternal or maternal uncle, son, grand-son, son-in-law, brother or step-brother, nephew, first cousin, brother-in-law, wife, husband, daughter, sister, mother or step-mother."

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो है इसपर मैं समझता हूं कि अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं है। जो प्रतिनिधित्व का विधान हमारे देश का है उसमें इस प्रकार की गुंजाइश की गयी है कि ठेका आदि का स्वार्थ रखते हुए विधान सभा पार्लियामेंट अथवा विधान परिषदों का कोई व्यक्ति सदस्य नहीं हो सकता। इस प्रकार यदि यहां भी गुंजाइश रखी जाय तो अच्छी बात है और मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री इस पर विचार करेंगे और विचार करके इसे स्वीकार करने की मेहरबानी करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन है यह बहुत साफ नहीं है। भारतवर्ष में क्लोज रिलेशन एक बहुत विस्तृत चीज है। इसमें कौन

कौन आता है यह कहना मुश्किल ही होगा। जो दूसरे देशों की रिश्तेदारियां हैं यह फेमिली यूनिट्स हैं वे बहुत संकुचित होते हैं लेकिन भारतवर्ष में बहुत ज्यादा विस्तृत क्लोज रिलेशन्स माने जाते हैं। इसलिये क्लोज रिलेशन्स को बगैर डिफाइन किये हुये इसको यहां रख देना बहुत कठिनाइयां पैदा करेगा। दूसरी बात यह है कि इस तरह की चीजें तो देखी जाती हैं और देखी जानी चाहिये कि कोई मेम्बर अपने पद का दुरुपयोग न करे और अगर करे तो उसको रोका जाय। लेकिन इस रूप में जिसमें कि यह संशोधन है उसमें ज्यादा कठिनाई होगी इसलिये मुझे अफसोस है कि मैं इसको मान नहीं सकता।

श्री गेंदा सिंह—मेरी बदकिस्मती है कि माननीय स्वशासन मंत्री जी ने उस एक्सप्लेनेशन को शायद सुना नहीं या उनकी आंख से ओझल हो गया। नियरेस्ट रिलेशन की व्यवस्था कर दी गयी है कि इतने ही नजदीक के रिश्तेदार माने जायं। इसलिये कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। मैं फिर उनका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं। और जैसा कि वह कहते हैं कि हमारे देश में और दूसरे देशों से रिश्तेदार अधिक होते हैं तो यह तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे परिवार, हमारे देश के संस्कार ऐसे हैं कि बहुत दिनों तक हम अपने रिश्ते को ढोते हैं और रिश्ता तो मुहब्बत का जरिया होता है। यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी यहां पर उसको संकुचित कर दिया गया है और बतला दिया गया है कि इन इन रिश्तेदारों का ठेके में हिस्सा होने के बाद मेम्बर साहब मेम्बर रहने के योग्य नहीं रहेंगे। ऐसी हालत में सरकार की कठिनाई कम हो जायगी। और दूसरी बातें मैं न कह कर केवल उनका ध्यान इसी तरफ दिलाना चाहता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब मैं यह कह रहा था तो शायद माननीय स्वशासन मंत्री जी ने इसको सुना नहीं और शायद इस संशोधन को उन्होंने गौर से पढ़ा नहीं। इसलिये यदि फिर इस पर विचार कर लें तो उनकी राय कुछ दूसरी होगी, ऐसी मेरी धारणा है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वह इसको फिर देख कर अपनी राय क़ायम करें।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसको मैंने देख लिया था। इसमें "नैफ्यू" लफ्ज है। नैफ़्यू के क्या माने हैं, मेरे ख्याल में इसको अगर देखा जाय तो बड़ा विस्तृत हो जायगा। फर्स्ट कजिन में कौन-कौन आयेंगे यह देखने की बात है। फूफी का लड़का, मामा का लड़का, मौसी का लड़का, मौसी की देवरानी का लड़का फ़र्स्ट कजिन होगा या नहीं। तो यह इतनी लम्बी चौड़ी चीज है यह मेरी आंखों से ओझल नहीं थी। जहां तक थोड़ा सा संकुचित रूप में है जैसे फादर, मदर, हस्बैन्ड, वाइफ़ इस तरह की चीज को तो मैं सही समझता हूं और वह म्युनिसिपल ला में है भी। मैंने जो कहा है वह यही है कि यह इतना विस्तृत है कि इसके माने बहुत मुश्किल हो जायेंगे। मुझे मालूम नहीं कि मुसलमानों में नेफ्यू कहां तक पहुंचता है, हिन्दुओं का तो मुझे मालूम है। इसमें लिखा है कि ब्रादर-इन-ला, सन इन ला। तो सन-इन ला में भाई का जो दामाद है वह सन-इन-ला आप मानते हैं या नहीं। मेरे ख्याल में जो संस्कार होता है उसमें सन-इन-ला के पैर भी पूजे जाते हैं, कन्या दान भी दिया जाता है। जब लड़के को कन्या दान में देता है तो वह उसका सन-इन-ला नहीं है यह कैसे हो जायगा। इसलिये यह बहुत विस्तृत है और इसके मानने से बड़ी दिक्कतें पैदा हो जायंगी। इसलिये मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 6-k की उपधारा (*c*) को बदल कर इस प्रकार पढ़ा जाय—

"(*c*) is a person having close relation in the service of a Town Area Committee, or having directly or indirectly any share or interest in contract with, by or on behalf of a Committee owning such share or interest.

Explanation—close relation includes, father, grand-father, father-in-law, paternal or maternal uncle, son, grand-son, son-in-law, brother or step-

[श्री अध्यक्ष]

brother, nephew, first cousin, brother-in-law, wife, husband, daughter, sister, mother or step-mother."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री चन्द्र सिंह रावत (ज़िला गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाज़त से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा 6-k की उपधारा (*f*) के बाद निम्नलिखित उपधारा....

श्री अध्यक्ष—उपधारायें कहिये।

श्री चन्द्र सिंह रावत—अध्यक्ष महोदय, मैं उपधारायें (जी,) (एच) और (आई) को पेश नहीं करना चाहता हूं। सिर्फ उपधारा (जे) को पेश करना चाहता हूं और इसको (*g*) के नाम से रख दिया जाय—

(*g*) "has been sentenced to imprisonment for a term exceeding six months or to transportation for contravention of any order made under Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946, or the U. P. Control of Supplies (Temporary Powers) Act, 1947, or for an offence which is declared by the State Government to imply such moral turpitude as to render him unfit to be a member, or has been ordered to furnish security for good behavior in consequence of proceedings taken under section 109 or 110 Cr. P. C., 1898, such sentence or order not having been subsequently reversed or remitted or the offender pardoned."

अध्यक्ष महोदय, सदन को मैं स्मृति दिलाना चाहता हूं कि यह वही अमेंडमेंट है जो माननीय पंत जी ने इस सदन में उपस्थित किया था और जिसमें सदन के सभी माननीय सदस्यों ने एक मत से अपनी अनुमति इस अमेंडमेंट को प्रदान की थी। जहां तक इस अमेंडमेंट का प्रश्न है। इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं कि जो लोग बुरे चरित्र के हैं और जो सजा पा चुके हैं और जो समाज का अनहित करते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति टाउन एरिया कमेटीज़ में मेम्बरशिप या प्रेसीडेंटशिप के लिये एलीजीबिल होने के लिये यह बाधा उपस्थित करदी गई है ताकि इस किस्म के लोग हमारी टाउन एरिया कमेटीज़ जैसी संस्थाओं में भाग न ले सकें और जो डर ऐसे लोगों के मेम्बर हो जाने से है उसको हम दूर करना चाहते हैं। इसी ध्येय से मैं इसको पेश करता हूं और मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री चन्द्रसिंह रावत के संशोधन में थोड़ा सा संशोधन पेश करना चाहता हूं। इस संशोधन की उपधारा (ज) की पहली पंक्ति में शब्द "imprisonment" के बाद शब्द "or fine" बढ़ा दिये जायं तथा शब्द "for a term exceeding 6 months" निकाल दिये जायं। यदि मेरा संशोधन स्वीकार हो जाता है तो वह इस प्रकार से होगा—

(*g*) "has been sentenced to imprisonment or fine or to transportation for contravention of any order made under Essential Supplies (Temprary Powers) Act, 1946, or the U. P. Control Supplies (Temporary Powers) Act, 1947, or for an offence it is declared by the State Government to imply such moral turpitude as to render him unfit to be a member of has been ordered to furnish security for good behaviour in consequence of proceedings taken under section 109 or 110 Cr. P. C. 1898, such sentence or order not having been subsequently reversed or remitted or the offender pardoned."

अध्यक्ष महोदय, इसमें जो प्राविजन श्री चन्द्र सिंह जी ने रखा है उसमें कहा गया है कि जिन लोगों को "Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946 or the U. P. Control of Supplies (Temporary Powers Act,) 1947. के मातहत ६ महीने से ज्यादा की सजा हुई है उनको उम्मीदवारी से एक्सक्लूड कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, यह उचित नहीं है। इसलिये कि अगर किसी को दोनों कानूनों के मातहत सजा मिली है, चाहे वह जुरमाने की सजा हो या छै महीने से कम की सजा हो, लेकिन वह एक भीषण अपराध के सिलसिले में मिली है। और इसको दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि ब्लैक मारकेटिंग के लिये जिसमें व्यक्तियों और समाज का जीवन खतरे में पड़ सकता है। ऐसे लोग जो बेजा फायदा उठाकर समाज और व्यक्तियों को धोखा देते हैं। तो ऐसी सूरत में जहां तक उसूलों का सवाल है जो संशोधनकर्त्ता महोदय हैं वह तो इस बात से सहमत ही हैं कि ऐसे लोगों को मेम्बरी से एक्सक्लूड कर देना चाहिये लेकिन ६ महीने से ज्यादा ही सजा पाने वाले एक्सक्लूड किये जायं और अगर ४ महीने की किसी को सजा हो तो वह मेम्बर हो सकता है यह बात कुछ आपस में कंट्रेडिक्टरी मालूम होती है। साथ ही साथ, अध्यक्ष महोदय, आम तौर से देखने में आता है कि कभी-कभी बहुत बड़े-बड़े फाइन किये जाते हैं और सजा १ दिन की भी नहीं होती। मुझे जिला गोंडा का एक मामला याद है जिसमें २० हजार रुपये जुरमाना किया गया था लेकिन सजा एक दिन की भी नहीं तो ऐसी सूरत में उस आदमी के अपराध की भीषणता कम नहीं हो जाती। इसलिये मैं समझता हूं कि "इम्प्रीजनमेंट" के बाद "आर फाइन" रख दिया जाय और "फार ए टर्म एक्सीडिंग सिक्स मंथ्स" निकाल दिये जायं। मेरी समझ में यह संशोधन पूर्ण रूप से सदन की भावना को प्रस्तुत करेगा।

श्री अध्यक्ष—आपका संशोधन है" imprisonment or fine " रखा जाय और " for a term exceeding 6 months " निकाल दिये जायं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—हां, यही मेरा संशोधन है।

श्री अध्यक्ष—माननीय स्वशासन मंत्री, जिस तरह से संशोधन रक्खा गया है। "has been sentenced to imprisonment for a term exceeding six months or to transportation for contravention of any order made under Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946 or the U. P. Control of Suppies (Temporary Powers) Act, 1947, or for an offence which is declared by the State Government to imply such moral turpitude as to render him unfit to be a member". क्या ट्रांसपोर्टेशन वाले क्लाज में भी मारेल टर्पिट्यूड का होना जरूरी है? जिस तरह से संशोधन का कांस्ट्रक्शन है उससे यही मतलब निकलता है।

श्री मोहनलाल गौतम—"has been sentenced to imprisonment for a term exceeding six months or to transportation for contravention of any order made under Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946 or the U. P. Control of Supplies (Temporary Powers) Act, 1947, or for an offence which is declared by the State Government to imply such moral turpitude as to render him unfit to be a member" यह जो सेक्शन है कंट्रोल आफ सप्लाइज और एसेनशियल सप्लाइज वाला इसमें यह ट्रांसपोर्टेशन की सजा हो सकती है और इसी ख्याल से इसको रक्खा गया है? कांस्ट्रक्शन में अगर कोई आपत्ति आपको हो तो आप उसे ठीक करवा सकते हैं, सदन यह अधिकार आपको दे दे। इसके अलावा अगर कोई और सजा होती है तो वहां इसका इम्पलीकेशन नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष---माननीय स्वशासन मंत्री, जो संशोधन रामनारायण त्रिपाठी जी ने पेश किया है उसका भी आप जवाब दे दें।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को मैं यह याद दिलाऊंगा कि अभी चन्द दिन ही हुये जब कि यह संशोधन लफ्ज ब लफ्ज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में मान लिया गया था, वही यहां रख दिया गया है ताकि सहूलियत हो। शायद यह सदन यह न चाहेगा कि म्युनिसिपैलिटीज में तो ६ महीने सजा पाने वाले आदमी मेम्बर हो सके लेकिन टाउन एरियाज में उससे कम सजा पाने वाले आदमी मेम्बर न हो सकें। जो ब्लैक मार्केट ज्यादा बड़ा करें वह तो टाउन एरियाज में चले जायं और जो छोटा करें वह म्युनिसिपैलिटीज में चले जायं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---इसे कौंसिल में निकलवा दीजिये।

श्री मोहनलाल गौतम---मेरा ख्याल है कि यह सदन इस संशोधन को सर्वसम्मति से स्वीकार करेगा क्योंकि जहां तक मुझे याद है सदन ने और खासतौर से रामनारायण जी ने इसको स्वीकार किया था। अगर मैं यह कहूं कि रामनारायण जी ने इसमें कुछ हिस्सा लिया था और उनकी पेशकश की वजह से ही यह सदन इस नतीजे पर पहुंचा था कि इस रूप में इस संशोधन को रखा जाय तो कुछ अत्युक्ति नहीं होगी। इस प्रस्ताव का बहुत कुछ श्रेय रामनारायण जी को ही है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि जो संशोधन उनके प्रयत्न से माना गया था उसको ज्यों का त्यों जैसा कि वह म्युनिसिपैलिटी बिल में स्वीकार किया गया है वैसा ही इस टाउन एरिया बिल में भी स्वीकार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावितन यी धारा ६-k की उपधारा (*f*) के बाद निम्नलिखित नयी उपधारा (*g*) और बढ़ा दी जाय---

"(*g*) has been sentenced to imprisonment or fine or to transportation for contravention of any order made under Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946, or the U. P. Control of Supplies (Temporary Powers) Act, 1947, or for an offence which is declared by the State Government to imply such moral turpitude as to render him unfit to be a member, or has been ordered to furnish security for good behaviour in subsequence of proceedings taken under section 109 or 110 Criminal Procedure Code, 1898. such sentence or order not having been subsequently reversed or remitted or the offender pardoned."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर भवन का विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ)---

पक्ष में---२४

विपक्ष में---१६७

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा ६-k की उपधारा (*f*) के बाद निम्नलिखित नयी उपधारा (*g*) बढ़ा दी जाय---

"(*g*) has been sentenced to imprisonment for a term exceeding six months or to transportation for contravention of any order made under Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946, or the U. P. Control of Supplies (Temporary Powers) Act, 1947, or for an offence which is declared by the State Government to imply such moral turpitude as to render him unfit to be a member, or has been ordered to furnish security for good behaviour in consequence of proceedings taken under section 109 or 110 Criminal Procedure Code, 1898, such sentence or order not having been subsequently revers-ed or remitted or the offender pardoned."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि विधेयक के खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा ६-k में भाग (g) के पश्चात् निम्नलिखित नये नये भाग जोड़ दिये जायं—

"(*h*) is suffering from leprosy ; or

(*i*) is an undischarged insolvent

Provided that in cases of (*a*) and (*b*) above, the disqualification may be removed by an order of the State Government in this behalf."

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष, मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड ६ में प्रस्तावित नई धारा ६-k में भाग (g) के तत्पश्चात् निम्नलिखित नये भाग जोड़ दिये जावें—

"(*h*) is suffering from leprosy ; or

(*i*) is an undischarged insolvent ;

Provided that in cases of (*a*) and (*b*) above, the disqualification may be removed by an order of the State Government in this behalf;"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड ६ द्वारा प्रस्तावित नयी ६-k के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय (*i*)—

6-k

"Provided that in case of chairman objection to inter-caste or inter-communal dining shall be an additional disqualification."

अध्यक्ष महोदय, जब चुनाव होता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हो, चाहे टाउन एरिया का हो, और चाहे म्युनिसिपैलिटी का हो, तो एक साम्प्रदायिकता माहोल पैदा हो जाता है और हम कहने लगते हैं कि फलां जाति का है और वह फलां जाति का है, वह उसका छुआ खाता है, वह उसका छुआ नहीं खाता है, ऐसी तमाम गलत बातें प्रचार की जाती हैं। हमारी और हमारे देश की सरकार की यह राय है कि ये सांप्रदायिकता की बातें कम से कम आने दी जायं। अगर हम उसको बिलकुल खत्म नहीं कर सकते तो भी उसको ऐसे सुधारों द्वारा कम से कम कर सकते हैं। महोदय हमारे बीच में ही ऐसे आदमी हैं जो पूरे सांप्रदायिक हैं। इसलिए इस संशोधन की जरूरत आ गयी है वरना जमाना नहीं है कि इस प्रकार का संशोधन लाया जाय, मगर हम अभी पीछे पड़े हैं। इस संशोधन के द्वारा हम यह चाहते हैं कि गलत बातों को प्रश्रयन मिले, इसलिए यह जरूर रखा जाय कि जो लोग छुआछूत मानते हैं वह उक्त पद के लिये अयोग्य हैं जैसे कि और अयोग्यतायें हैं वैसे ही यह भी मानी जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटर डाईनिंग चाहे वह इन्टर कम्युनल हो या इंटर कास्ट हो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है, मैं तो बहुत दिनों से इसे एक मुनासिब चीज समझता हूं और अमल करता आया हूं और चाहता हूं कि इस पर अमल हो लेकिन दिक्कत यह आती है कि अगर यह आब्जेक्शन हो तो उसका सबूत क्या होगा? अगर वह उसके यहां खाता है तो वहां पर खाना खिलाया जाय, फिर उसी का बर्तन हो, उसी के हाथ का हो, उसी के घड़े का पानी हो, वह भी वैसा हो जैसा कि

[श्री मोहनलाल गौतम]

उसके बहां हो आदि इस तरह की चीजें पैदा होंगी। इसलिये इसका इलाज यह नहीं है कि इस पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाय बल्कि इसका इलाज यह है कि पोलीटिकल पार्टीज स्वयं इसका प्रयत्न करें। देखा यह जाता है कि पोलीटिकल पार्टीज स्वयं चुनाव के जमाने में इस ओर बह जाती हैं और यह गलती की जाती है। बड़ी से बड़ी सिद्धांत को रखने वाली पार्टियां भी वोट लेने के लिये इस ओर बह जाती हैं। मेरा इशारा किसी खास पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट पार्टी की ओर नहीं है, यह कमजोरी सब में आ जाती है। इसलिये इसका इलाज यही है कि जो पोलीटिकल पार्टीज हैं वह इस काम को करें और इस पर अमल किया जाय बजाय इसके यह प्रतिबन्ध यहां रखा जाय। इसलिये क्योंकि इसके साबित करने में मुश्किल हो जायगी मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री उमाशंकर जी द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

"Provided that in the case of Chairman objection to inter-caste or inter-communal dining shall be an additional disqualification."

श्रीमन्, यह इतना निर्दोष और नन्हा सा संशोधन, मैं समझता था कि हमारे माननीय मंत्री जी की उदारता होगी कि वे इसको कबूल करेंगे। अभी अभी माननीय मंत्री जी के मुखारविन्द से जो मुझे यह सुनने को प्राप्त हुआ कि माननीय मंत्री जी राजनीतिक दलों और सामाजिक संस्थाओं के ऊपर यह कार्य भार सुपुर्द करना चाहते हैं और सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, या जो शासन की राजनीतिक कड़ियां हैं उन राजनीतिक कड़ियों के ऊपर यह भार नहीं देना चाहते और हिन्दुस्तान में भिन्न-भिन्न जाति पांति के डाड़ बेड़ में सारा समाज बटा हुआ है वह टूटे और जो अन्तरजातीय वैवाहिक संबंध हो उसके लिये भी रास्ता साफ हो। श्रीमन्, अभी अभी प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का एक सन्देश पत्र कुछ समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला है। उसको पढ़ने के बाद तो मैं समझता था कि सरकार की जो गतिविधि होगी वह उसके मुताबिक भी कुछ चलने के लिये बाध्य होगी। प्रधान मंत्री जी ने समाचार-पत्रों में कुछ कम्युनल सिद्धांतों की चर्चा की और उसमें यहां तक भी बतलाया कि चाहे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो, या कांग्रेस पार्टी हो उसको हर तरह से कोशिश करनी चाहिये कि जो साम्प्रदायिकता का विष फैला हुआ है वह साम्प्रदायिकता का विष दूर हो। हम चाहते हैं कि इन संस्थाओं द्वारा हमारा कदम सक्रिय रूप से उठे और ऐसे सभापति के लिये जो अन्तरजातीय विवाह और अन्तरजातीय खानपान से मतभेद रखते हों तो उनको सभापति का स्थान न दिया जाय। श्रीमन्, हम तो इसके आगे भी जाना चाहते थे और यहां तक भी चाहते थे कि सरकारी नौकरियों के लिये भी इस तरह का प्रतिबन्ध रहता तो अच्छा होता। मगर इस समय तो माननीय मंत्री जी द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत है उसी विधेयक के जरिये, क्योंकि यह टाउन एरिया कमेटी से संबंधित विधेयक है और टाउन एरियाज जो हैं वे गांव पंचायतों के समान ही बुनियादी यूनिट्स हैं। तो उस बुनियादी यूनिट से इस सिद्धांत को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिये। मुझे ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है जबकि कांग्रेस-पार्टी की सरकार हो और कांग्रेस पार्टी की सरकार के एक मंत्री महोदय जो स्वशासन विभाग के इन्चार्ज हैं वे ऐसे नन्हें और निर्दोष संशोधन के बारे में अपनी हिचकिचाहट पैदा करते हों। मैं बहुत दूर न जाकर आज फिर कहना चाहता हूं उस पार्टी की सरकार के लिये, जो पार्टी जाति पांति के बन्धन को ढीला करना चाहती है, जो पार्टी चाहती है कि मानव समाज विश्व बन्धुत्व की भावना से विकसित हो, उसकी सरकार के लिये यह सही है तो क्या कारण है कि इस तरह के संशोधन से माननीय मंत्री जी इंकार करते हैं?

श्रीमन्, विधान की धाराओं के देखा जाय तो उसमें भी "Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of "out of untouchability" shall be an offence punishable in accordance with law."

तो श्रीमन् विधान की धाराओं की ओर भी यदि माननीय मंत्री जी दृष्टिपात करें तो मैं समझता हूं कि इस तरह के संशोधन को स्वीकार करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। श्रीमन्, इसी सदन में मैंने पहले भी चर्चा की थी कि अब इस तरह के संशोधन को कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता तो वह घटना जो बनारस में हुई थी जिसमें २०० ब्राह्मणों का चरणामृत लिया गया था वह एक दूसरी ही ओर संकेत करती है।

श्री अध्यक्ष—टाउन एरियाज विधेयक के अन्दर "चरण" या "चरणामृत" का क्या सवाल है?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि मैं इस सरकार की मनोवृत्ति का पर्दाफाश कराना चाहता हूं उस मनोवृत्ति का जो शाब्दिक और मौखिक कुछ और होती है और कार्यरूप में कुछ और होती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को अब सक्रिय रूप में, मूर्तिमान रूप में आगे चल कर कदम उठाना चाहिये यदि सरकार की नीति यह है, जिस पार्टी की सरकार यह बनी हुई है उसकी सरकार की नीति यह है कि समाज के अन्दर से, देश के अन्दर से जातिपाति के बन्धन छिन्न-भिन्न हों, राजकाज केवल मानवता के सिद्धान्त पर आधारित हो। उस सिद्धान्त को सामने रखते हुये जब आज इस तरह के संशोधन को नहीं माना जाता तो वह अफसोस की बात होती है। यह एक निर्दोष सा, नन्हा सा संशोधन है कि इस तरह के लोग चेयरमैन न बनने लग जायं जो इन्टर कम्यूनल डाइनिंग से परहेज करते हैं और श्रीमान् मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि जरा हम अपने दिल को टटोलें, अपने हृदय को खोलें तो हम समझ पायेंगे, कि आखिर ईमानदारी के साथ अन्तर्जातीय खानपान की ओर तो हम चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते मुझे श्रीमन् मंत्री महोदय की इस बात को सुनकर अफसोस हुआ कि वे इस संशोधन को सहर्ष स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। मैं तो समझता था कि अगर विरोधी पार्टी इस तरह के संशोधन को पेश करने में कुछ चूकती तो माननीय मंत्री महोदय खुद अपनी ओर से इस तरह का संशोधन लाने की कोशिश करते। वे अपने ओर से नहीं लाये और जब विरोधी पार्टी की ओर से ऐसा संशोधन पेश किया जा रहा है तब उसको स्वीकार करने में हिचक दिखलाई जावे यह अफसोस की बात है। जितनी प्रगतिशील पार्टियां आज देश में हैं जो जाति पाति वाली पार्टियां नहीं हैं, मजहबी पार्टियां नहीं हैं वे सब मान चुकी हैं आज की जनतांत्रिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिये ऐसा संशोधन आना आवश्यक है। तो माननीय मंत्री महोदय ऐसे निर्दोष और नन्हें से संशोधन को स्वीकार क्यों नहीं करते यह समझ में नहीं आया। श्रीमन्, इसमें एक सवाल और उठता है कि अगर हम इस तरह का बंधन टाउन एरियाज के चेयरमैन और मेम्बरों के लिये लगाते हैं तो हमें बाध्य होना पड़ेगा और अपना विभाग उसी प्रकार बनाना पड़ेगा, आज के ढांचे में तब्दीली करनी पड़ेगी, व्यावहारिक रूप में तब्दीली करनी पड़ेगी क्योंकि यह व्यावहारिक प्रश्न है। अगर साक्षात् रूप से, सक्रिय रूप से इन कदमों को उठाते हैं तब तो हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं वरना नहीं। अगर श्रीमन् मंत्री महोदय, संविधान का हवाला दे कर इस बात को कहते कि उनको स्वीकार करने में यह दिक्कत होती है तो बात समझ में आ सकती थी क्योंकि आज यह बात साफ है कि कानून का एक जंगल आज समाज के सामने फैलता चला जा रहा है और उस जंगल को साफ करने के लिये यह वर्तमान कांग्रेस की सरकार तैयार नहीं है। तब तो श्रीमन् मुझे कोई विशेष परेशानी नहीं होती यदि संविधान की अड़चन बतलाई जाती क्योंकि उसके बारे में हमारा दृढ़, निश्चित और स्पष्ट मत है कि इस सरकार द्वारा कानून का जंगल बढ़ता चला जा रहा है, वह साफ नहीं हो सकता बल्कि वह बढ़ेगा। तो वह जो इस सरकार के द्वारा कानून का जंगल बढ़ाया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष—संशोधन पर ही रहें।

श्री राजनारायण —वह जंगल भी इस संशोधन को मानने में रोकता नहीं है । तो, श्रीमन्, निहायत अदब से मैं आप के जरिये माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं कि आखिर इसके अन्दर क्या है, इंटरकास्ट आर इंटर कम्युनल डायनिंग ही तो है। हम तो आगे जाने को भी तैयार होंगे यहां तो दूसरे मजहबों के साथ खानपान का संबंध रखना चाहते हैं । चाहे इसको वेस्टर्न डेमोक्रेसी के उसूलों, की कसौटी कर कसा जाय चाहे कुछ माननीय सदस्यों के शब्दों में ईस्टर्न डेमोक्रेसी के सिद्धांत की कसौटी पर कस कर देखा जाय, चाहे भारतीय परम्परा की कसौटी पर कसा जाय तो मैं समझता हूं कि किसी भी कसौटी पर कस कर देखा जाय इस संशोधन को मानने में माननीय मंत्री जी को कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिये। इस लिये मैं अन्त में पुनः आपके जरिये माननीय मंत्री जी से सादर साग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर इतने नन्हे से संशोधन पर वादविवाद क्यों बढ़ाया जाय। इस नन्हे से संशोधन को कबूल करके सदन का समय जो सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण बराबर नष्ट हुआ करता है वह सदन का समय नष्ट न किया जाय।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी भवन के सामने श्री उमाशंकर जी ने पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं। अभी हमारे विरोधी दल के नेता ने बड़े जोरों से समर्थन करते हुये यह कहा कि यह संशोधन सरकार को स्वीकार करना चाहिये था और यह बहुत ही प्रगतिशील है। मैं तो प्रसन्न हुआ मंत्री के उत्तर को सुन कर। उन्होंने ठीक ही कहा कि जबतक जो चीज प्रैक्टिस में न लायी जा सकती हो उससे झगड़े पैदा हो सकते हों उस चीज को कानून में रखने से कोई लाभ नहीं। हमारे विरोधी दल के नेता जी ने कहा कि इस सिद्धांत को सब मानते हैं कि अनटचेबिलिटी दूर करनी चाहिये। आपस में मेल-मिलाव बढ़ना चाहिये। लेकिन वह कैसे बढ़े? इस संशोधन के द्वारा नहीं बढ़ सकता। मैं आपसे कहता हूं कि जब तक भारत वर्ष में वर्ण व्यवस्था है और जब तक हमारे यहां यह दूर नहीं हो जायगी और प्रैक्टिस में दूर नहीं हो जायगी तब तक किसी को मजबूर नहीं कर सकते किसी आदमी को कि वह हरएक के साथ खाये पिये, उठे बैठे। हमारे माननीय सदस्य ने संविधान की धारा १७ को उद्धरित किया। मैं समझता हूं कि वह यहां लागू नहीं होती। यहां पर धारा २५ आती है किसी आदमी को उसके धर्म के विरुद्ध आचरण करने को मजबूर नहीं किया जायगा। न हम मानते हैं कि आजकल के समय में हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिये। लेकिन आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। धारा २५ में मौजूद है। तो इसको देखते हुये मैं समझता हूं कि यह संशोधन नहीं आना चाहिये था।

मैं इसलिये भी विरोध करता हूं कि यह कह देना तो बहुत आसान है कि यह सिद्धांत सर्वमान्य है लेकिन मैं पूछता हूं कि उन के दल के कितने सदस्य इस पर तैयार होंगे कि वह इंटरडायनिंग करें। हमारी टाउन एरियाज़ इतनी प्रगतिशील नहीं हैं जिनके लिये यह संशोधन रखा गया है। देहात के बाद टाउन एरिया हैं। वहां के लोग इतने पढ़े लिखे अभी नहीं हैं। मैं समझता हूं कि माननीय विरोधी दल के नेता इस संशोधन को वापस ले लेंगे। और मंत्री ने इसको जो नहीं माना है इसके लिये मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—जनाब स्पीकर साहब, जहां तक इस तरमीम की रूह का ताल्लुक़ है और इसके जजबे का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूं कि अपोजिशन के नेता ने जो इसे नन्हा सा कहा है वह नन्हा सा नहीं बहुत अहम तरमीम है और अगर यह नाफिज कर दी जाय, अगर यह कानून का जुज़ बन जाय तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। जहां तक इसकी अमली दिक्कत का सवाल है वह जरूर सामने है कि अगर एक आदमी चेयरमैनी के लिये खड़ा होता है और यह उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होती है जैसा कि इसमें कहा गया है—

"Provided that in the case of Chairman objection to inter-caste or inter-communal dining shall be an additional disqualification."

अगर यह डिस्क्वालिफिकेशन उसकी रहती है तो कैसे इस पर एतराज होगा कि उसके ख़यालात किस किस्म के हैं। अगर वह रिटर्निंग आफिसर के सामने आवे और जनाब से इकरार कर लेता है कि हां मैं सब क़ौमों के साथ खा सकता हूं तो उस वक्त रिटर्निंग आफिसर देखने के लिये मजबूर नहीं कर सकता कि मुख्तलिफ कौमों को बिठलायें और सब को दावत देकर उसको साथ में बिठला कर उसे खिलायें। तो यह तो एक बेमानी चीज हो जायगी। ज़हां तक इसके जज्बे की बात है यह आपको मानना पड़ेगा कि कांग्रेस और दावे के साथ सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी जमाअत है जिसने सब से पहले हिन्दुस्तान में इस चीज को जारी किया था और कांग्रेस को ही यह हक हासिल है कि वह फख्र करे कि कांग्रेस के जो सब से बड़े आदमी थे उन्होंने ही इस जज्बे को पैदा कर दिया और हमारी जबान से ही जुर्रत के साथ इस जज्बे की बात निकल सकती है। जहां तक हमारे भाई वीरेंद्र शाह जी का ताल्लुक है उन्होंने जिस जज्बे से फरमाया है वह कुदरती है। वह तो हमेशा से इसके मुखालिफ थे, आज भी हैं और अगर यह चीज बिल्कुल हिन्दोस्तान के फेवर में तय कर दी जाय कि अगर इसको तसलीम करेंगे तो तरक्की होगी और अगर नहीं करेंगे तो बरबादी होगी तो मेरे दोस्त बरबादी और पस्ती को पसन्द करेंगे लेकिन इसके जरिये से किसी आबादी को पसन्द नहीं करेंगे। यह उनका उसूल है। उनको जो इससे तकलीफ हो रही है उस तकलीफ में मैं उनके साथ हमदर्दी का इजहार करता हूं।

अब सवाल यह रहता है कि यहां पर अमेंडमेंट हो या न हो और इन सतरों के बाद यह अमेंडमेंट रखा जाय या नहीं, इसके लिये मैं जनाबाला आपके जरिये से यह जरूर अर्ज करूंगा उन ख़यालात से इत्तफाक़ रखते हुये, जो हमारे अपोजीशन के लीडर ने इजहार फरमाये और वह निहायत ही पाक, अछूते और अच्छे ख़यालात हैं, कि जबकि आप अमली मैदान में जायेंगे, एलेक्शन लड़ने के लिये जायेंगे तो आपको इसकी दिक्कतें मालूम होंगी। न इस पर एतराज चल सकता है, न जवाब दिया जा सकता है। एक अजीब मुहमिल सी चीज हो कर रह जायगी। इस शक्ल से देहाती रकबे में से भेदभाव नहीं मिटाये जा सकते। वह जरूर रहेंगे, रिजर्व रहेंगे और इस शक्ल में सामने नहीं आयेंगे। हम भेदभाव और दूसरे जरिये से दूर करेंगे लेकिन यहां पर कोई मुनासिब नहीं मालूम होता है और कुछ फिट इन नहीं आता है।

मैं इन अल्फाज के साथ आप से यह दरख्वास्त करूंगा कि इस जज्बे के लिये चाहे कोई दूसरा कानून बना दिया जाय, कोई नान आफिशियल डेट में रेजोल्यूशन लाया जाय लेकिन यहां पर अगर इसको रखा भी जायगा और आज हमारे आनरेबिल मिनिस्टर इसको मंजूर भी कर लेते हैं तो वह मकसद हमारे अपोजीशन लीडर का हासिल नहीं होगा, जिस उम्दा और मुकद्दस भाव के साथ इस तरमीम की ताईद की है। वह चीज इस से दूर नहीं होगी, एक बंधन सा हो जायगा और लोग इसकी तरह-तरह से तावील करेंगे। तो हमारे कानून का मंशा यह नहीं होना चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा लोग तावील कर लें। असल चीज से हट कर और कानून से बचने के लिये कोशिश करें, बल्कि हम चाहेंगे कि जिनके दिल में भेदभाव भी है वह अपने भेदभाव और इख्तलाफात को दूर करें। ऐसा न हो कि उनके अन्दर एक चिढ़ पैदा हो जाय कि यह अच्छा प्रोवाइजों है। यह हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क के अन्दर यह चीज मौजूद है और एक अच्छी खासी जमाअत मौजूद है और यही हमारे मुखालिफ प्रोपेगण्डा करेंगे। एक अच्छे खासे धर्म के मानने वाले और उनकी जाति के लोगों को, ब्राह्मणों को, ठाकुरों को और वीरेंद्रशाह जी के ख़यालात के लोगों को हम अलग रखना चाहते हैं यह हमारा मंशा नहीं है। हम चाहते हैं कि वह आवें, लेकिन उसके लिये हम बाहर प्रोपेगण्डा करें और हम उम्मीद करते हैं कि कानून को बिल्कुल लग्गो बना देने के लिये इसको रख देना कुछ ज्यादा अच्छा और मुनासिब नहीं होगा।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी यह संशोधन विरोधी पक्ष की तरफ से रखा गया और इस नन्हे से संशोधन के समर्थन में अध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल को भी बोलना पड़ा और उसके संबंध में काशी की एक घटना

[श्री रामनरेश शुक्ल]

का भी वर्णन यहां करना पड़ा और साथ-साथ हमारे साथी शाहिद फाखरी साहब ने भी उसको अमली तौर पर दिक्कत देखते हुये उनसें दरख्वास्त की कि इसको वापस लें लें। अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस संशोधन का बुनियादी तौर पर विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और वह इसलिये क्योंकि मैं यह बताना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि उन्हें, संशोधन रखने वाले मित्र को, नेता विरोधी दल को इन बुनियादी बातों की तरफ भी ध्यान देना चाहिये। बुनियादी बात यह है कि क्या वह भारत के समाज का निर्माण कानून के द्वारा करना चाहते हैं अथवा प्राकृतिक ढंग पर, एक कुदरती ढंग पर जिसका कि निर्माण होना चाहिये। जहां तक अध्यक्ष महोदय, पिछली किताबों को देखा गया है, उनको देखने के बाद इस निर्णय पर हम आसानी से आ जायेंगे कि जो सुधार दुनिया के अन्दर कानून के द्वारा किये गये हैं वे सुधार भी समाप्त हो गये हैं और उन सुधारों को करने वाले इंसान और जमातें भी समाप्त हो गईं। मिसाल के तौर पर टरकी में आप ले लें। वहां पर सुधार कानून के द्वारा कमालपाशा की पार्टी ने किया और आज कमालपाशा की पार्टी का एक सदस्य उस इतनी बड़ी पार्टी का टरकी के लेजिस्लेचर में स्थान पा सका है। मैं पिछले दिनों की बात भी अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस सदन में रखना चाहता हूं। कानून के द्वारा सामाजिक और धार्मिक सुधार इस देश में बौद्ध धर्म के मतावलम्बियों ने किया। न वह शासन रहा और न वह धर्म कम से कम इस देश में है, जहां कानून का सहारा लेकर, राज्य का सहारा लेकर धर्म को पनपाने का प्रयत्न किया गया। तो अध्यक्ष महोदय,आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि वह उन कदमों के ऊपर नहीं जाना चाहते जिस पर कुछ लोग दुनिया में चलकर अपने शासन को ही नहीं उस समाज को भी आगे नहीं ले जा सके हैं। यह हमारे यहां का एक बुनियादी और एक जंचा हुआ कदम है कि सामाजिक सुधार सरकार के बाहर होता है। इसलिये गाहे बगाहे यह कोशिश करना कि इस नन्हें से संशोधन को लाकर के या बड़े से संशोधन को ला कर के सामाजिक सुधारों के करने का प्रयत्न करना मेरे विचार में खतरनाक है, देश, समाज और सरकार तीनों के लिये और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार इस कार्य को करने के लिये तैयार नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री सुल्तान आलमखां (जिला फ़रुखाबाद)—श्रीमान स्पीकर साहब जो तरमीम इस वक्त हाउस के सामने है और जिसके मुताल्लिक कहा यह जाता है कि यह छोटी सी तरमीम है लेकिन हकीकत में यह उसूली हैसियत से एक बहुत बड़ी तरमीम है। पेश्तर इसके कि इसके सिलसिले में अपनी राय का कुछ इजहार करूं मैं अगर यह बात कहता हूं तो बेजा न होगा कि संशोधन के मातहत जो चीज जो, ख्वाहिश जाहिर की गई है मैं ज़ाती हैसियत से इसका खुद पाबन्द हूं। मुझे कोई एतराज नहीं है कि किसी किस्म की कोई इंटर कम्युनल डिनर हो या इस किस्म का कोई सोशल फंकशन हो तो उसमें जाती तौर पर मुझे हिस्सा लेने में कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं यह बात जरूर समझता हूं कि जो चीज इस संशोधन के जरिये कानून के अन्दर लाई जा रही है यह कुछ सही तरीका नहीं है, इस वजह से कि सुधार, चाहे वह समाजी हो या मजहबी हो, किसी एक पीस मील लेजिस्लेशन के जरिये कभी भी पूरा हो नहीं सकता। इस संशोधन के जरिये से एक इंटर कम्युनल चीज कही गयी है और एक इंटर सोशल चीज भी कही गयी है। तो एक चीज तो इंसान की उस जिन्दगी के ऊपर लागू होती है कि जो उसके और दूसरे इंसानों के दरमियान एक रिश्ता होता है। कानून के बनाने का मकसद यह होता है कि जो इंसानों के दरमियान एक रिश्ता है उस को रेगुलेट किया जाय और उस रिश्ते का वही पहलू उसके जरिये रेगुलेट किया जा सकता है कि जो समाज से मुताल्लिक हो। लेकिन अगर उसके अन्दर कोई मजहबी बात आ जाती है तो उसके लिये कानून हमेशा नामुकम्मल रहता है और उसके जरिये से ऐसा सुधार कभी आज तक दुनिया में नहीं हुआ। जनाबवाला, यह सही है कि हिन्दोस्तान में आज भी ऐसे लोग मिल सकते

हैं कि जो इंटर कम्युनल डिनर्स में जाना पसन्द नहीं करते और मैं यह भी जानता हूं कि हमारे संविधान ने अनटचेबिलिटी को भी दूर कर दिया है और उसके खिलाफ एक जिहाद किया है लेकिन सवाल यह है कि संविधान यह कहां तक जायज करता है कि हम दूसरे लोगों को इस बात के लिये मजबूर करें कि वह आयें और हमारे साथ में बैठकर खाना खायें। अगर कोई शख्स उसको मना करता है या उसके खिलाफ प्रोपेगन्डा करता है तब तो वह एक गलत बात है, गलत चीज है। हम समाजी हैसियत से हर एक को दावत दे सकते हैं, समाजी हैसियत से हर एक से इस बात की तवक्को कर सकते हैं कि वह इन्टर कम्युनल दावत में शरीक हो, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे मुकाम पर जाने के लिये कि जहां पहुंच कर इंसान बोर्ड में बैठ कर बहैसियत चेयरमैन के वहां पब्लिक की खिदमत करेगा वहां इस बात की कहां जरूरत महसूस होती है कि वही शख्स खिदमत कर सकता है कि जो इन्टर कम्युनल डिनर में शरीक हो सकता हो। या इस किस्म की तकरीब में हिस्सा ले सकता हो। मैं आप से यह अर्ज करूंगा कि यह एक पीसमील लेजिस्लेशन है और न सिर्फ पीसमील लेजिस्लेशन है बल्कि एक पीसमील सेक्शन है जो हमें यहां लाना है। हमारे सामने बहुत से ऐसे कानून हैं जो चुनाव पर लागू हैं, पार्लियामेंट का चुनाव, असेम्बली का चुनाव, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव वहां कहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं है और न यह बात इस से पहले कभी देखी गयी। तो अगर सिर्फ टाउन एरिया बिल में इसको हम शामिल करते हैं तो इसके जरिये से कोई खास सुधार नहीं हो सकता। इसमें शक नहीं कि हमारे यहां बहुत सी बुराइयां हैं, बहुत सी कमियां हैं जिन को हमें दूर करना है। सोशल डिसैबिलिटीज को दूर करने की जरूरत है और इसी गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा हुआ सोशल डिसैबिलिटीज के रिमूअल का एक ऐक्ट पास किया है जो आजकल लागू है लेकिन मैं आप से अर्ज करूंगा कि आप गौर फरमायें तो आप यह महसूस करेंगे कि इस किस्म के क्वानीन से कभी वह नतीजा हासिल नहीं हो सकता है कि जो नतीजा हम हासिल करना चाहते हैं। हमें मालूम है कि शारदा ऐक्ट इस मुल्क में बहुत अर्सा से लागू है लेकिन शारदा ऐक्ट के क्या नतायज हुये, शारदा ऐक्ट कहां तक कामयाब हुआ इसके मुताल्लिक इस भवन में शायद दो रायें नहीं हो सकतीं। इसी सूरत से इसी गवर्नमेंट का बनाया हुआ और इसी भवन का बनाया हुआ एक सोशल डिसैबिलिटीज रिमूअल ऐक्ट नाफ़िज हो चुका है लेकिन मैं इस बात को मानता हूं और इस बात को इकरार करता हूं कि उस ऐक्ट से भी वह तमाम चीजें नहीं हो सकीं जो हम चाहते थे और जिनकी हमें तवक्को थी। अब अगर हम उससे एक कदम आगे और बढ़ेंगे और इस किस्म की रुकावट डालेंगे चेयरमैन के इन्तखाब में, तो इसका कुछ नतीजा हो या न हो, एक नतीजा तो जरूर होगा कि हमारी च्वायस जो है वह बहुत लिमिटेड हो जायगी। हो सकता है कि हमें आज बहुत बेहतर किस्म के आदमी मिल सकते हों जो चेयरमैनी के फ़ायज अंजाम दे सकें लेकिन उनमें यह डिसक्वालिफिकेशन हो कि वह इन्टर कम्युनल डिनर में शरीक न होते हों, तो मैं समझता हूं कि इस चीज की लिमिट कर देना किसी सूरत से भी मुनासिब नहीं होगा। मैं समझता हूं कि जो अमेंडमेंट पेश किया गया है और जिन साहब ने पेश किया है उनकी नीयत सही है और उन्होंने बेशक एक अच्छी बात हाउस के सामने रखी है लेकिन मैं उनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो आपके मुल्क के हालात हैं, जो इस वक्त यहां की फिजा है उसे देखते हुये यह किसी सूरत से प्रैक्टिकल नहीं है और प्रैक्टिकल न होने के साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि इस किस्म का एक पीस मील लेजिस्लेशन ले आने से इस मसले का हल नहीं हो सकता। इस खातिर से कि टाउन एरियाज के अन्दर बेहतर से बेहतर लोगों को आने का मौका मिल सके और हमारी च्वायस लिमिटेड न हो जाय इन तमाम हालात को सामने रखते हुये मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने अमेंडमेंट को प्रेस न करें।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उमाशंकर जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। जहां तक मैंने माननीय सदस्यों की राय सुनी उनकी राय सुनने से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि किस सिद्धांत पर यह संशोधन बुनियादी तौर पर खड़ा है उस

[श्री गेंदा सिंह]

संशोधन का विरोध किसी माननीय सदस्य ने नहीं किया। केवल एक माननीय रामनरेश शुक्ल जी ने बुनियादी तौर पर इसका विरोध किया है। लेकिन बुनियादी तौर पर क्यों विरोध किया है यह बतलाने की मेहरबानी उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं की। इसलिये मैं उस बात को न ले करके केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब बुनियादी तौर पर कोई बात नहीं है तो अब सोचना यह है कि व्यावहारिक कठिनाई उसमें कितनी है। सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस संबंध में प्रकट किये कि इसमें इतनी व्यावहरिक कठिनाई है कि जिसकी वजह से इस तरह का संशोधन यहां पर स्वीकार न किया जाना चाहियें। व्यावहारिक कठिनाई एक यह बतायी गई कि कानून के जरिये इस प्रकार का काम करने से अधिक लाभ नहीं होगा। कानून का जहां तक संबंध है मैं माननीय सदस्यों को आपके द्वारा यह जानकारी कराना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने बतलाया कि सोशल डिसएबिलिटीज का एक कानून पास है जिसके अनुसार कुछ लोगों को यह अधिकार नहीं है कि ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर खाना खायें और किसी को वहां न बैठने दें जिनको पहले अछूत कहा जाता था या कोई दूसरे तरह से कह कर उनको अलग रखा जाता था। तो ऐसा कानून आज कल हमारे देश में प्रचलित है और इस तरह के कानून जिनसे कुयें पर पानी भरने के लिये मन्दिरों में पूजा करने के लिये आदि-आदि की इजाजत देते हैं, हमारे प्रदेश में प्रचिलित हैं जिनके जरिये हमने कुछ ऐसे लोगों को अधिकार दिया है जिनको पुराने जमाने में वे अधिकार नहीं थे। फिर यह बात कहना कि कानून के जरिये सुधार का काम नहीं हो सकता, यह मैं माननीय रामनरेश जी की सेवा में निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कानून की मंशा यह न हो कि उससे सुधार हो तो क्या उनके कहने का अर्थ यह है कि जो कानून बनता है उसके पीछे कोई सुधार की भावना नहीं रहती है बल्कि उसके पीछे लोगों को सताने की भावना रहती है? मेरे खयाल से सुधार की भावना उसके पीछे नहीं रहती यह मैं स्पष्ट कह सकता हूं। तो फिर यह कहना कि सुधार कानून के जरिये नहीं हो सकता, यह बात मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। और मैं माननीय रामनरेश जी से भी फिर निवेदन करूंगा कि वह इस तरह की बात न कहें तो अच्छा हो।

फिर माननीय वीरेन्द्रशाह जी की दलील मेरी समझ में नहीं आयी कि वह क्यों इनकार करते हैं इस चीज से। और माननीय वीरेन्द्र शाह जी को जो उत्तर माननीय शाहिद फाखरी साहब ने दिया...

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या उत्तर दिया जरा बतला दीजिये।

श्री गेंदा सिंह—उसको बताना तो मैं समझता हूं कि माननीय वीरेन्द्रशाह जी की तौहीन करनी होगी कि मैं उनको कहूं कि माननीय शाहिद फ़ाखरी की बात ही उन्होंने नहीं सुनी।

उन्होंने बात सुनी है और सुन कर वह इतनी अच्छी लगी है कि वह फिर मेरे मुंह से उसको दोहरवा कर सुनना चाहते हैं। मैं जानता था कि माननीय वीरेन्द्रशाह जी इस तरह के संशोधन का विरोध नहीं करेंगे, ऐसा मैं समझता था। लेकिन इतने दिनों के साथ के बाद फिर इस संशोधन का उन्होंने विरोध कर के मुझे आश्चर्य में डाल दिया कि आज भी इस सदन में ऐसे लोग मौजूद हैं जो यह कहें कि सार्वजनिक स्थानों पर रहने वाले लोग छूआछूत का भी भेद रखें और उसको कायम रखने की चेष्टा करें। मैं माननीय स्वशासन मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा क्योंकि वह बात व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखती है.....

श्री अध्यक्ष—व्यक्तिगत बात नहीं होनी चाहिये। माननीय वीरेन्द्रशाह जी ने बरदाश्त कर लिया है लेकिन इसका ज्यादा जिक्र न हो तो अच्छा है। उन्होंने एतराज़ नहीं किया इसलिये इसके यह मतलब नहीं हैं कि उन पर हीका जारी रहे।

श्री गेंदा सिंह—मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय स्वशासन मंत्री जी का संबंध सुधार के कामों से बनिस्बत राजनीतिक कामों के अधिक और जो सुधार के कामों से संबंध रखते थे वह समाज सुधार से रखते थे और सम्भवतः वह किसी जमाने में आर्य समाज से बड़ी मुहब्बत रखते थे और उसके कामों से जहां तक छुआछूत को दूर करने का संबंध है उससे उनको हमदर्दी थी। व्यक्तिगत जीवन में माननीय स्वशासन मंत्री जी या जितने सदन के माननीय सदस्य यहां मौजूद हैं उनमें से बिलकुल इने गिने लोगों को छोड़ कर, मेरी यह धारणा है कि कोई माननीय सदस्य ऐसे नहीं होंगे जो छुआछूत के मामले में जो कांग्रेस की नीति है उससे इत्तिफाक न करते हों।

मुझे याद है कि सन् १९४१ ई० में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह का एलान हुआ था तो हम लोगों से पर्चे भरवाये गये थे और उसमें यह शर्त लगाई गई थी कि जो कोई छुआछूत या साम्प्रदायिकता में विश्वास करते हैं वह इस सत्याग्रह में शामिल नहीं हो सकेंगे। मैं कैसे यह विश्वास करूं कि सदन में कोई ऐसे माननीय सदस्य होंगे जो इस छुआछूत में विश्वास करते हों।

दूसरी बात मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह पीसमील लेजिस्लेशन कहा जाता है और यह कहा जाता है कि इस तरह के टुकड़े-टुकड़े कानून बनाने से कुछ काम नहीं होने वाला है तो क्या मैं यह समझूं कि माननीय सुल्तान आलम खां का यह विचार है कि यह सदन बैठकर छुआछूत को दूर करने के लिये कोई विस्तार का कानून बनाकर और उसके लिये क्या वह सरकार को राजी करेंगे कि वह विस्तार के साथ कोई कानून बनाकर अपने देश तथा प्रदेश से छुआछूत को दूर करने का प्रयत्न करे। हम तो कायल हैं कि यह पीसमील लेजिस्लेशन जो हो रहा है उससे छुआछूत का ज़हर कम किया जा सकेगा। इसमें कोई जुर्माने या कैद की सजा नहीं रख रहे हैं। अगर यह सदन मान ले तो केवल इतना ही रहा है कि सार्वजनिक स्थान पर हम चेयरमैन टाउन एरिया को चुनने जा रहे हैं तो अगर हम यह डिसक्वालिफिकेशन मान लेते हैं कि अगर वह छुआछूत के कायल हैं तो वह इस स्थान पर नहीं आ सकते हैं।

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे जो माननीय सदस्य साहब बोल रहे हैं वह छुआछूत की बात कर रहे हैं और जहां तक मैं देखता हूं संशोधन जो है वह अन्तर्जातीय भोज से संबंध रखता है। इसमें छुआछूत का कोई प्रश्न नहीं आता।

श्री अध्यक्ष—वह तो आधार इसमें इसका ले रहे हैं कि न खाने का अधिकार छुआछूत है।

श्री गेंदा सिंह—छुआछूत का अधिक महत्व खानेपीने से है। इसलिये मैं छुआछूत कह रहा था। मैं तो हिन्दी पढ़ने में माननीय कमलापति जी का अपने को शिष्य मानता हूं लेकिन छुआछूत का मैं यही अर्थ लगा रहा हूं। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि हम कोई जेलखाना या जुर्माना इस तरह का कोई दंड देने की व्यवस्था इस कानून के जरिये से करने नहीं जा रहे हैं। हम इतना करने जा रहे हैं कि जो इस तरह का विश्वास रखते हैं वह हमारे मुखिया न बनें। अगर उनको सरकार बनना मंजूर होगा तो वह हमसे इस तरह का भेदभाव न रक्खेंगे और मैं खास तौर से यह बात कहना चाहता हूं कि इससे एक दूसरा वातावरण बनेगा। यह कहा गया कि म्युनिसिपैलिटीज या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के कानूनों में इस तरह की गुंजाइश नहीं की गई तो जानबूझ कर यह गुंजाइश नहीं की गई। होना तो यह चाहिये था,

[श्री गेंदा सिंह]

यह कहने की जरूरत नहीं मालूम होती कि जितने पढ़े-लिखे लोग हैं उनमें छुआछूत की बीमारी कम हो रही है लेकिन यह बीमारी गांव में अधिक है। यह बीमारी टाउन एरियाज में भी है। ऐसी हालत में यह बीमारी जो गांवों में है उसको वहां से रफा किया जाय तो बेहतर होगा। गांव पंचायतों का जो संशोधन आने वाला है, पंचायत राज कानून उसमें माननीय स्वशासन मंत्री जी इस बात की गुंजाइश कर दें कि सभापति के लिये कोई इस बात का बंधन लगा दिया जाय। गांवों से सटे हुये गांव जैसे जो टाउन एरियाज हैं उनमें इसका एक्सपेरीमेंट किया जाय। चेयरमैन साहब को चेयरमैन बनने के लिये आवश्यकता होगी एक मर्तबा नहीं दस मर्तबा उनको इस बात को कबूल करना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा और होड़ लगेगी कि हम सबसे ज्यादा छुआछूत नहीं मानते हैं, यह डिस्क्वालिफिकेशन मानी गई तो माननीय अध्यक्ष महोदय इस होड़ में टाउन एरियाज की छुआछूत चली जायगी। इसलिये मैं माननीय स्वशासन मंत्री से पुनः निवेदन करूंगा कि इसमें कतई कोई ऐसी बात नहीं है। जिससे हमारे रास्ते में कठिनाई हो। रूल्स बनाने का अधिकार माननीय स्वशासन मंत्री को रहेगा और उसमें इस तरह की गुंजाइश कर दी जाय। इस तरह से रूल्स में सफाई कर दी जाय जिसमें आगे चलकर झंझट न हो। अंत में मैं इतना कह सकता हूं कि यह संशोधन निर्दोष तो है लेकिन महत्व का है। कद में तो छोटा है लेकिन इसीलिये माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि इसका बड़ा भारी असर है।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनः विचार करें। अब हम लंच के लिये भी जा रहे हैं और एक घंटे में, आध घंटे में माननीय स्वशासन मंत्री जी इसके ऊपर विचार विनिमय करके इसको स्वीकार कर लें तो अच्छा होगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १६ मिनट पर अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उमाशंकर—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन यहां उपस्थित था उस पर यहां काफी बहस हो चुकी। माननीय मंत्री जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि उनको कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कुछ कहा भी नहीं और कोई दिक्कत भी नहीं बताई और उन्होंने कहा कि यह काम राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं पर छोड़ देना चाहिये और यह कानून के जरिये न होना चाहिये। और उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि संशोधन तो बड़ा अच्छा है और इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। उन को इस के मानने में जो दिक्कत मालूम होती है वह मेरी नाकिस राय में यह है कि यह संशोधन उनकी पार्टी की ओर से नहीं आया है। मैं चाहता था कि यह उन्हीं की पार्टी की ओर से आता लेकिन अगर हमारी ओर से भी आ गया है तो इस में कोई हर्ज नहीं है और उन्हें इसे मान लेना चाहिय। जब वह इसमें कोई खराबी नहीं बताते हैं और इसे प्रगतिशील भी कहते हैं तो मानने में क्या हर्ज है? परन्तु उन्होंने कहा कि कई कारणों से इस को नहीं माना जा सकता। मैं उनकी इस दलील को समझ नहीं सका, जब सब लोगों ने इसको मंजूर किया है किसी ने इसका विरोध नहीं किया है केवल यही कहा गया है कि इस में जरा दिक्कत है, पर वह दिक्कत क्या है यह कोई नहीं बतलाता है। साथ ही साथ श्री राम नरेश जी शुक्ल का बुनियादी तौर पर कुछ विरोध है, उन्होंने बताया कि भारतीय समाज का निर्माण कानून द्वारा नहीं हो सकता।

सवाल यह है कि अगर उनकी यह बात ठीक है तो हम लोग यहां किस लिये आ कर बैठे हैं, आखिर हम लोग कानून ही तो बनाते हैं और कानून के द्वारा ही हम लोग सुधार समाज में लाना चाहते हैं। हमारा काम यही है कि चोरी करने वाले का सुधार किया जाय यह हमारे दिमाग में आया तो हमने उसके लिये कानून बना दिया। इस तरह से हम रोज ही कानून बनाने का काम करते हैं और कोई काम हमारा यहां नहीं है। लेकिन हमारे श्री रामनरेश जी ने कहा कि कानून की कोई जरूरत नहीं है और उन्होंने हवाला भी दिया कि कानून के द्वारा जो सुधार हुये हैं वह सब खत्म हो गये हैं। उन के कहने के अनुसार हमारा यहां रहना बेकार है हमें चाहिये कि हम लोग सीधे सुधार का काम करें। एक तरफ तो हम कानून बना रहे हैं और दूसरी तरफ बहस के लिये कहा जाता है कि कानून के द्वारा जो सुधार हुये हैं वह सब खत्म हो गये हैं। उन्होंने कहा कि बुद्ध धर्म में कानून के द्वारा सुधार किये गये थे और वह धर्म खत्म हो गया। मेरा ख़याल तो यह है कि बुद्ध धर्म ही दुनिया में सब से ज्यादा फैला है और ज्यादा दिनों तक कायम रहा है और मेरा ख़याल तो यह है कि वह खत्म नहीं हुआ है और आज जितने धर्म अपने को प्रगतिशील मानते हैं वह सब बुद्ध धर्म की ही देन हैं। यह तो सभी मानते हैं कि यह दुनियां प्रगतिशील है और हम बदलते रहते हैं। जिन को बैकवर्ड या पिछड़ा हुआ कहा जाता है उन्हीं की देन से हम आगे बढ़े हैं और हम आज इस बदले हुये रूप में अपने को पाते हैं पहले हम कपड़ा नहीं पहनते थे या खराब कपड़ा पहनते थे लेकिन उस खराब कपड़े से ही प्रगति कर के आज अच्छा कपड़ा पहनते हैं और बनाते हैं। इसलिये यह कहना कि बुद्ध धर्म कानून के द्वारा फैलाया गया था इसीलिये वह खत्म हो गये। मेरी नजर से यह बात तक सरासर गलत है। हम में से ज्यादा तर लोग कांग्रेस के सिपाही रह चुके हैं और जब तक हम कांग्रेस में थे तब तक हम आदतन खद्दर पहनते थे और हम यह कहते थे कि हम छुआछूत को नहीं मानते हैं लेकिन बड़े दुःख की बात है कि आज इस भवन में आने के बाद हम कहने लगें कि हमें कानून के द्वारा सुधार नहीं लाने चाहिये। पहले हम कहा करते थे कि जब हमारा राज्य होगा तब भारतवर्ष में मानव-मानव एक समान रहेगा। कोई छूत-छात नहीं होगी। मगर जब एक इस तरह का संशोधन और वह भी उस आदमी के लिये जो कुर्सी पर बैठेगा आता है तो उसको माना नहीं जाता, यह बात मेरी समझ में नहीं आती, कहीं कोई चाय पार्टी हुई या यूगोस्लाविया का डैलीगेशन आगया और वहां कोई हरिजन भी हुआ तो चेयरमैन साहब उठकर भाग गये कि हम नहीं उसके साथ चाय पीते तो बतलाइये कि वह यूगोस्लाविया का डैलीगेशन वहां जाकर क्या कहेगा कि हिन्दोस्तान कितना प्रगतिशील है?

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मैं एक इन्फारमेशन माननीय सदस्य से चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—जब तक वह बैठ न जावें आप नहीं बोल सकते।

श्री उमाशंकर—हम प्रगतिशील होना और साम्प्रदायिकता को दबाना चाहते। जब इस तरह का संशोधन आया तो कहा गया कि हम कुछ कारणों से इसे नहीं मानते हैं। तो वे कारण दूर होने चाहियें।

श्री शिवनारायण—मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने गांव में प्रैक्टिली कितना काम इस तरह का किया है कि आज वह यहां यूगोस्लाविया की मिसाल दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—यह तो आपका विरोध है और इसे आप अपने भाषण में कह सकते हैं।

श्री उमाशंकर—कहा जाता है कि पढ़े-लिखे लोगों में यह बीमारी कम है। मगर जान-बूझ कर लोग इस बीमारी की दुहाई देकर कहते हैं कि वह तो अमुक जाति का आदमी है और यह कहकर उसका वह फायदा उठाते हैं।

[श्री उमाशंकर]

कई सदस्यों ने संविधान का हवाला दिया है। मैं खुद भुक्तभोगी हूं। मैं अपने एक हरिजन साथी के साथ होटल में बैठा था। होटल वाले ने उन्हें खाना नहीं दिया। मैंने जिला मैजिस्ट्रेट को लिखा तो होटल वाले को मेरे साथी से माफी मांगनी पड़ी। संविधान में ऐसा है कि किसी सार्वजनिक स्थान पर मानव मानव में कोई भेद नहीं होगा। हम लोग चमार वगैरह में जो बंटे हुये हैं इसे खत्म करना चाहिये। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने फार्म पर दस्तखत करके यह लिखवा लेती हैं कि हम छुआछूत को नहीं मानेंगे। लेकिन स्वतंत्र लोग जो बीच में आजाते हैं और वे सब कहने लगते हैं कि अरे, धर्म नष्ट हो गया। उनके लिये आप क्या कर रहे हैं?

इसलिये चेयरमैन की जगह पर हम चाहते हैं इस तरह का प्रतिबन्ध लगाकर मुल्क को ऊपर उठाना चाहिये। मौलाना साहब ने कहा कि संशोधन ठीक है मगर इसमें कई दिक्कतें हैं, यह संशोधन कहीं फिट नहीं होता, मेरी समझ में नहीं आता कि यहां हम सब लोग जो बैठे हुये हैं वे किसलिये बैठे हुये हैं? हम यहां फिट करने के लिये ही बैठे हुये हैं। अगर आप समझते हैं कि यह संशोधन ठीक है तो फिर आप संशोधन को मान क्यों नहीं लेते। एक ओर तो आप संशोधन की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि यह फिट नहीं होता है। अगर इस जगह फिट नहीं होता है तो किसी दूसरी जगह वे स्वयं ले आयें। मुझे इसका लालच नहीं है कि जिस प्रकार मैंने संशोधन रक्खा है उसी प्रकार से वह मंजूर किया जाय। मैं तो चाहता हूं कि जो साम्प्रदायिकता का विष वमन किया जाता है उसको रोका जाय। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी को अब कोई विरोध न होगा और मेरे संशोधन को मंजूर कर लेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नन्हे से संशोधन को लेकर हमारे विरोधी दल के नेता कानून के जंगल में भटक गये जिससे कन्फ्यूजन हुआ, आश्चर्य हुआ, तथा ठेस लगी। कुछ मित्रों ने इसको महान और बड़े सिद्धांतों वाला बताया। उसमें दो लाइनें हैं लेकिन परस्पर विरोधी जिस पर एक ही दल के दो मेम्बर आपस में टकराते हैं या वे पेरेलल लाइन्स हैं, जो कहीं मिलती नहीं, यह आप खुद ही फ़ैसला करें।

जहां तक मेरा व्यक्तिगत संबंध है, मेरे ऊपर विरोधी दल के सदस्यों ने बड़ी मेहरबानी की कि उन्होंने बताया कि मैं मनुष्य-मनुष्य में कोई अन्तर नहीं समझता और न खान-पान और रहन-सहन में ही भेद समझता हूं। मैं न बिरादरी में कोई भेद समझता हूं, न देश में भेद समझता हूं। जिन यूगोस्लेविया वालों का अभी जिक्र किया, मेरा उनमें एक व्यक्तिगत सहकारी भी है। अतः मेरा व्यक्तिगत रूप से इस भावना से कोई मतभेद नहीं है। सवाल सिर्फ यह है कि इसके मानी इस देश में क्या लगाये जाते हैं, हमारा देश अभी काफी पिछड़ा हुआ है, इन मानों में, हमारे देश के बहुत से लोग काफ़ी जोरों से हिस्सा लेते हैं। वे जोर देते हैं कि किस तरह का खाना खाना चाहिये और किस तरह का खाना नहीं खाना चाहिये, कौन-कौन सी चीज खाने लायक़ है और कौन-कौन सी चीजें खाने लायक़ नहीं हैं। मान लीजिये कि अगर गोश्त का ही सवाल आये तो कहा जायगा कि फलां जानवर का मांस खाना चाहिये और फलां का नहीं और मान लीजिये कि बकरे का गोश्त हो तो कहा जायगा कि इस्लामी गोश्त कैसे बनेगा और झटका कैसे बनेगा। जब इस पर बहस होती है तो बड़ी दिक्क़त होती है। कुछ दिन हुये काफ़ी बड़े-बड़े लोगों का एक डेप्युटेशन मुझसे मिला उन्हों ने इस बात पर काफी रोष प्रकट किया कि यहां के ऐडमिनिस्ट्रेटर महोदय एक ह्यमन किलर लगाने जा रहे थे। बात यह थी कि यहां जो एफ०ए०ओ० के ऐक्सपर्ट्स आये हुये हैं उन्होंने यह शिकायत की थी कि यहां का जो बूचरखाना है वह बहुत गन्दा है क्यों कि खाने की चीजों पर मक्खी बैठना अन हाईजीनिक होता है। इसलिये उन्होंने कहा कि गोश्त साफतौर से तैयार कराया जाय। हमारे यहां पहले गवर्नर साहब, सर होमी मोदी ने भी कहा कि गोश्त जहां तैयार होता है वह जगह अच्छे रूप में होनी चाहिये। ह्यमन किलर का तरीका यह होता है कि गोली मार कर जानवर को मार दिया

और उससे खून न निकले तो वह ज्यादा अच्छा होता है । लखनऊ में इसका इन्तजाम करने की जब बात चली तो बहुत बड़े-बड़े मुसलमानों का एक डेपूटेशन जिसमें एकाध हिन्दू भी शामिल थे मेरे पास आया और कहने लगा कि इस तरह से इस्लामी गोश्त हमें नहीं मिलेगा। मुसलमानों में सब से बड़ी चीज यह समझी जाती है कि जब तक गला न कटे और उसका थोड़ा बूंद खून न निकले और जानवर के मरने के पहले कलमा न पढ़ा जाय तब तक वह इस्लामी गोश्त नहीं हो सकता। उन मुसलमानों ने कहा कि अगर इस तरह से ह्यूमन किलर की मार्फत मारा हुआ गोश्त आप यहां रायज करेंगे तो आप के घर आने पर हमें पूछना पड़ेगा कि आप के घर में कैसा गोश्त बना है ताकि हम यह जान सकें कि वह इस्लामी गोश्त है या हिन्दू गोश्त है। सिक्खों का अलग गोश्त है, हिन्दुओं का अलग गोश्त है, मुसलमानों का अलग गोश्त है, जानवरों में भी इस प्रकार का तफरीक व भेद है, इस तरह की तमाम चीजें हैं। इंटर कम्युनल डिनर का एक माने यह है कि सब कोई एक मेज पर बैठ कर एक साथ खा सकें, तब तो यह ठीक है। लेकिन दूसरे माने अगर यह हों कि हर रिटर्निंग अफसर को यह अधिकार हो कि वह इस बिना पर किसी की परची रद्द कर दे कि उसने किसी के घर या साथ में खाना खाने से इंकार किया, यह ठीक नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति है, जो किसी मुसलमान के घर नहीं खा सकता है या हिन्दू के घर नहीं खा सकता है। तो ये तमाम दिक्कतें हमारे इस देश में आती हैं। अगर आप चाहें तो इसको एक दिन में नहीं दूर कर सकते हैं। उससे उत्तेजना बढ़ेगी, झगड़े बढ़ेंगे और मुसीबतें बढ़ेंगी। यह कोई आसान चीज नहीं है कि रिटर्निंग अफसर किसी के नामिनेशन पेपर को रद्द कर दे। उसके लिये एलेक्शन कमीशन है, जहां एलेक्शन पेटीशन दायर होता है और तब उसका फैसला होता है। मामूली तौर पर किसी मुसलमान के यह कहने पर कि साहब यह झटका गोश्त है इसलिये इसे मैं नहीं खाऊंगा इसलिये इसका पेपर रद्द कर दिया जाय क्योंकि वह कम्युनल खाना था और इंटर कम्युनल के लिहाज से उसे ऐसा नहीं करना चाहिये था, टाउन एरिया एलेक्शन के मामले में यह सवाल पैदा करना मैं ठीक नहीं समझता। यह सवाल ऐडमिनिस्ट्रेटिव है। सिद्धांतों से कोई मतभेद नहीं है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो उसमें भी कोई दो रायें नहीं हैं। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के स्टेटमेंट का जो हवाला दिया गया है वह ठीक है, हम सब लोग भी उसे जानते हैं। उस स्टेटमेंट से किसी को कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस के कंस्टीटयूशन में भी यह चीज है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा भी कि यह तो हमारा बहुत पुराना उसूल चला आता है कि जो छुआछूत में विश्वास करता हो वह कांग्रेस में न रहे। फिर यह जो संशोधन है वह चुनाव के लिये है और इसके बिलकुल दूसरे माने हैं।

एक बात मैं फिर आप से निवेदन कर देना चाहता हूं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लिये, कांग्रेस के लिये या किसी के लिये भी यह ठीक हो सकता है कि वे इस बात को मानते हों कि सब लोग बराबर एक साथ बैठ कर खाया करें। लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे बसते हैं जिनको आप रिएक्शनरी या जिस कटेगरी में भी चाहें रख लें, जो किसी दूसरे के साथ खाना नहीं खाते। तो क्या आप इस पीछे के दरवाजे से अपनी ताईद के लिये उन तमाम लोगों को चेयरमैनशिप के लिये खड़े होने से रोकना चाहते हैं जो इन चीजों में विश्वास नहीं करते ? यह एक सवाल पैदा होता है और मैं समझता हूं कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप इस तरह से अगर कोई आदमी एलेक्शन में खड़ा होता है तो उसके अधिकार को छीन लें। अगर इस तरह का कोई आदमी खड़ा होता है तो आप उसे एलेक्टोरेट के ऊपर छोड़ दें, वह जिसको चाहेगा चुन लेगा। अगर कोई टाउन एरिया का एलेक्टोरेट नहीं चाहेगा तो उसे नहीं चुनेगा, लेकिन अगर वहां का एलेक्टोरेट उसे चुनेगा तो फिर आप कैसे उसके अधिकार को छीन सकते हैं कि वह न चुनें ? आप अपने सिद्धांत पर रहें, उनका प्रचार कीजिये लेकिन आप को यह अधिकार नहीं है कि अगर एलेक्टोरेट ऐसे आदमी को चुनना चाहे तो वह चेयरमैनी के लिए नहीं खड़ा हो सकता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—इसी तरह से पब्लिक अंधे को चुन दे।

श्री मोहनलाल गौतम—अंधे को चुनने के लिये इसमें कोई रुकावट नहीं है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—ईसांल्वेन्ट के लिये क्यों रोक है ?

श्री मोहनलाल गौतम—वह तो एक सोशल लायबिलिटी है । उसकी वजह से डिस्वालिफिकेशन होना वह बात दूसरी है और इसमें बात दूसरी है । उसमें आप केवल जो खड़ा होता है उसके अधिकार को छीनते हैं लेकिन इसमें तो आप एलेक्टोरेट के अधिकार को छीनते हैं । अगर वह चुनना भी चाहें तो भी नहीं चुन सकें । यह संशोधन बहुत दूर तक जाता है और बहुत दिक्कतें भी हैं । हालांकि उसूल ठीक है । मैं मानता हूं, मूव करने वाले भी मानते हैं लेकिन क्या क़ानून के ज़रिये से उन तमाम लोगों को रोकना चाहिये जो इन बातों को नहीं मानते और इसलिये यहां उसका रोकना मुनासिब नहीं होगा । एक साहब ने कहा था कि आर्यसमाज से मेरा संबंध है । मैं समझता हूं कि कांग्रेस मैन के नाते मेरा आर्यसमाज से संबंध है वैसे आर्यसमाज के नाते तो मैंने पहली बार सन् १९१६ या १९१७ में महात्मा गांधी के दर्शन आर्यसमाज देहरादून में किये थे और उस नाते मैं आर्यसमाज को कभी भूल नहीं सकता बाक़ी उसका मेम्बरशिप के नाते आर्यसमाज से मेरा संबंध कभी नहीं रहा । तो मैंने इस संशोधन की कठिनाइयां बता दीं और कुछ उसूली बातें भी हैं जिनका जिक्र मैंने किया । इन कारणों से मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 6-K के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"Provided that in case of Chairman objection to inter-caste or inter-communal dining shall be an additional disqualification."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ७

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा ७ का निकाला जाना ।

७—मूल अधिनियम की धारा ७ निकाल दी जायगी ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ८

यू० पी० एक्ट २, १९१४ की धारा ७–ए का संशोधन ।

८—मूल अधिनियम की धारा ७–ए की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रखी जायंगी :—

"(1) The prescribed authority or, where an authority has not been prescribed , the District Magistrate, may remove a Chairman or any member of the Committee who, in his or its opinion,—

(*a*) has been guilty of gross misconduct or failure in the discharge of his duties, or

(*b*) has failed to pay for a period of more than one year any taxes or other dues payable by him to the Committee :

Provided , firstly, that before making an order removing the Chairman or the member, as the case may be , he shall be allowed an opportunity to submit his explanation on the charge or charges against him ;

Provided , secondly, that no order for the removal of the Chairman shall take effect unless it is confirmed by the State Government.

(1-A) The State Government may on the recommendation of the prescribed authority referred to in sub-section (1) or the District Magistrate, as the case may be, place under suspension a Chairman or member against whom action has been commenced under sub-section (1) and, where the Chairman or the member has been so suspended , he shall not for so long as the order of suspension is in force, be entitled—

(*a*) to exercise the powers or perform the duties imposed upon him by or under this Act or any other enactment for the time being in force, and

(*b*) to take part in any proceedings of the Committee."

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्न संशोधन पेश करना चाहता हूं—

खंड ८ द्वारा प्रस्तावित धारा ७–ए की उपधारा (१) को इस प्रकार पढ़ा जाय—

"(1) A chairman may be removed from his office on the ground of infirmity of mind or body or wilful and gross neglect of duty or conviction for a criminal offence through the process of refrendum by the electorate on a demand of at least two third members of a Town Area Committee."

अध्यक्ष महोदय, यह धारा इस विधेयक में बहुत महत्व रखती है । हम जहां पर प्रजातंत्र की बातें करते हैं वहां पर ब्यूरोक्रेसी को इतना बड़ा अधिकार देना कि वह चाहे चेयरमैन का या मेम्बरों को जब चाहे अलग कर सकती है मैं समझता हूं सिद्धांतः ग़लत होगा । जहां पर प्रजातंत्र के उसूलों को लेकर हम टाउन एरियाज में आते हैं वहाँ जनता को अधिकार देते हैं कि हां की वह सफ़ाई करायें, वहां की शिक्षा का इंतिजाम करें, वहां के अस्पतालों का इंतिजाम करें, फिर उसके बाद वहां के छोटे से दायरे में जनता को यह अधिकार न दें कि जिन्होंने उस चेयरमैन को छांटा हो या उन मेम्बरों को छांटा हो उन पर उनका अधिकार न रह जाय बल्कि वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार हो कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चाहे तो उन्हें बाहर निकाल सके यह उचित नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यही एक मौका है । जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि जहां के लोग न तो बिलकुल अनपढ़ हैं और न तो ज्यादा ऐडवांस्ड हैं। यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अगर हम कोई नया प्रयोग करना चाहें तो वहां अच्छी तरह से कर सकते हैं । जहां तक अधिकारों के देने का सवाल है हम इसकी पहले से ही मुख़ालिफत करते आये हैं और अब भी करेंगे कि ब्युरोक्रेसी को इतने बड़े अधिकार चेयरमैन और मेम्बरान को निकालने का हम नहीं देना चाहते हैं और चाहते हैं कि अगर चेयरमैन जिस को जनता ने छांटा है, या मेम्बरान जिनको जनता ने छांटा है अगर वह कुछ गड़बड़ करेंगे, अगर वह उस जगह के योग्य नहीं हैं, और उसको निकाल दिया जाना चाहिये तो उसकी सब से ज्यादा ख़बर टाउन एरिया के मेम्बरों को रहती है क्योंकि जनता जो मुहल्लों में रहती है वह यही देखती है कि सफाई हुई

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

है या नहीं हुई, बच्चों के पढ़ाने का इंतजाम है या नहीं। लेकिन चेयरमैन क्या गड़बड़ कर रहा है इसकी इत्तला मेम्बरों को ही ज्यादा हो सकती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि बजाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यह अधिकार उन मेम्बरान को दिया जाना चाहिये, लेकिन उनको भी यह पूरा अधिकार न हो कि वह चेयरमैन को बाहर निकाल सकें। वह मेम्बरान तो इस बात को उठायें कि यह चेयरमैन गड़बड़ कर रहा है, अपना कर्त्तव्य पालन नहीं कर रहा है इसलिये टाउन एरिया कमेटी से उसको निकालने की आवश्यकता है। उसके बाद जनता से राय ली जाय और आम पब्लिक के सामने यह मामला रखा जाय कि दो-तिहाई टाउन एरिया के मेम्बर यह चाहते हैं कि चेयरमैन साहब यह गड़बड़ कर रहे हैं और उनका टाउन एरिया का चेयरमैन रहना ठीक नहीं है। इसलिये इनको निकालना चाहिये। यह बात पब्लिक के सामने रखी जाय कि आया चेयरमैन साहब निकाले जायं या न निकाले जायं। अगर बावजूद दो-तिहाई मेम्बरों की राय के कि चेयरमैन साहब को हटाया जाना चाहिये, जनता यह कहती है कि नहीं चेयरमैन साहब जो हैं उनको नहीं हटाया जाना चाहिये तो चेयरमैन साहब को निकालने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिये। यह सिद्धांत एलेक्टोरेट से सीधा संबंध स्थापित करने वाला है। हमें उस एलेक्टोरेट को जिसकी भलाई के लिये चेयरमैन साहब और मेम्बरान छांटे गये हैं, उनको अलग करने का अधिकार उसी को देना चाहिये ताकि यह भी न हो जैसा कि बहुत से मुल्कों में देखा गया है कि चुनाव होते ही थोड़े दिन के बाद पोलिटिकल पार्टीज जो दूसरे को चाहती हैं, और चाहती है कि मौजूदा चेयरमैन किसी तरह से निकाला जाय, फौरन् ही चुनाव के थोड़े दिन के बाद रिकाल वगैरह के पेटीशंस होने लगते हैं। रिकाल के बारे में मेरा दूसरा आगे संशोधन है। उस पर उस वक्त बोलूंगा। इस वक्त रिफरेंडम का सवाल है। अमेरिका में १९०३ से यह मूवमेंट चला था। इस मूवमेंट ने उस वक्त जोर पकड़ा १९१२ में जब कि रूजवेल्ट का प्रेसीडेंशल एलेक्शन हुआ। उसके बाद वह चलता रहा। स्विटजरलैंड में चलता है। बहुत से मुल्क हैं जहां पर यह रिफरेंडम इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ज्यादातर इसका म्युनिसिपैलिटीज में ही प्रयोग होता है और बहुत जगह वह बहुत कामियाब रहा। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में अगर वह पुरानी बातें चलती रहेंगी, जो क़ानून पहले थे वही चलते रहेंगे तो कोई नया जीवन नहीं मालूम होगा। अगर जनता को यह अधिकार दे दिया जाय, भले ही वह उसको इस्तेमाल न करे अगर यह मालूम हो जाय कि कोई चेयरमैन या मेम्बर कुछ गड़बड़ करता है, टाउन एरिया कमेटी का धन दुरुपयोग में लाता है तो जनता उसे वापस बुला लेगी। अगर ऐसी व्यवस्था कर दी गयी तो मुझे पक्का विश्वास है कि चेयरमैन साहब कभी गड़बड़ नहीं करेंगे और न मेम्बरान कभी कोई गड़बड़ करेंगे इसलिये मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्व का प्रश्न है और इससे कोई गड़बड़ नहीं होने की है और अगर ५ साल के लिये एक्सपेरीमेंट किया तो यह चीज देखने में नहीं आयेगी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आज नोटिफाइड एरिया के चेयरमैन को बुला रहा है और उन पर धौंस जमा रहा है। आज क्या होता है कि टाउन एरिया का जो चेयरमैन होगा वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का गुलाम बना रहेगा और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो आपका गुलाम रहता ही है। यहां से इशारा हुआ नहीं, मिनिस्टर साहब ने कलेक्टर से कहा नहीं कि वह नोटिफाइड एरिया का चेयरमैन कांग्रेस को वोट देता है या नहीं कि फट कलेक्टर ने धौंस जमाई कि क्यों भाई क्या कर रहे हो। इस तरह की बातें हो सकती हैं क्योंकि हम लोग अभी प्रजातंत्र में इतने आगे नहीं बढ़े हैं। चेयरमैन को अगर किसी का डर होना चाहिये तो जनता का होना चाहिये। म्युनिसिपैलिटीज में आप ने इस चीज को नहीं माना लेकिन मैं समझता हूं कि टाउन एरियाज में इस चीज को शुरू किया जाय। जैसा कि माननीय रामनारायण जी ने कहा था कि अगर उनके संशोधन को मान लिया गया तो माननीय मंत्री जी का नाम हो जायगा, लेकिन चूंकि मैंने इस संशोधन को पेश किया है तो नाम तो मेरा आयेगा इस वजह से भले ही वह इस संशोधन को स्वीकार न करें, यह बात दूसरी है, लेकिन भली बात जो हो उसमें मेरा नाम हो या उनका नाम हो उनको मान लेनी चाहिये। यह उनकी राज्य सरकार के मातहत वाली चीज है और उसको एक्सपेरिमेंटली हमने लिया तो देश और जनता

को भी मालूम होगा कि कुछ स्वराज्य की बात अब शुरू हुई है । अब जनता के अधिकारों की रक्षा होने वाली है । वहां के जो एलेक्टोरेट और वोटर्स हैं उनके काम करने का जो छोटा-मोटा दायरा है उसके अन्दर ऐसे कामों के करने के लिये उनका बड़ा भारी उत्साह रहता है । मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी हमारे इस छोटे से संशोधन को जिसे हो सकता है कि क्रान्तिकारी संशोधन वह समझते हों पर मैं समझता हूं कि एक छोटा सा स्टार्ट है, टाउन एरिया से स्टार्ट हो रहा है, उसको स्वीकार करेंगे । इसमें जो कुछ और बातें होंगी तो मैं बाद में जवाब दूंगा ।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात तो जरूर शायद कनफ्यूजन पर मबनी है कि इस संशोधन में सिर्फ चेयरमैन का रिमूवल है, मेम्बर्स का नहीं है और बार-बार मेम्बर्स के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । इसलिये जितना मेम्बर्स का हवाला था वह इस संशोधन से रेलेवेंट नहीं है । बहरहाल उस सवाल को मैं नहीं छेड़ूंगा ।

जहां तक रेफ्रेंडम का सवाल है वह अभी एक ऐसी दिक्कत की चीज है कि अगर चेयरमैन के रिमूवल को रेफेंडम पर आप ले जायं तो क्या-क्या उसमें दिक्कतें आयंगी, क्या-क्या कठिनाइयां आयेंगी, क्या-क्या बुराइयां आयेंगी इस सब पर शायद प्रस्तावक महोदय ने विचार नहीं किया है । रेफ्रेंडम के अगर यह माने समझें जायं कि जो कुछ भी, जिस तौर पर भी फैसला होगा किसी एक छोटी सी चीज पर और ऐडमिनिस्ट्रेटर को कई बार ऐसा करना पड़ता है जिस से कि उस छोटे से इलाके के जजबात को कई बार ठेस लगती है, जिन जजबात को ठेस लगती है वह गलत भी हो सकते हैं और ऐसा सवाल पैदा हो जाय कि हालांकि चेयरमैन तो अच्छा है, ठीक काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि यह काम जरा सा कर दिया, और वह भी ज्यादातर रिलीजस होते हैं जिनको प्रस्तावक महोदय रिएक्शनरी कहेंगे और ऐसे जजबात में पड़ कर रेफ्रेंडम हो तो वह भी इस संशोधन के मातहत रिऐक्शनरी होगा, रिवाल्यूशनरी नहीं होगा । इसलिये संशोधन हमेशा प्रगति की तरफ ही जायगा और ले जायगा यह नहीं है । फिर अभी छोटे-छोटे टाउन एरियाज हैं, थोड़ी सी आमदनी है, कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है । ऐसी एक चीज में रोजमर्रा की यह जंग और यह संघर्ष ऐसे ऐडमिनिस्ट्रेशन को सफल बनायेगा या असफल बनायेगा, यह सब बातें सोचने की हैं ।

अभी तक यहां, इस देश में, रिफ्रेंडम का इस्तेमाल किसी भी चुने हुये अधिकारी को हटाने के लिये नहीं है । दूसरे देशों में कहां-कहां काम में लाया गया और कहां नहीं इस पर भी विचार करना होगा । मैं जब स्विटजरलैंड गया था और पार्लियामेंट के सीनियर मेम्बर से पूछा कि आपके यहां "रिकाल" है और उसका क्या प्रयोग है । तो उन्होंने कहा कि हमारी यादाश्त में तो कभी इसका इस्तेमाल हुआ नहीं । स्विटजरलैंड एक छोटा सा मुल्क है । ९० फीसदी आदमी वहां के पढ़े-लिखे हैं । स्त्रियों को वहां वोट देने का अधिकार नहीं है और फिर कांस्टीट्यूशन में रिकाल का अधिकार होते हुये भी उपयोग में नहीं लाया जाता । इसलिये रिफ्रेंडम की बात किस प्रकार से लायी जायगी । इन छोटे-छोटे स्थानों पर टाउन एरियाज में । इतने बड़े बड़े उसूलों का एक्सपेरिमेंट करना वहां पर मैं मुनासिब नहीं समझता । इसलिये मैं इसको मंजूर करने में अपनी असमर्थता प्रगट करता हूं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—श्रीमान्, मैं माननीय मदनमोहन उपाध्याय के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अध्यक्ष महोदय, जो सरकार की तरफ से विधेयक उपस्थित किया गया है उसमें खंड ८ में प्रस्तावित नयी धारा—७—ए उपधारा इस प्रकार है :—

"The prescribed authority or, where an authority has not been prescribed, the District Magistrate, may remove a Chairman or any member of of the Committe, who, in his or its opinion,....."

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

वगैरह वगैरह । अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार अधिकार देने जा रही है चेयरमेन के रिमूवल का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को उन जगहों पर जहां कि कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया । इसमें साफ-साफ यह नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को ही यह पावर होगी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सिर्फ रिपोर्ट करने का अधिकार होगा किसी चेयरमैन के खिलाफ किसी खास कठिनाई के होने पर । तो यह तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को अख्तियार दिया जा रहा है· स्टेट गवर्नमेंट से भी नीचे स्तर पर जाकर। यह तो बहुत ही अनुचित बात है। लेकिन माननीय उपाध्याय जी ने जो संशोधन रखा है उसमें एक बुनियादी सिद्धांत निहित है। यह भी नहीं है कि रिफ्रेंडम का कोई एक्सपेरिमेंट टाउन एरियाज पर किया जाय बल्कि हम इसको बहुत ही आवश्यक समझते हैं और इसलिये आवश्यक समझते हैं कि हम यह चाहते हैं कि सत्ता का हर जगह विकेन्द्रीकरण हो और हमारी यह मांग रही है कि दिल्ली की सल्तनत को, लखनऊ की सल्तनत को और म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज को तथा सबसे नीचे स्तर पर जाकर ग्राम-सभाओं और ग्राम पंचायतों को कुछ ऐसे अधिकार मिलने चाहियें जिनको कोई दूसरा और ओवर राइट न कर सके और यह एक बुनियादी सिद्धांत है। इसमें और भी बहुत से सप्लीमेंटरी प्रश्न उठते हैं और वह यों कि क्या आप ऐसे चेयरमैन को जो कि कोई गलती करता है जनता के धन का दुरुपयोग करता है या और इस किस्म की गलती करता है उसको भी मौका देना चाहते हैं। रिफ्रेंडम के जरिये से जैसा कि उन्होंने कहा कि यह भी संभव हो सकता है कि वह बार-बार लोगों द्वारा रोज किया जाय । लेकिन माननीय स्वशासन मंत्री जी ने तो हमारे पक्ष में यह दूसरी दलील दे दी कि स्विटजरलैंड में रिकाल का प्राविजन होते हुये भी कभी उसके प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ी । तो सिर्फ ऐसे प्राविजन का होना ही काफी है। जरूरत ही न पड़ी कि इसे काम में लाया जाय। कायदे-कानून इस लिये बनते हैं कि जब वह बन जाते हैं तो लोग सम्भल जाते हैं अपनी जगह पर। इसलिये यह तो उन्होंने हमारे पक्ष में दलील दी कि रिकाल का प्राविजन वहां है और इसके लिये मैं उनका शुक्रगुजार हूं। इतना महत्वपूर्ण जनता इसे समझती है और भयभीत रहती है कि वहां उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी और मैं समझता हूं कि यहां भी अगर पार्लियामेंट, असेम्बली और लोकल बाडीज में भी इस संबंध का प्राविजन रख दिया जाय तो बहुत जबर्दस्त सुधार होगा। अध्यक्ष महोदय, मनुष्य गलती करता है और ये जितनी कमेटियां हैं, असेम्बली है वह सामूहिक रूप से और उसके मेम्बरान भी गल्ती कर सकते हैं लेकिन सुधारने का एक ही तरीका है कि कोई गलती करे, फिर सुधरे और आगे बढ़े। हो सकता है कि कुछ गड़बड़ियां हो जायं जिसको कि डिस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट यह समझता है कि इसको अपने आफिशियल रोब से फौरन हटा दें, लेकिन दूसरे तरीके से अगर इस प्रश्न को रखें तो हमारी राय में और हमारी पार्टी की राय में और जैसा कि ५६ फीसदी जनता की राय में यह कांग्रेसी सरकार भी गलती करती है, वह लोगों के खाने और कपड़े की समस्या को हल नहीं करती है। तो ऐसी सूरत में ऐसी गवर्नमेंट के रिमूवल का भी अख्तियार होना चाहिये। मैं जानता हूं कि रिमूवल का अख्तियार है और विधान में कोई मिनिस्टर अगर इस किस्म की गलती करता है तो उसको हटाने का अख्तियार रखा गया है। लेकिन उस विधान से भी हम यहां सहमत नहीं हैं। हम चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंट से चौखम्भा राज्य जो हमारी कल्पना है, उस सत्ता के विकेन्द्रीकरण की कल्पना हम हर जगह करते हैं। इस संबंध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जाब्ता फौजदारी में और जाब्ता दीवानी में ऐसी धारायें हैं कि जो कोई भी किसी किस्म का कोई व्यक्ति या चेयरमैन या मेम्बर गलती करता है तो वह उसमें फंस सकता है और उसके अनुसार उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है । तो उसको रिमूव करने के पहले जैसा पहले भी हमने निवेदन किया कि जनता के सामने वह तमाम बातें आनी चाहिये। अगर कोई ऐसा जुर्म है जिस में उसको सजा मिल सकती है तो उसको सजा मिलनी चाहिये और सजा मिलने पर अगर वह कंविक्ट

हो जाता है तो उस हालत में उसको रिमूव कर दिया जाय। इसमें हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन सिर्फ गोल मटोल कारणों पर, अस्पष्ट कारणों पर जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिसट्रेट की रिपोर्ट पर सरकार को करना पड़ता है, एक ऐसी चीज है जिस से जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों की सत्ता पर कुठाराघात होता है। इस बुनियादी सिद्धांत में गल्तियां हो सकती हैं लेकिन हम चाहते हैं गल्तियां जो हों उनको दूसरे तरीकों से दुरुस्त किया जाय और थोड़ी देर के लिये तो हम छोटी-मोटी गलती उनकी इस माने में टालने के लिये तैयार भी हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक कोई मनुष्य पानी में उतरेगा नहीं तब तक तैरना नहीं सीखेगा। हम अगर इस बात की कल्पना करते हैं कि हमारा प्रदेश आगे भविष्य में उन्नति करने वाला है और सारे देश के सामने नमूना बनने वाला है तो हमें एक्सपेरीमेंटल मेजर्स से गुजरना पड़ेगा। आज हमारे देश में डिमोक्रेसी का तजुर्बा हो रहा है। इंग्लैण्ड में सैकड़ों वर्षों से डेमोक्रेसी चल रही है लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इंगलैंड की पार्लियामेंट में लागू हैं लेकिन हमारे यहां लागू नहीं हैं। हम मूल सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुये ऐसे संशोधनों पर जोर देते हैं और यह समझते हैं कि चौखम्भा राज्य के अनुसार जब गांव-सभाओं में डिस्ट्रिक्ट लेविल पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपैलिटीज में और दिल्ली की हुकूमत में और लखनऊ की हुकूमत में एक दूसरे की पावर्स ओवरराइड करने का अख्तियार नहीं होगा तभी सही मानों में सत्ता का विकेन्द्रयकरण होगा। इसी मूल सिद्धांत पर हमारा संशोधन है। जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है वह भी सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की बात करती है और हम भी विकेन्द्रीयकरण की बात करते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि हमारा टकराव कहां होता है। जब दोनों के सिद्धांत एक से हैं तो हम इसको इस जगह से शुरू करें और आगे विधान में परिवर्तन करके हम आगे बढ़ें। इन शब्दों के साथ में माननीय स्वशासन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे एक तो क्रांतिकारी कदम उठावें। पहले हमने उनको एडल्ट कम्पलसरी वोटिंग के द्वारा यश कमाने का रास्ता बताया था और अब यह दूसरा रास्ता है। माननीय मंत्री जी कम से कम कोई ऐसा नियम पेश करें जिस से हमें यह प्रतीत हो कि हमारे स्वशासन मंत्री जी क्रांतिकारी विचारों के हैं।

श्री शिवनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह खंड ८ का जो (ए) दिया हुआ है पढ़ना चाहता हूं;

"has been guilty of gross misconduct or failure in the discharge of his duties,....."....

इसमें दिया हुआ है कि जब चेयरमैन कोई गलती करेगा, कोई क्राइम करेगा, तब के लिये हम मैजिस्ट्रेट को अथोराइज करते हैं कि वह उसको ससपेंड कर सके, निकाल सके। यों तो टाउन एरिया के चेयरमैन के लिये लिमिटेड पीरियड रख दिया गया है कि वह चार वर्ष के लिये चेयरमैन होगा। लेकिन जब वह कोई गलती करेगा तो पावर किस को होगी, मैजिस्ट्रेट को होगी। अपोजीशन पार्टी चाहती है कि लेजिस्लेचर और एक्जक्यूटिव दोनों पावर्स एक आदमी को दे दी जायं, लेकिन मैं इसका विरोध करता हूं इसीलिये यह चीज रखी गयी है कि मैजिस्ट्रेट को यह पावर हासिल हो न कि जनता को या मेम्बरों को, क्योंकि हम को यहां ला बनाने का अधिकार है लेकिन अगर हमको फांसी देने का भी अधिकार दे दिया जाय तो हम अंधेर कर सकते हैं, मनमानी कर सकते हैं। यह मनमानी न करने के लिये यह पावर मैजिट्रेट की दी गयी है।

इसमें रेफरेंडम की मांग की गयी है। इससे होगा यह कि हर म्युनिसिपैलिटी में आप रेफरेंडम की मांग करेंगे और रोज-रोज शोर करेंगे। चार दिन के बाद एक पार्टी के लोग कह देंगे कि चेयरमैन चोर हैं और फिर पब्लिक कहेगी कि इसको निकालो। पांचवें दिन जब नया चेयरमैन आयेगा तो जन संघ वाले कहेंगे कि आप ने मियां चेयरमैन बना दिया, वह धर्म विरुद्ध काम करता है, उसको हटाया जाय। तो कितनी बड़ी दिक्कत नोटिफाइड एरिया को चलाने में होगी।

[श्री शिवनारायण]

इसको भी मद्देनजर रख कर आपको सोचना है। आज भी शिकायत है, इस सदन के सदस्यों पर भी जुमले कसे जाते हैं कि पहले २२८ मेम्बर थे और जब ४३० हो गये और यह है और वह है। तो मैं निहायत अदब के साथ, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह बता देना चाहता हूं कि यह जो नन्हा सा संशोधन उधर से आया है यह वाकई नन्हा सा है। लेकिन नन्हे की कहां गुजर है बुजुर्गों के बीच में। नन्हे का कहीं सवाल नहीं है, परिपक्व पहलवान, वीर चाहिये, तो मैं उपाध्याय जी से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे-ऐसे नन्हे अमेंडमेंट न पेश कर दिया करें जिससे सदन का हर्ज हो। ऐसी चीज लायी जाय तो ठोस हो तो हम लोग मान लें। इन शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं साथी मदनमोहन उपाध्याय जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, उपाध्याय जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है वह संशोधन इस देश में सही माने में प्रजातांत्रिक पद्धति को उदय करने वाला संशोधन है। स्वीटजरलैंड की जो बात माननीय स्वशासन मंत्री ने बतायी है वह बात जब हमारी पार्टी चुनाव के मैदान में खड़ी हुई थी तो उसनें इसी उद्देश्य की पूर्ति में यह बात बतायी थी कि यदि हमारे असेम्बली या संसद के सदस्य उन्हें जनता की निगाहों में अच्छा काम करने वाले साबित नहीं होंगे तो जिस जनता ने वोट दे कर उसे असेम्बली या संसद में बिठाया है उन्हें वापस करने का अधिकार होगा। अध्यक्ष महोदय, यदि हमारी पार्टी विजयी होती तो माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री जी जिस चीज को स्वीटजरलैंड में देख कर आये हैं वह हमारे प्रदेश में उसी तरीके से साबित होती। माननीय उपाध्याय जी की ही बातों का समर्थन माननीय स्वशासन मंत्री ने किया है। यदि हमारे प्रदेश की जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों के दिलों में यह भावना हर वक्त बैठी रहे कि जनता की भलाई के लिये अगर हम काम नहीं कर सकेंगे तो जिस जनता ने वोट दे कर हमें सदनों में बिठाया है वही जनता वापस बुला सकती है तो जनता के चुने हुये प्रतिनिधि किसी भी वक्त जनता की राय के खिलाफ काम करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यही नहीं, वे जनता के प्रतिनिधि सही माने में जनता के लाभ के लिये काम करने के लिये हर वक्त सोचेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब हम यह देखते हैं कि जनता के प्रतिनिधि जो चुने हुये हैं और जनता के सामने चुनाव के जमाने में जो जो आकाश के फूल पहुंचाने के वादे किये जाते हैं और जब सदन में बैठकर उन बातों पर विचार करने की बात की जाती है तो उसके खिलाफ कानून बनने लगते हैं तो जिस जनता ने चुनाव में वोट दे कर बड़ी तादाद में हमें भेजा वह जनता महसूस करने लगती है कि आया उस प्रतिनिधि को हम कैसे वापस करें। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त जनता चुनाव की पद्धति से निराश होने लगती है जब उसके दिल के अरमान नहीं पूरे होते हैं। वह रास्ता ढूंढने लगती है कि कौन सा रास्ता अपनायें जिससे हमारे प्रतिनिधि जो हमारे चुने हुये हैं सदन में जा कर के हमारी मांग की मुखालिफत करते ह, उनको कैसे वापस करें। और सिवाय इसके कि उसको वापस बुलाने का उस जनता को अधिकार दिया जाय और कोई रास्ता इस देश में इस दुनियां में हो नहीं सकता।

अगर सही माने में लोकतंत्र को चलाना है, जनता को अधिकार देना है जो कि हमें चुनकर भेजती है, अगर सही माने में जनता के लाभ के लिये कुछ काम करना है तो उसकी एक ही कसौटी हो सकती है कि जनता को वापस करने का अधिकार दिया जाय। अध्यक्ष महोदय यह बहुत बड़ी कसौटी है माननीय स्वशासन मंत्री के लिये और उस ओर बैठे हुये माननीय सदस्यों के लिये। यदि यह अधिकार जनता को मिलता है, यदि टाउन एरिया के नगरिकों को यह अधिकार मिलता है कि टाउन एरिया कमेटी का अध्यक्ष यदि जनता की राय के मुताबिक काम नहीं करता है तो जनता को उसको वापस करने का अधिकार है तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह देखता हूं कि यदि कोई टाउन एरिया कमेटी का अध्यक्ष जनता की राय के मुताबिक काम करता है और जिलाधीश के या सरकार के खिलाफ कोई काम करता है तो वह जनता की इच्छा के रहते हुये भी हटा दिया जाता है और इस बात के एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों उदाहरण इस प्रदेश में उपस्थित हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिले का ही एक उदाहरण उपस्थित करना चाहता हूं। हमारे यहां एक टाउन एरिया कोपागंज है। वहां पर एक बार नहीं दो बार चुनाव हुआ अध्यक्ष का और दोनों बार कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। हार होने के बाद अध्यक्ष महोदय, जैसा कि शिवनारायण जी ने जिस संशोधन का विरोध किया है वही संशोधन अमली रूप में लाया गया और स्वशासन मंत्री के दाहिने हाथ और बायें हाथ जो सम्मानित सदस्य हैं ...

श्री अध्यक्ष---यह जरा थोड़ा सा असंगत सा हो रहा है। संशोधन से आप बाहर जा रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मैं समझता हूं कि इस तरह से हार जाने के बाद तमाम टाउन एरिया कमेटी को मुअत्तिल कर दिया गया। मैं आपके द्वारा माननीय स्वशासन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो जनता ने अपने प्रतिनिधि भेजे हैं अगर वह जनता की राय के मुताबिक काम नहीं करते हैं तो जनता को उनको वापस करने का अधिकार मिलना चाहिये। मैं नहीं समझता हूं कि जो प्रतिनिधि जनता की राय के मुताबिक काम करते हैं और उनका फैसला जिलाधीश या सरकार करे तो यह गलत बात होगी और लोकतंत्र के लिये यह एक कुठाराघात है। मैं आपके द्वारा स्वशासन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सच्चे लोकतंत्र को विकसित करने के लिये एक मात्र रास्ता यही है कि जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों को जनता की राय से वापस लेने का अधिकार होना चाहिये और उपाध्याय जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है वह एकमात्र कसौटी है। मैं उम्मीद करूंगा कि वह इसको मानेंगे अगर वह सही मानों में लोकतंत्र को मानने वाले हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वशासन मंत्री जी ने यह कह दिया कि इसमें दिक्कतें हो जायंगी अगर यह मान लिया जायगा। लेकिन उन दिक्कतों के बारे में कुछ नहीं कहा कि इसको मान लेने से कौन सी बड़ी भारी दिक्कतें हो जायंगी। स्विटजरलैंड का हवाला दिया कि वहां विधान में यह है परन्तु इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मैंने भी यही कहा था कि Gun behind the door की पालिसी होनी चाहिये जिससे चोर समझे कि उनके पास बंदूक है कहीं गोली न मार दें। इसीलिये मैंने कहा था कि यदि इसको रख दिया जायगा तो चेयरमैन को गड़बड़ी करने का अंदेशा बहुत कम हो जायगा। मंत्री जी ने तो कोई खास बात नहीं कही, लेकिन शिवनारायण जी ने कुछ बातें कहीं। या तो वह पब्लिक के माने समझते नहीं हैं। ठीक भी है, उनकी बातों को जो हम महत्व देते हैं।....

श्री अध्यक्ष---यह जरा अपमानजनक है। "समझते नहीं हैं" यह कहना किसी मेम्बर के लिये उचित नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---मैं कोई रिमार्क नहीं कस रहा हूं। मतलब केवल यह है कि जो बात वह कहते हैं उसको हम लोग कितने महत्व देते हैं इसे वह स्वयं अच्छी तरह जानते हैं और इसलिये जो कुछ उन्होंने कहा है उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनसे एक बात जरूर कहूंगा कि अच्छा होता कि जनता को यह अधिकार होता कि जिस जनता ने उनको छांटा है उसको उनको अलग करने का भी अधिकार होता, यह नहीं कि ५ साल के लिये तो अब हम आ गये हैं, अब हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। कोई नई बात ५ साल के बाद होगी तो देख लेंगे। इसलिये उनको कोई डर नहीं है। इसलिये हम चाहते थे कि कोई रिवोल्यूशनरी कदम उठाया जाय। हमारे माननीय स्वशासन मंत्री बड़े क्रांतिकारी हैं, कुछ कदम उठायें, इससे कुछ बिगड़ता नहीं है। मैं समझता हूं कि यह कहा जाना कि साहब जनता इससे बड़ा घपला करेगी, जनता के हाथ में यह

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

रहेगा तो वह खड्ड में डाल देगी तो ऐसे तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी गल्ती कर सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो हमारे टाउन एरियाज कमेटीज के मेम्बरान हैं वह पहले प्रोपोज करें और प्रोपोजल को वह पब्लिक के सामने रक्खें और पब्लिक की राय लें। इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैं जानता था कि माननीय स्वशासन मंत्री इसको मानेंगे नहीं क्योंकि हमारी तरफ से यह रक्खा गया है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता ।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात की गलतफहमी को मैं पहले दूर कर देना चाहता हूं क्योंकि उनकी ओर से कोई संशोधन है इसलिये मंजूर नहीं होगा क्योंकि ऐसी मिसालें इस भवन में जहां तक मेरा ताल्लुक है मौजूद हैं। अगर यह गलतफहमी दूर हो जाय तो बहुत सा क्रिटिसिज्म और समय इस सदन का बच जाय। एक बात ऐसी है जिसका मैं उत्तर देना चाहता हूं वह यह है कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि जनता ही चुने और जनता ही हटा दे। इस सिद्धांत का वह यहां पर प्रतिपादन करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह सिद्धांत ऐसा नहीं है जिसको १६ आने माना जा सकता है या माना जाना चाहिये। यह भी माननीय सदस्य को मालूम होगा कि जिस जनता ने हम लोगों को चुना है वह हमको नहीं हटा सकती है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसी एजेंसी है जो हम को हटा सकती है। जिन लोगों ने हम को चुना है उन पर हमको हटाया जाना निर्भर नहीं करता बल्कि उसके लिये दूसरी एजेंसी होती है। डेमोक्रेसी की कामयाबी के लिये चेक ऐन्ड बैलेन्स की जरूरत होती है। यह बहुत मोटा सिद्धांत है और यह सिद्धांत जितनी जल्दी माननीय सदस्य समझ लें उतना ही अच्छा है। जिन लोगों ने हमको चुना है यह जरूरी नहीं है कि वही हमको हटा सकें। माननीय सदस्य यह समझते हैं कि उनको सिर्फ जनता हटा सकेगी, दूसरा कोई नहीं हटा सकेगा। वह इस भ्रम में न रहें। वह दूसरे तरीके से कानूनन हटाये जा सकते हैं। इसलिये मैं संशोधन के मानने में अपनी असमर्थता प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ द्वारा प्रस्तावित धारा ७-ए की उपधारा (१) को इस प्रकार पढ़ा जाय—

"(1) A Chairman may be removed from his office on the ground of infirmity of mind or body or wilful and gross neglect of duty or conviction for a criminal offence through the process of refrendum by the electorate on a demand of at least two-third members of a Town Area Committee."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित नयी धारा ७-ए की उपधारा (१) के आरम्भ में शब्द "the" के पश्चात् तथा शब्द "prescribed" के पहले शब्द "State Government on the report of the" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमन्, इस संबंध में केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कि स्वायत्त शासन संस्थायें अविकसित थीं तब भी सम्भवतः इस प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं था किन्तु आज जब कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा रिमूवल की एक नंगी तलवार उन संस्थाओं के सर पर लटकती दिखाई देगी तो वह अपना कर्त्तव्य नहीं कर सकेंगे। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी सिर्फ वहां का एस० डी० ओ० हुआ करता है। इस प्रकार से वह संस्थायें एक हास्यास्पद हो जांयगी और एस० डी० ओ० को कमेटी का न प्रसन्न करना भी कर्त्तव्य विमुखता में मान लिया जाता है। जिस प्रकार से किसी सेवक के दो स्वामी होते हैं उसी प्रकार से उनकी दशा हो जायगी। मुझको इसका प्रमाण अपने जिले में देखने को मिला कि एक टाउन एरिया बहुत अच्छा कार्य करता था और उसका

प्रबन्ध भी अच्छा था लेकिन वह उन प्रेस्काइब्ड अथारिटी के पुच्छलग्गुओं को प्रसन्न नहीं कर सका इसलिये उसको सुपरसीड कर दिया गया। इसलिये हम इस प्रकार का सुझाव देते हैं कि इस प्रकार के रिमूवल का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहना चाहिये और वह अथारिटी सिर्फ उसके लिये सिफारिश ही भेज सके तो अच्छा है। हम समझते हैं कि इससे उनके विकास और कार्य में बहुत सहायता मिलेगी। यह एक साधारण सा संशोधन है और मुझे आशा है कि स्वशासन मंत्री महोदय इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंध रखने वाला एक और संशोधन है जिसकी सूचना श्री रतनलाल जैन ने दी है। या तो उसको भी इसके साथ ले लिया जाय अथवा श्री रामजी सहाय इसको वापस लेंले और श्री रतनलाल जी के संशोधन में उनके इस संशोधन का भाव रख दिया जाय ताकि इस विधेयक में उसको रखा जा सके। किन्तु उनका जो संशोधन है थोड़ा सा उसमें अन्तर है इससे जो कि श्री रामजी सहाय ने पेश किया है.....

श्री अध्यक्ष—जिस संशोधन के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं उसकी सूचना मेरे पास नहीं आयी है। उसकी नकल मेरे पास भेज दें।

श्री मोहनलाल गौतम—अगर आप श्री रतनलाल जैन के संशोधन को इस प्रकार से कर दें तो वह ठीक रहेगा क्योंकि उसमें रामजी सहाय जी की भी बात आजाती है—

"Provided secondly, that no order for removal shall take effect unless it is confirmed by the State Government."

इससे यह होगा कि यह अख्तियार दोनों को रहेगा।

श्री रामजी सहाय—मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रतनलाल जैन—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ७-ए की उपधारा (१) की पंक्ति ५ में शब्द "his" तथा "its" परस्पर स्थानान्तर कर दिये जायं।

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ७-ए की उपधारा (१) की पंक्ति ५ में शब्द "his" तथा "its" परस्पर स्थानान्तर कर दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रतनलाल जैन—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ७-ए की उपधारा (१) के द्वितीय प्राविजो में शब्द "removal" के पहले का शब्द "the" और बाद के शब्द "of the Chairman" निकाल दिये जायं।

इसका नतीजा यह होगा कि इस वधेयक में जो असंगत सी बात है कि मेम्बर को पृथक तो जिलाधीश कर सकता है और मोअत्तिल स्टेट गवर्नमेंट कर सकती थी.....

श्री अध्यक्ष—यह तो आप कह ही चुके हैं यह साफ ही है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ७-ए की उपधारा (१) के द्वितीय प्राविजो में शब्द "removal" के पहले का शब्द "the" और बाद के शब्द "of the Chairman" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्न संशोधन पेश करता हूं---

खंड ८ को उपखंड (१) के रूप में परिणित किया जाय तथा निम्नलिखित नया उपखंड (२) के रूप में जोड़ दिया जाय –

"(२) मूल अधिनियम की धारा ७-ए की उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित उपधारा (३) जोड़ दी जाय ---

"(3) A Member or Chairman may be removed if recalled by th electorate of his constituency:

Provided that a thousand voters petition for a recall,

Provided further that the number of votes cast in favour of a recall is at least sixty per cent. of the votes polled at the last elections by the Member or Chairman concerned."

जहां तक इस के सिद्धांत की बात है वह तो मैं ने रिफरेन्डम के सिलसिले में कह दी थी और अब जो मैं चाहता हूं वह यह है कि अगर किसी टाउन एरिया की जनता में से १,००० वोटर्स यह चाहें कि चेयरमैन साहब हटाये जायं या मेम्बर साहब हटाये जायं तो वह १,००० वोटर्स के दस्तखत करा के एक दरख्वास्त दें।

उसके बाद उस मामले पर जनता से राय ली जायगी और वोटिंग फिर से शुरू होगा कि किसी चेयरमैन को या मेम्बर साहब को वापस बुलाया जाय। पिछली तादाद का ६० परसेन्ट वोट होना चाहिये। रिकाल की प्रैक्टिस बहुत से मुल्कों में जारी है। अमेरिका की कौंसिलों में है। हमारे रूस में भी है कि वहां सोवियट्स यदि चाहें तो अपने कंस्टीट्यूशन के मुताबिक अपने डैलीगेट को वापस बुला सकते हैं। कैलीफोरनिया में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। बहुत से ऐसे केसेज हुये हैं कि चेयरमैन को या मेम्बर को जनता ने वापस बुलया। और बहुत से कंट्रीज में यही प्रथा है। ऐरीजोनिया में है, ऐरीगौन में है। अमेरिका में तो, जहां पर जजों को भी जनता छांटती है, उन्हें भी वापस बुलाने का अधिकार जनता को है। वहां इस पर बड़ा आन्दोलन हुआ क्योंकि यह सवाल एक टैकनीक का है और यह टैक्निकल मामला है जिसे साधारण जनता नहीं समझ सकती है। यह कहा गया कि जनता को जजों को वापस लेने का अधिकार नहीं होना चाहिये। लेकिन वहां के प्रगतिशील लोगों ने कहा कि यदि कोई जज छोटी-मोटी गलती करता है जनता उसमें दखल न दे लेकिन जहां कोई विधान के मामले में जज सामने आता है जो जनता चाहती है उसके विरुद्ध इंटरप्रेटेशन करता है तो उसे जनता वापस बुला सकती है। वहां ऐसे मामले हुये भी कि जनता ने पैटीशन करके जजों को हटाने की मांग की।

यदि चेयरमैन या मेम्बर वगैरा को यह भय होगा कि जनता हमें हटा सकेगी तो वे गड़बड़ी नहीं करेंगे। गड़बड़ी करते हुये डरेंगे। हम चाहते हैं कि यह रोक हमारे यहां हो। हजार आदमी का जो वोटर हों दस्तखत करना कोई आसान बात नहीं है एक टाउन एरिया में जिसकी वोटर संख्या ४ या ५ हजार होती है। अगर वहां के १ हजार वोटर यह मांग करते हैं कि चेयरमैन या मेम्बर को हटाया जाय तो कोई वजह नहीं है कि उनके पैटीशन पर क्यों न कार्यवाही की जाय। आपने तो यह रखा है कि अगर एक आदमी ही, यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चाहता कि कोई चेयरमैन या मेम्बर हटाया जाय तो वह हटा सकता है। ऐसा अधिकार आप एक ही मनुष्य को तो दे रहे हैं मगर वहां की जनता को दे दें तो बहुत ही बड़ा चैक होगा। हमारे टाउन एरियाज के प्रबन्ध में बहुत तरक्की होगी। इससे हमें काफी मदद मिलेगी। मैं समझता हूं कि जिस तरह से हमारा यह देश तरक्की कर रहा है, डोमोक्रेसी की ओर जा रहा है उसमें हमारा यह प्रांविस सबसे बड़ा है उस प्रांविस में अगर हमारा यह

संशोधन मान लिया जाता है और टाउन एरियाज में रिफार्म कर दिया जाता है तो हिन्दोस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों में जहां उसकी खबर जायगी यह कहा जायगा कि जनतंत्र के रास्ते को तो उत्तर प्रदेश ने पकड़ा है क्योंकि वहां "रिकाल" का तरीका लागू किया जा रहा है। इसमें कुछ भी दिक्कत होनी नहीं चाहिये और बजाय इसके कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह पावर दी जाय जनता के हाथ में इस पावर को दिया जाना चाहिये। अगर सचमुच चेयरमैन या मेम्बर खराब होगा तो जनता उसको निकाल देगी। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस छोटे से संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन तैयार करते समय शायद माननीय सदस्य ने इस बात का ख़याल नहीं किया कि कुछ टाउन एरियाज ऐसे भी हैं जिनकी आबादी २ हजार से कम है यानी जहां पर वोटरों की संख्या १ हजार से कम है। अगर उनको यह ख़याल होता तो वे ऐसा डिफेक्टिव ड्राफ्ट न बनाते। या उनका इससे यह मतलब है कि जहां दो हजार से कम ही आबादी है वहां "रिकाल" नहीं होगा। बाकी रिकाल के बारे में मैं अपनी राय पहले ही जाहिर कर चुका हूं उससे अधिक मुझे और कुछ कहना नहीं है। मैं सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि यह संशोधन मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री राजनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन प्रस्तुत है उसके संबंध मे माननीय मंत्री जी की युक्ति सुनने के बाद मैं भी कुछ कहने को बाध्य हुआ। यों तो श्रीमन् मैं समझता था कि सिद्धांतों की काफी चर्चा म्युनिसिपल ऐक्ट के समय हुई थी और मैं समझता था कि उसका कुछ असर माननीय मंत्री जी पर अवश्य हुआ होगा और मैं आशा करता था कि स्वयं सरकार की ओर से ऐसे संशोधन आयेंगे और अगर सरकार न लायेगी तो हमारी ओर से जो संशोधन पेश होंगे उनको मानने में सरकार को कोई कठिनाई न होगी। मगर श्रीमन् मैं बहुत ही हैरत में रह गया जब माननीय मंत्री जी डैमोक्रेसी के लिये कुछ चेक्स बैलेंसज को रखना चाहते हैं। श्रीमन् यह एक फंडामेंटल सवाल हो जाता है अतः मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे पुनः इस पर गौर करें, विचार करें और उनकी खिदमत में जो बातें पेश की जाती हैं उनको सुनने की भी कृपा करें।

श्री मोहनलाल गौतम—श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष—जब तक माननीय सदस्य नहीं बैठते आपको मैं इजाजत नहीं दे सकता।

श्री मोहनलाल गौतम—आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर, सर। क्या माननीय सदस्य का बिना अपने जवाब को सुने हुये कुछ कहना तथा बार बार उन्हीं बातों को दुहराने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—(श्री राजनारायण से) आप अपना भाषण जारी रखें मैं आबजर्व करूंगा कि क्या बात है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन कर रहा था कि आखिर माननीय मंत्री जी ऐक्सटर्नल चैक्स और बैलेंसेज के क्या मानी समझते हैं? जहां रिकाल का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है, श्रीमन् मैं उसकी कुछ लाइनें आपकी इजाजत से माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिये पढ़ना चाहता हूं। यों तो यह रिकाल की प्रथा सन् १९०३ ई० में चलायी गयी और रिकाल की प्रथा को चलाने में कुछ उद्देश्य रखा गया है। कुछ इस प्रथा के जो विज्ञ रहे हैं, जानकार रहे हैं उन्होंने तो श्रीमान् यहां तक कहा है "इट इज ए गन बिहाइन्ड दि डोर"। अगर रिकाल का अधिकार एलेक्टोरेट के हाथ में नहीं रहता तो जो क्लिकबाजी हुआ करती है, जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव तिकड़में हुआ करती हैं, इन तमाम तिकड़मों से जनता का उद्धार कैसे हो सकता है? श्रीमान्, मैं इस सदन के समय को बचाने के

[श्री राजनारायण]

लिये नहीं चाहता हूं कि इन पूरी बातों को व्यापक तरीके से यहां पढ़ा जाय मगर उसकी दो चार लाइनें जो बहुत ही स्पष्ट हैं उनको आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं ।

"The only type which has been used extensively is the recall of elective officials other than Judges. Lending itself easily to political controversy, it became one of the chief issues during the progressive period."

जिस मुल्क में श्रीमन् जब प्रतिक्रियावादी और क्रांतिकारी दो कदम रहे हैं दो विचारधाराओं की पार्टियां रही हैं तो यह सवाल प्रस्तुत हो गया है कि रिकाल का अधिकार रहना चाहिये या रिकाल का अधिकार नहीं रहना चाहिये । रिकाल का अधिकार, जितने प्रगतिशील विचार के मानने वाले रहे हैं, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं रही जो रिकाल के अधिकार को डेमोक्रेसी में न एक्सेप्ट करती हो । लेकिन जब माननीय मंत्री महोदय एक्सटर्नल चेक्स ऐंड बैलेंस डेमोक्रेसी सुरक्षित करने के लिये श्रीमन् रखने की बात करते हैं तो मैं बार बार आपके जरिये उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी की परिभाषा भी होनी चाहिये । डेमोक्रेसी में जो आज प्रच्छन्न होकर तमाम राजनीतिक सिद्धांतों को प्रशस्त किया है उसमें भी यह कहा गया है । कि ऐक्सटर्नल चेक्स ऐंड बैलेंस की जरूरत नहीं है जनतांत्रिय कहलाते हुये पुरानी बातों को दोहराना यह भी एक तरीके से सेन्ट्रलाइज टेन्डेन्सी है । श्रीमन् आजकल के जमाने में भी सेंट्रलाइज मनोवृत्ति के टर्म इस्तेमाल करना और ऐसी बातें कहना जो डेमोक्रेसी के विरुद्ध हों, और जहां सच्चा जनतंत्र हो वहां एक्सटर्नल चेक्स ऐंड बैलेंस की बात करना श्रीमन् मैं जनतंत्र के साथ गद्दारी की बात समझता हूं । जो आदमी कि जनतांत्रिक प्रणाली को मानने वाला हो, जो पार्टी कि श्रीमन् जनतांत्रिक कहलाने का दावा करती हो उस पार्टी या उस पार्टी की सरकार के किसी सदस्य के मुख से यह कहना कि एक्सटर्नल चेक्स ऐंड बैलेंस की जरूरत है, इससे एक खतरा दिखलायी देता है । श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं यद्यपि बहुत पहले ही कहना चाहता था कि एक्सटर्नल चेक्स ऐंड बैलेंस का सबसे बड़ा नमूना एटा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन का चुनाव है ।

श्री मोहनलाल गौतम—अ श्रान ए प्वाइण्ट आफ आर्डर सर । एटा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव के संबंध में इस सदन में काफी सफाई हो चुकी है । जो माननीय सदस्य हाजिर न रहा करें वे इस प्रकार से उन तमाम पिछली बातों को रिपीट न करें और सदन का टाइम वेस्ट न करें ।

(इस समय ३ बजकर ४२ मिनट पर अध्यक्ष के चले जाने पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त, पीठासीन हुये ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—यह तो कोई प्वाइण्ट आफ आर्डर हुआ नहीं ?

श्री राजनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं । चाहता तो मैं नहीं था कि इस तरह का वातावरण सदन में प्रस्तुत करने की माननीय मंत्री जी कोशिश करें । मगर अब मैं आपकी इजाजत से उनको बतला देना चाहता हूं । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि केवल एटा की बात नहीं है, प्रतापगढ़ को ले लीजिये, बलिया को ले लीजिये और श्रीमन् इसी जिले से लगा हुआ जिला सीतापुर को ले लीजिये । इन तमाम जगहों में नये चेयरमैन का चुनाव हुआ । ८ तारीख को श्रीमन् चुनाव के लिये तिथि मुकर्रर हुई, १६ हुई, उसके बाद ३० हुई ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं बता देना चाहता हूं कि कल इस पर बहुत लम्बा वादविवाद हो चुका है । अगर माननीय सदस्य इस पर समय न लें तो बहुत अच्छा हो ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, एक्सटर्नल चेक्स ऐंड बैलेंसेज की बात आई। मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जहां पार्टी क्लिक्स सुप्रीम हो जाया करती है तो एक्सटर्नल चेक्स ऐंड बैलेंसेज के जरिये से बैकडोर तमाम बातें हुआ करती हैं और उसी का ज्वलन्त उदाहरण वह सब है जो मैंने ऊपर कहा है श्रीमन्, आपके आने के पूर्व जनतंत्र के कुशलता से व्यवहार में परिणत होने के लिये एक्स्टर्नल चेक्स ऐंड बैलेंसेज की बात बड़े सरल स्वभाव से माननीय मंत्री जी ने कही। मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों की खिदमत में यह बात पेश करना चाहता हूं और बड़ी नम्रता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि क्या गांधी जी के शिष्य या गांधी जी का नाम लेकर बराबर काम करने वाली यह सरकार आज एक्सटर्नल चेक्स ऐंड बैलेंसेज के नाम पर जनतंत्र को चलाना चाहती है। क्या उन्होंने कभी गांधी जी को पढ़ने की कोशिश की। गांधी जी ने श्रीमन् गांधियन कांस्टीट्यूशन आफ फ्री इंडिया में रिकाल केबारे में क्या लिखा है? मैं माननीय मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि गांधी जी ने स्पष्ट तरीके से रिकाल का समर्थन किया है और कोई भी जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करने वाली पार्टी, जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करने वाला व्यक्ति रिकाल का विरोध आज के युग में कर नहीं सकता। श्रीमन्, रिकाल का विरोध आज के युग में कर नहीं सकता। श्रीमन्, रिकाल का विरोध वही व्यक्ति और वही पार्टी कर सकती है जो जनतंत्र के नाम पर सारी ताकत को सेन्ट्रलाइज करना चाहती है। जिसकी करनी और कथनी में अन्तर रहता है वही पार्टी इस तरीके से एक्सटर्नल चेक्स ऐंड बैलेंसेज की बात करके जनतंत्र को चलाना चाहेगी। श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात की खुशी है कि सरकारी पक्ष इस बात को मान गया है कि कोई संशोधन या कोई विधेयक अगर नन्हा सा होता है तो उसका अर्थ नन्हा नहीं होता क्योंकि आज सरकारी पक्ष की नन्हे से शब्द पर कई बार भ्रकुटी टेढ़ी हुई है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस नन्हें से संशोधन में जरूर गम्भीर घाव करने की ताकत है और उस ताकत के लिये ही माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें। जिस तरीके से श्रीमन् प्राचीन काल में ऐसे कवि हमारे यहां पैदा हुये हैं जिन के दोहे देखने में तो छोटे होते थे मगर वह बाण की तरह चलते थे और उनके घाव गम्भीर हुआ करते थे उसी तरह से यह नन्हा सा संशोधन, मैं अपने सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता कि गम्भीर घाव करने वाला है। उन ताकतों के हृदय में जो कि जनतंत्र के प्रति ईमानदारी और वफ़ादारी नहीं रखते उनसे जनतंत्र के प्रति ईमानदारी और वफादारी की बात करता है। श्रीमन्, जिसके दिल और दिमाग में जनतंत्र के प्रति ईमानदारी और वफादारी होगी वह रिकाल का विरोध नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, यह हमारा दृढ़ और निश्चित मत है। इसलिये श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि मुझे अफसोस है कि जब भी मैं बोलने के लिये खड़ा होता हूं तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं रहा करते। मैं चाहता हूं हमारे ये जजबात माननीय मुख्य मंत्री जी के कानों तक पहुंचें। श्रीमन्, अगर वे यहां होते तो वे स्वयं कहते कि, अगर सत्याग्रह को रोकना चाहते हो तो उसको, जनता को रिकाल का पावर देना ही होगा। श्रीमन्, छोटी सी बात है कि ३३ में हिटलर का चुनाव कैसे हुआ था? आज भी इस सरकार का चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद अगर आज वह वादे जो चुनाव के बीच में किये गये थे उनको वह भूल जायं और बिलकुल गलत कानून बनाने लगें और ऐसा कानून बनाने लगें जिससे जनता का हित न हो तो उस समय क्या होगा? श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जनता के हाथ में वह कौन सी ताकत होगी, कौन सी शक्ति होगी, जिसको लेकर वह सरकार के उस प्रतिक्रियावादी कदम को, उस जनहित विरोधी कदम को और उस किसान मजदूर विरोधी कदम को रोक सकें।

श्रीमन्, हम हथियार नहीं चलाना चाहते, हम तलवार चलाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शांतिमय तरीके से, अहिंसक तरीके से सरकार जो गलत तरीके से कदम उठाती है, वह सरकार हटे या उस गलत काम पर अंकुश लगे। कौन तरीका हमारे पास है? एक प्रशस्त मार्ग सत्याग्रह का है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन में उपस्थित

[श्री राजनारायण]

रहते तो माननीय मंत्री जी से वह कहते कि इस संशोधन को स्वीकार करो क्योंकि यह संशोधन अगर स्वीकार हो जाता है तो एक बहुत बड़ी ताकत और वैधानिक ताकत मिल जाती है और बाहर की दुनिया में सत्याग्रह और वैधानिकता की परस्पर लड़ाई है, बहुत से लोग कहते हैं कि कांस्टिट्यूशनलिज्म के जरिये ही हम को सारे काम करने चाहियें उनका भ्रम दूर हो जाता। मैं आपकी आज्ञा से सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह हमें बतावें और इस सदन को बतावें कि आज अगर मान लीजिये कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है और वह ऐसे काम करती है जो पार्टी के हित में भी न हों, जनता के हित में भी न हो, जो थोड़े से लोग कैबिनेट में हैं, जिस को मंत्रिमंडल कहा जाता है उसी के हित में हों तो क्या अधिकार है जनता के हाथ में उनकी पार्टीज्म की स्प्रिट को रोकने के लिये, उस के कदम को रोकने के लिये ? इतना मौलिक सवाल है। इस मौलिक सवाल के ऊपर माननीय मंत्री जी जो एक बड़ा स्विपिंग रिमार्क दिया करते हैं मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। इस पर गम्भीरता के साथ उनको विचार करना चाहिये। इस पर मनन करना चाहिये और हम उनको मौका देने के लिये तैयार हैं। उनके कमरे में हाजिर होने के लिये भी तैयार हैं। आज जितने भी जनतंत्र के हामी हैं जो कहते हैं जनतंत्र ही देश में एक सफल प्रयोग हो सकता है उनके कुछ मतों को हम उनके सामने पेश करना चाहते हैं। वह चाहें तो इस धारा पर इस समय वादविवाद करना बन्द कर दिया जाय और अपने कमरे में या किसी कामन प्लेस में बैठ कर इस पर विचार करें, इस पर मनन करें, यह हंसने की चीज नहीं है, यह ठिठोली और मजाक में उड़ा देने की बात नहीं है। मुझे ताज्जुब होता, मुझे परेशानी होती है, और उस समय परेशानी होती है जब स्विटजरलैन्ड से लौटने वाले, यूगोस्लैविया से लौटने वाले माननीय मंत्री, इस सरकार के प्रतिनिधि इस तरह की बातें करते हैं। श्रीमन्, अभी हमारे इसी प्रदेश की राजधानी में यूगोस्लैविंया का डेलिगेशन कल आया हुआ था जिससे दारुलशफा के कौंसिलर्स रेजीडेंस के बी ब्लाक में सोशलिस्ट लेजिस्लेटर्स से करीब-करीब दो घंटे तक बातचीत हुई। यूगोस्लैविया एक नया मुल्क है। यूगोस्लैविया सन् १९४५ ई० में फ़ासिज्म तानाशाही के पंजे से छूटा। उसके बाद युगोस्लैविया कौन सा प्रयोग कर रहा है ? उसने सबसे पहले रिकाल का अधिकार दिया और यूगोस्लैविया के डेलिगेशन के मुखारबिन्द से यह बातें स्पष्ट हुईं। जब यह सिद्धांत बराबर कसौटी पर कस कर खरा उतरा है, जब यह सिद्धांत बराबर छन-छन कर प्रच्छन्न रूप में आकर प्रस्तुत हुआ है जिस पर आज सदन का समय नष्ट करने के लिये हठवादिता का परिचय इस संशोधन को न मान कर यह सरकार दे रही है। १९०३ से रिकाल प्रचलित हुआ। उसमें पहले पहल तो जजेज और गवर्नमेंट सरवेंट्स रहते थे। कुछ मुल्कों में उन को भी वापस बुलाने की बात थी। अनुभव ने आगे चल कर बहुत से मुल्कों को बताया कि नहीं जो परमानेंट सर्विसेज में रहने वाले हों उन को रिकाल नहीं करना चाहिये। अगर इस तरह की बात माननीय मंत्री जी कहते तो मैं समझता कि उन्होंने इस को समझने की कोशिश की है और पुस्तकों का अवलोकन भी किया है। लेकिन तमाम बातों को एकदम से नेगलेक्ट कर देना इधर-उधर से पन्नों को लौटने की कोशिश भी न करना मैं समझता हूं कि यह हमारे देश की जनतंत्र प्रणाली के लिये एक बहुत बड़ी घातक चीज है। जब श्रीमन्, बार-बार हमारे माननीय मंत्री जी, हमारी सरकार कहा करती है कि यह तो शैशव काल में भारतीय जनतंत्र है, तो हमें खयाल आता है कि सांप का बच्चा भी तो शैशव काल में रहता है। सांप के बच्चे को क्या दूध पिलाया जायगा ? मैं पूछना चाहता हूं श्रीमन्, आपके जरिये, आज इस सरकार को स्पष्ट तरीके से इस बात को बताना चाहिये कि इस जनतंत्र के लिये सरकार सांप का बच्चा हो रही है या जनतंत्र के लिये एक सरल और सुगम मार्ग देने जा रही है सरकार? मैं समझता हूं कि यह विधेयक जो प्रस्तुत है इसमें जो संशोधन हमारे श्री मदनमोहन उपाध्याय ने पेश किया वह जनतंत्र के विकसित होने के लिये, जनतंत्र के विकास के लिये सुगम और सुलभ मार्ग प्रशस्त करता है और माननीय मंत्री जी की जो हठवादिता है उसको न स्वीकार करने के लिये, वह जनतंत्र के लिये जो सांप का छोटा बच्चा है

उसको दूध पिलाने वाला विधेयक है। इसलिये श्रीमन्, मैं ज्यादा समय न लेकर एक बात कहना चाहता हूं। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने बड़ी आसानी से एक बात उठाई और कह दिया कि अगर संशोधन करने वाले सदस्य टाउन एरिया की जानकारी रखते तो एक हजार की बात कही है वह न कहते। लेकिन बहुत ही धीरता के साथ मैं यह कहना चाहता हूं विरोधी पार्टी के लिये बहुत सी पाबंदियां हैं, विरोधी पार्टी के लिये बहुत सी असुविधायें हैं। सरकार से बार-बार जब हम कहते हैं कि सारी सुविधायें हमें प्रदान की जायं। मगर सरकार की ओर से उन सुविधाओं को हमें प्रदान नहीं किया जाता। बावजूद उन तमाम असुविधाओं के जो सरकार ने आज विरोधी पक्ष के लिये यहां पर उपस्थित कर रखी हैं, मैं आज माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह कौनसा टाउन एरिया है जहां पर एक हजार से कम वोटर हैं। श्रीमन् जानते हैं कि टाउन एरिया के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी अखाड़े में उतरी थी, सोशलिस्ट पार्टी जो पुरानी थी वह भी उतरी थी। मैं बहुत से सम्मानित सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि जिन्होंने यह कहा था कि टाउन एरिया की कमेटियों में बहुत पुराने दकियानूसी खयालात के लोग भरे पड़े हैं, मैं श्रीमन् उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि टाउन एरिया का चुनाव जिस समय हुआ उस समय दोनों पार्टियां अखाड़े में उतरीं थीं और ऐसे बहुत से टाउन एरिया हमें याद हैं जहां पर जम करके लड़ाई हुई। जब कांग्रेस कैण्डीडेट वहां पर हारा तो उस चुनाव को दोबारा करवाने की कोशिश की गयी। आजमगढ़ के जिले में फूलपुर टाउन एरिया है, जहां पर कि सोशलिस्ट पार्टी का कैण्डीडेट खड़े हुये थे, कांग्रेस पार्टी के भी कैंडीडेट खड़े हुये थे और हमारे प्रेसीडेंट जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के हैं वह भी विद्यमान थे और दूसरी ओर से हम भी थे। वहां पर कांग्रेस बिल्कुल चारों खाने चित्त गिरी और ९ की ९ सीटें कांग्रेस की हर गयीं। फिर वहां पर दोबारा चुनाव कराने के लिये नाजायज कोशिशें बरती गयीं और दुबारा चुनाव हुये और उसमें भी ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि अगर कांग्रेस पार्टी हार गयी तो हम बाजार में आयेंगे नहीं, बावजूद उन प्रतिज्ञाओं के कांग्रेस चारों खाने चित्त गिरी। फूलपुर का इतिहास सामने है, माननीय मंत्री जी सामने रख सकते हैं। अब दोबारा चुनाव की कोशिश की गयी। तो जब एक्सटर्नल चेक्स ऐण्ड बैलेंसेज के जरिये से सारी ताकत को माननीय मंत्री जी जनता की लेना चाहते हैं तो यह कोई मामूली चीज नहीं है। यह जहर है जहर और मैं फिर सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जनतंत्र के लिये जो विषैले और जहरीले सांप के बच्चे के रूप में यह विधेयक है उसको वह हरगिज कबूल न करें।

जिस तरह से टाउन एरिया की कमेटियां बनेंगी तो ऐसा टाउन एरिया हमारी जानकारी में नहीं होगा कि उसमें एक हजार से कम वोटर हों। अगर एक हजार से कम वोटर हों या एक ही हजार हों तो सब के सब वोटर के लिये ले आयेंगे। मगर केवल एक छोटी सी बात को पकड़कर माननीय मंत्री जी का यह कहना यह किसी जनतंत्र के लिये शोभा की बात है। यह कहना कि अगर माननीय सदस्य को यह जानकारी होती तो न रखते, मैं कहता हूं, हमारी जानकारी है या नहीं लेकिन यह सरकार की जानकारी है और सरकार इसे दुरुस्त करे। सरकार बतावे, सरकार की तरफ से संशोधन आये कि हम १ हजार की जगह ५०० रखना चाहते हैं। मगर श्रीमन्, यह कौन सी बड़ी बुद्धिमत्ता है, यह कौन सी दूरदर्शिता है और यह कौन सी साम्य भाव के प्रदर्शन की पालिसी है कि जरा सी बात को ले लिया। १ हजार है या नहीं। मैं फिर भी कहता हूं कि किसी भी टाउन एरिया में १ हजार से कम सदस्य नहीं हैं और अगर हैं तो माननीय मंत्री जी सिद्ध करें तो हम उसको ठीक कर लेंगे, कम कर लेंगे। यह तो एक ऐसी छोटी सी बात है जिसके ऊपर आकर के माननीय मंत्री जी ने एक लम्बी सी तकरीर कर दी लोगों को, सदन को गुमराह करने के लिये कि इतनी बड़ी खोज की है माननीय मंत्री जी ने। १ हजार की फिगर की बात करके जब माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह संशोधन कैसे माना जा सकता है तो श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निहायत अदब के साथ माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि १ हजार की बात जो है इस संशोधन में उसकी फिगर को कम कर दें और श्रीमन् मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं

[श्री राजनारायण]

और अपने मित्र मदनमोहन उपाध्याय से भी कहने के लिये तैयार हूं कि जो इसका क्लाज है उसी को निकाल दें। अगर सरकार और हमारे माननीय मंत्री जी इस बात को मानें तो हम समझते हैं कि माननीय मदनमोहन उपाध्याय को यह एक हजार की शर्त को रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि एक हजार की शर्त तो सरकार की आसानी के लिये हमने रखी और आजकल तो किसी की सहायता और मदद करना भी गुनाह हो जाता है। तो सरकार की जो सहायता करने की बात हुई उसको बिलकुल बौद्धिक तरीके पर विचार करने की पालिसी सरकार अख्तियार नहीं करती बल्कि सरकार उसको व्यंग का आधार बनाना चाहती है। तो श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से फिर एक बार माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी व्यंग्यात्मक आवेशों को और व्यंग्यात्मक इशारों को लेकर इस सदन में काम करेंगे तो सदन का समय ही नष्ट होगा, सदन का समय बचेगा नहीं। इसलिये इसमें जो सार है, जो बौद्धिक भाव है, इसमें जो दार्शनिक तत्व है, जो रचनात्मक सुझाव है उस रचनात्मक सुझाव की ओर माननीय मंत्री जी ध्यान दें। माननीय मंत्री जी बतायें, इस पर विचार करें कि अगर यह रिकाल का अधिकार दे दिया जायगा तो इसमें कौन-कौन सी खराबियां होंगी, कौन-कौन से दोष आ जायेंगे यह बतायें तब तो मैं समझ सकता हूं श्रीमन् कि माननीय मंत्री जी इस बात पर जरा उदारता, व्यापकता और जनतांत्रिक तरीके पर सोच रहे हैं। मगर श्रीमन्, एक तो जनतंत्र को सुरक्षित रखने का हमारा यह संशोधन और इस संशोधन को भी न मानें, सरकार की ओर से यह रुख अख्तियार किया जाय और दूसरे सरकार की ओर से व्यंग करने के लिये जो उसमें से कोई बात चुने तो ऐसी बात चुने कि १ हजार की फिगर क्यों रख दी। तो निकाल दीजिये १ हजार की फिगर। हमारे साथी मदनमोहन उपाध्याय इस पर अपनी सहमति प्रदान करेंगे और संशोधन के इस अंश को वापस ले लेंगे। अगर एक हजार की बात हमारे इस संशोधन के मानने में सरकार के लिये बाधा पैदा करती है तो माननीय मदनमोहन उपाध्याय खुद इस अंश को वापस ले सकते हैं। १ हजार की फिगर को ५०० कर सकते हैं, ४०० कर सकते हैं। मगर यह तो जनतांत्रिक चेक ऐंड बैलेंस है। श्रीमन्, हम एक्सटर्नल चेक ऐंड बैलेंस की बात नहीं करते हैं। इसकी बात तो एक्सटर्नलिज्म को मानने वाली जो सरकार है वही करती है। हम तो भीतर से जो चाहते हैं वही बाहर रखना चाहते हैं और जो एक्सटर्नलिज्म में बीलीव करते हैं वही बाहरी आवरण को ज्यादा रखते हैं, बाहरी बातों को दिखावे के रूप में रखते हैं। उसमें तत्व क्या होता है, न्यून होता है, शून्य होता है। जो तात्विक तरीके से, जनतांत्रिक तरीकें से आज मान्यतायें हैं जनतंत्र के बारे में उन मान्यताओं को सामने रखते हुये मैं पुनः माननीय मंत्री महोदय से यह अपील करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस भाव को लें और इस भाव को ग्रहण करके वह इस संशोधन को स्वीकार करें। इसी में सरकार की शोभा है, इसी में माननीय मंत्री जी की शोभा है और इसी में हमारे इस सदन की शोभा है। यह उत्तर प्रदेश का सदन जो एक शानदार क्रांतिकारी और आगे चलने वाला विधेयक बनायेगा वह सब के लिये आदर्श की बात होगी। और इसी विधेयक को बना करके हम ठंडी सांस से एक बार उस राष्ट्रपिता के कदमों पर श्रद्धांजलि भी अरपित कर सकते हैं जिसने अपने कांस्टिट्यूशन आफ फ्री इंडिया में रिकाल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री जी ने एक छोटी सी बात कहकर ही मेरे इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया। मैं तो इस उम्मीद में बैठा था कि माननीय मंत्री जी यूरोप में भी घूम के आये हैं, ऐसे मुल्कों में भी गये हैं जहां रिकाल की प्रथा जारी है, इसीलिये उनसे सुनता कि यह यह इसमें यह बुराइयां हैं और उनकी वजह से हम इसको टाउन एरिया कमेटी में लागू नहीं कर सकते। यदि ऐसा वे करते तब भी हमें कुछ तसल्ली हो जाती। इस प्रकार बुराइयां तो उन्होंने बतायीं नहीं लेकिन सिर्फ साइड ट्रैक करने के लिये उन्होंने केवल इतना कह दिया कि इस संशोधन को प्रस्तुत करते समय मैंने टाउन एरिया की पौपुलेशन

को या टाउन एरिया की वोटर्स लिस्ट को नहीं देखा। इसके बारे में विरोधी दल के माननीय नेता जी ने काफी सफाई कर दी है। जैसा उन्होंने कहा है, यदि माननीय मंत्री जी राजी हों तो मैं एक हजार की संख्या को कम करने के लिये तैयार हूं। किसी टाउन एरिया में चार हजार वोटर हैं या जितने भी वोटर हैं उनमें से २५ फीसदी आदमी अगर पेटीशन दे देते हैं तो उस पेटीशन पर वह रिकाल हो जायगा, ऐसा मैं करने के लिये तैयार हूं। मैं समझता हूं कि आज जितनी टाउन एरियाज हैं उनमें एक हजार से कम वोटर्स तो शायद कहीं भी नहीं होंगे। अगर वे चाहते हैं कि जनता न हटा सके तो जैसा कहा गया इससे भी हो जायगा कि दो-तीन हजार वोटर्स में से एक हजार का दस्तखत करना मुश्किल हो जायगा, तो फिर उसी चेयरमैन को अधिकार मिल जायगा और वह हटेगा नहीं। अब मैं और ज्यादा क्या कहूं। यदि उधर से कोई जवाब मिला होता और कोई बुराई बतलाई गयी होती, तो मैं उसकी सफाई कर देता। मैं इसीलिये पहले भी नहीं बोला था क्योंकि मैं समझता था कि माननीय मंत्री जी शायद कुछ हमें बतायेंगे लेकिन उन्होंने इस बात की कोशिश नहीं की। बहुमत के घमंड पर केवल इतना कह दिया कि हम इसे मानने के लिये तैयार नहीं हैं, यह नहीं हो सकता है इन्होंने तो लिस्ट ही नहीं देखी, आबादी ही नहीं देखी। हम इस बात को प्रेस करना चहते हैं और चाहते हैं कि रिकाल के तरीके को हमारे प्रान्त में अवश्य चालू होना चाहिये और टाउन एरिया ही एक ऐसी जगह है जहां इसका सब से पहले एक्सपेरीमेंट हो सकता है। यदि हम ऐसा करेंगे तो और प्रान्त भी हमारा अनुसरण कर सकते हैं। पंचायत राज ऐक्ट सबसे पहले हमारे यहां लागू हुआ था और फिर बाद में और प्रांतों ने उसको अपने यहां लागू किया। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसपर फिर विचार करें। बहुमत के घमंड पर वे इसे न देखें, और यदि यह मालूम हो कि यह ठीक है तो इसे मानें और नहीं तो हमें इसकी खराबियां बतावें। मैं यह जानना चाहता हूं कि डिमोक्रेसी के नाम पर जो लोग राज्य करना चाहते हैं क्या वे इसे कभी लागू नहीं करेंगे ? मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र के लिये, जैसा हमारे माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा, रिकाल का तरीका बड़ा जबरदस्त चेक है। अगर सचमुच आप डिमोक्रैसी को पनपाना चाहते हैं तो रिकाल के तरीके को आप को बड़ी स्टेजेज में भी करना पड़ेगा जैसा कि स्वीटजरलैण्ड के अन्दर है। इस समय तो कम से कम जो टाउन एरियाज हैं, जहां सफाई का काम होता है, जहां छोटे बच्चों की शिक्षा का सवाल आता है, जहां गलियों में रोशनी का सवाल आता है, वहां भी अगर आप रिकाल के तरीके को नहीं लाना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये डिमोक्रेसी के नाम पर दोहाई देने वाले डिमोक्रेसी अच्छी तरह से चला सकते हैं। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लें। वैसे तो हमारा कहना बेकार जाता है, वह हमारी बात को मानते नहीं ह, भली बात को भी नहीं मानते हैं, न हमको समझाते हैं कि इसमें ख़राबी क्या है। शायद फिर बाद में बतलाने लगें। मेरे पास एक किताब है, इनसाइक्लोपीडिया उसमें इसके गुण बताये गये हैं। खराबी जो कुछ थी वह तो मैंने बता ही दी। और देशों में तो एलेक्टिव पोस्ट्स में जो जजेज छांटे जाते हैं वहां की जनता ने कहा कि जजों को भी हटा देना चाहिये। पहले तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स को भी हटा दे थे लेकिन बाद को उन्होंने कहा कि जजेज न हटाये जायं। इसमें जो खराबियां थीं वह मैंने बतायीं लेकिन ज्यादातर इसमें भलाई ही भलाई है। मुल्कों के नाम मैंने बता ही दिय। इसीलिये यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह कोई नयी चीज है। इसका एक्सपेरीमेंट हो चुका है और सब लोगों ने कहा है कि यह बड़ी अच्छी चीज है, इससे डिमोक्रेसी पर काफी चेक होता है। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रान्त में भी यह चीज शुरू हो जाय। लेकिन न मालूम क्या वजह है कि माननीय मंत्री जी उसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं। मुझे फिर आशा है कि हमारे माननीय विरोधी दल के नेता के भाषण के सुनने के बाद वह इसे स्वीकार करेंगे। माननीय मंत्री ने कहा कि बहुत से टाउन एरियाज ऐसे हैं जहां आबादी एक हजार से कम है। तो टेहरी-गढ़वाल में या और शायद एक आध ऐसे टाउन एरियाज हों जहां की आबादी कम हो नहीं तो इस प्रान्त के अन्य जितने भी टाउन एरियाज हैं उनमें एक हजार से कम की आबादी नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी हमारे

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

सिद्धांत को मानने के लिये तैयार हों तो मैं एक हजार को परसेंटेज में बदल दूंगा कि २५ परसेंट अगर ऐसे वोटर्स किसी टाउन एरिया में हों, चाहे जितनी आबादी उस टाउन एरिया की हो, (अगर किसी की आबादी एक हजार है तो उसका २५ परसेंट हो जायगा,) तो हटा दिया जायगालेकिन वह मानें तो। क्या वजह है कि आप नहीं मानते? कोई बुराई है तो उसे बता दें।मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारी इस बात को स्वीकार कर लेंगे ।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों से तो कम से कम यह आशा करूंगा जो अगर मेरी निगाह उनकी तरफ न हो और कान हों उस वक्त भी अपने बात सुनने के लिये मेरा ध्यान दिलाया करें तो अपना भाषण देने के बाद मेरा उत्तर सुनने की भी क्षमता उनमें होनी चाहिये और वह इस सदन में मौजूद हों । मैं आशा करता हूं कि इस बात का वह माननीय सदस्य जरूर ध्यान रखेंगे। यह एक बार नहीं कई बार हो चुका है और रूल्स तो नहीं हैं लेकिन कम से कम इस सदन की इज्जत का तकाजा तो जरूर है कि जो सदस्य क्रिटिसाइज करें वह उसका उत्तर सुनने के लिये भी तैयार रहा करें।

एक बड़ी मुश्किल यह है कि संशोधन पेश किया जाता है और कहते हैं कि लफ्जों पर न जाइये, हमारा भाव समझ लीजिये । यह कोई फ़िलासफ़ी की सोसायटी नहीं है जहां भाव समझा जा रहा है । यह लेजिस्लेचर है । यहां के एक-एक लफ्ज की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में व्याख्या होती है, वकील लोग देखेंगे और—फैसले होंगे और कह दिया जाता है कि हमारा भाव समझ लीजिये लफ्जों पर न जाइये। साहब यह तरीका इस भवन का नहीं है। इस सदन में एक एक लफ्ज पर बहस हो कर कानून बनता है । बगैर लफ्जों पर ध्यान दिये हुये कानून बनाना गलत होगा और इस गलती को, मेरा खयाल है, कोई माननीय सदस्य यहां पर दोहराया न करें। माननीय मदन मोहन जी ने अमेंडमेंट तो रखा है ।

"Provided that a thousand voters petition for recall."

और कहते हैं कि कोई भी टाउन एरिया कमेटी ऐसी नहीं है जिसकी एक हजार से कम की आबादी होती हो। अगर उनका यह मतलब है कि आबादी का हर प्राणी वोटर होता है तो वह ग़लतफहमी में हैं। कहते हैं कि एक हजार आदमियों के दस्तखत होने चाहिये और फिर कहते हैं कि कोई टाउन एरिया कमेटी ऐसी नहीं है जिसकी आबादी एक हजार से कम हो। दो हजार की आबादी होगी तब कहीं जाकर एक हजार वोटर्स होंगे यह बात मान कर हमें चलना चाहिये। मैं आपको ऐसी टाउन एरिया कमेटीज ४-६ गिनाये देता हूं। मेरठ जिले में बाबूगढ़ है, मैनपुरी में हरहा है, अल्मोड़ा में सियौरागढ़ है। मुझ से नाम मांगे गये थे इस लिये नाम पढ़े देता हूं। ताकि कोई ग़लतफहमी न रह जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—वोटर्स कितने हैं यह भी पढ़ दीजिये।

श्री मोहनलाल गौतम—मिर्जापुर में धौलावार, जौनपुर में किराकत और बाराबंकी में टिकायतनगर और सकरित। इतने टाउन एरियाज मैं देख पाया हूं जिनकी आबादी दो हजार से कम है और यह मान कर चलना चाहिये कि जहां की आबादी दो हजार से कम है वहां पर वोटर्स भी एक हजार से कम हैं।

श्री राजनारायण—यह कब के फीगर्स आप दे रहे हैं ।

श्री मोहनलाल गौतम—यह १९५०-५१ के फीगर्स मैं दे रहा हूं। अब यह पूछा गया है कि उसमें क्या-क्या दिक्कतें हैं जो बतलाई जाती हैं। मैंने रिकाल के महत्व को उसकी खूबी को बहुत ज्यादा बयान करने की बात नहीं कही थी। मैंने उसका सिद्धान्त रूप में कोई विवेचन नहीं किया था और न विरोध ही किया था। लेकिन माननीय सदस्य जो यहां मौजूद नहीं हैं और जो जानबूझकर यह समझें कि इसका विरोध हुआ और उस पर १०-५ मिनट खर्च करें तो मैं उसका जवाब देने की जरूरत नहीं समझता।

जहां तक बैलेन्सेज और चेक्स के ऊपर जो लम्बे चौड़े भाषण दिये गये हैं तो उसमें कुछ समझने की कमी रह गई है और वह यह है कि यह लेजिस्लेचर जो एडल्ट फ्रैंचाइज पर चुना हुआ है और यह गवर्नमेंट भी जो उसी बेसिस पर चुनी हुई है, उसके बाहर भी कोई अथोरिटी ऐसी है, जिसको इनके बनाने और बिगाड़ने का अधिकार है। इसकी खराबी को देख कर वह इस लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट पर कंट्रोल कर सकती है और बना बिगाड़ सकती है। वह इस दायरे से बाहर है अर्थात् हमारी पार्लियामेंट और प्रेसीडेंट। यह एक्सटर्नल हैं इंटर्नल नहीं हैं। यह इस विधान में मौजूद है। इसको मैं समझता हूं कि राजनीति शास्त्र के पंडित समझने की कोशिश करें। यह कोई डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है। सेंट्रेलाइज और डिसेंट्रेलाइज से जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी से ताल्लुक रखती हो। इंगलैंड में सेंट्रेलाइज गवर्नमेंट है और वह सारा काम करती है। सेंट्रेलाइज और डिसेंट्रेलाइज के माने जरूरी नहीं हैं कि वह डेमोक्रेसी है। जो सेंट्रेलाइज है वही डेमोक्रेसी है या जो डिसेंट्रेलाइज है वह डेमोक्रेसी है। यह डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं ऐसी कोई बात नहीं है। डेमोक्रेसी का तो सांप दिखाई देने लगा और दूध पिलाने की बात होने लगी और बिहारी कवि के दोहे याद आने लगे। मालूम होता था कि घाव बड़े गम्भीर थे। बिहारी श्रृंगार रस के एक बड़े भारी कवि थे। उनके एक एक रस के दोहे में बड़े गम्भीर और गहरे घाव हैं और मुमकिन है कि माननीय नेता विरोधी दल को वही घाव याद आ गये। कोई अंगार के रस में पिसे होंगे मैं नहीं जानता उनकी बात सुनकर बिहारी का वह दोहा ---याद आता है।

"सत सैया को दोहरा जिन नावक के तीर।
देखन में छोटो लगे, घाव करैं गम्भीर।।"

श्री मदनमोहन उपाध्याय---माननीय मंत्री जी राजनीतिज्ञों को श्रृंगार रस से अलग तो नहीं समझते ?

श्री मोहनलाल गौतम---अभी तक तो मैं समझता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल उससे अलग हैं लेकिन उपनेता की यह राय है कि वह उससे अलग नहीं हैं, तो मैं उनकी राय की कद्र करता हूं। अब जहां तक इसकी खराबियों का सम्बन्ध है इसकी खराबियां मैंने पहले भी कहीं, उनको थोड़े से में फिर कह दूं। जब रिकाल की बात याद आती है तो रिकाल में कई बार ऐसे छोटे छोटे मामलों को लाकर देखा। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जब कोई काम करता है और एक मामूली छोटा सा टाउन एरिया हो वहां अगर उसमें आप रिकाल लागू कर दें और जैसा हमारे यहां रहन-सहन है उसमें कई बार इस सवाल को उठाया जा सकता है और जिस तरह से उन्होंने मतदाताओं की संख्या को संशोधित किया कि वोटर्स का २५ परसेंट कर दें। मान लीजिये दो कैंडिडेट्स हैं एक को ६० फीसदी और दूसरे को ४० फीसदी वोट मिले। जिसको ४० परसेंट मिले उसने २५ परसेंट पर फिर रिकाल की मांग की और फिर रिकाल हो और फिर दूसरे को ६० फीसदी मिल जायं तो फिर रिकाल की मांग होगी। रिकाल हो गया, वोटिंग हो गई और चेयरमैन वहां का वहीं रहा। कई छोटे छोटे झगड़े खड़े हो जाते हैं जिनका स्थायी रूप में कोई महत्व नहीं होता। किसी वक्त जनता को गुस्सा आ गया इस बात से कि बूचरखाना कहां बनेगा। इस तरह का सवाल लाकर कोई बात पैदा हो जाय तो मुसीबत हो जायगी। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने रिकाल की खूबियों और बुराइयों पर बहस नहीं की थी। मैं तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज बतला रहा था और वे यह हैं कि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है और परेशानियां होती हैं। दो एक जगह के नाम भी उन्होंने लिये जहां यह रिकाल का सिस्टम रायज है जैसे एलिजोनिया। ऐसे ये मुल्क हैं जिनका नाम सुनने के बाद भी मुझे याद नहीं रहा और

[श्री मोहनलाल गौतम]

जिनको मैंने कभी जुगराफिया में नहीं पढ़ा था। इंगलैण्ड की बात उन्होंने नहीं कही, रूस की बात जरूर कही। रूस में कहा गया कि रिकाल का अधिकार है। इसके क्या मानी हैं कि जिसको जनता चाहे जिस वक्त निकाल दे। जब यह मानते हैं तो रूस का कांस्टीटयूशन डेमोक्रेटिक आधार पर है। अगर यह नहीं मानते कि रूस में जो सिस्टम है उसके अनुसार पार्टी कंट्रोल करती है, पार्टी को कंट्रोल करता है पोलिटब्यूरो और पोलिटिब्यूरो को कंट्रोल करता है एक व्यक्ति और वही व्यक्ति तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है तो फिर रूस की मिसाल डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट में नहीं आती। एक बात आप देखेंगे कि रिकाल का जो सिस्टम है वह पीछे हट रहा है। यह अभी छोटे मोटे मुल्कों में है। बड़े मुल्कों में प्रचलित नहीं है। जहां नये कांस्टीटयूशन बन रहे हैं वहां रिकाल को कोई स्थान नहीं मिला है। अमेरिका में थोड़ी सी स्टेट्स में यह रिकाल का सिस्टम है। इसलिये रिकाल को डेमोक्रेसी के लिये एक जरूरी अंग मानना और उसके बगैर उसको सांप या जहरीला सांप पुकारना और यह कहना कि बगैर रिकाल के डेमोक्रेसी सेफ नहीं है, इस तरह की बातें करना मेरे खयाल में कुछ अक्लमंदी नहीं है। जोर से, उत्साह से या किसी गुस्से में आकर बात करने से किसी के पक्ष का प्रतिपादन नहीं हो सकता है। मैं इन बातों का जवाब क्या दूं लेकिन यह जरूर समझता हूं कि टाउन एरियाज को इन झंझटों से बचाया जाय नहीं तो जो वहां पर थोड़ा बहुत काम हो रहा है उसमें भी दिक्कत पड़ जायगी और उसमें और खराबी ज्यादा बढ़ जायगी इस चीज को टाउन एरियाज में लागू न किया जाय यह मेरी राय है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं स्पष्टीकरण के लिये एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा कि उनको और मुल्कों का नाम मालूम नहीं है····

श्री मोहनलाल गौतम—यह स्पष्टीकरण की बात नहीं है। यह भ्रम हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं इसके लिये स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं मालूम होती है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ८ को उपखंड (१) के रूप में परिणत किया जाय तथा निम्नलिखित नये उपखंड (२) के रूप में जोड़ दिया जाय—(२) मूल अधिनियम की धारा ७-ए की उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित उपधारा (३) जोड़ दी जाय—

"(3) A Member or Chairman may be removed if recalled by the electorate of his constituency.

Provided that a thousand voters petition for a recall,

Provided further that the number of voters cast in favour of a recall is at least sixty per cent. of the votes polled at the last elections by the Member or Chairman concerned,"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१६

विपक्ष में—११७।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९

९—मूल अधिनियम की धारा ८-ए में—

(१) खंड (३) में शब्द "Resignation of Chairman" के बाद शब्द, "or where the election has been set aside in pursuance of an election petition presented under this Act" रख दिये जायं। — यू० पी० एक्ट २, १९१४ की धारा ८-ए का संशोधन।

(२) खंड (४) में शब्द "of office of the members' निकाल दिये जायं, और

(३) खंड (४) के बाद निम्नलिखित नया खंड (4-A) के रूप में रख दिया जायगा—

"(4-A) No election of the Chairman shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided for by or under this Act."

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १०

१०—मूल अधिनियम कीधारा १० की उपधारा (२) में शब्द और संख्या "Rs.15" के स्थान पर शब्द और संख्या "Rs. 30" रख दिये जायंगे। — यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा १० का संशोधन।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ११

११—मूल अधिनियम की धारा ११ के बाद निम्नलिखित नई धारा (11-A) के रूप में रख दी जाय— — यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ में एक नयी धारा ११-ए का रखा जाना।

"11-A. A Committee, if so required by the State Government, shall employ an Accounts Officer nominated by the State Government either exclusively or jointly with one or more local authorities on such terms and conditions as may be prescribed by the State Government." — Appointment of Accounts Officers,

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा १४ का संशोधन।

१२—मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) में वर्तमान खंड (f) के बाद निम्नलिखित नया खंड (g) रखा जाय—

(g) any other tax being one of the taxes mentioned in sub-section (1) of section 128 of the U. P. Municipalities Act, 1916;"

श्री शिवदान सिंह (जिला अलीगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्न संशोधन पेश करना चाहता हूं :

खंड १२ की पंक्ति २ में शब्द "रखा जाय" के बाद शब्द "और हमेशा रखा हुआ समझा जाय" जोड़ दिये जायं।

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के सभी टाउन एरियाज की यह मांग प्रायः रहती है कि उनके टैक्स लगाने के अधिकार क्षेत्र को विस्तृत किया जाय जिससे उनकी माली हालत सुधर सके और उनके सामने जो आर्थिक कठिनाइयां हैं वह दूर हों और वह अपने यहां के रहने वालों की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा कर सकें। इस मांग का समर्थन सदन के सभी सदस्य बराबर करते रहे हैं और इसी को ध्यान में रख कर सरकार टाउन एरियाज को यह अधिकार देने जा रही है कि म्युनिसिपल ऐक्ट की धारा १२८ की उपधारा १ में जिन टैक्सेज का वर्णन है उनको टाउन एरियाज भी अपनी सीमा में लगा सकें। इसके लिये हमें सरकार को धन्यवाद देना चाहिये। कुछ ऐसे टाउन एरियाज हो सकते हैं जिन्होंने अपनी आर्थिक कठिनाई दूर करने के लिये बुद्धिमत्ता से काम लिया हो और कोई ऐसे टैक्स अपने यहां पहले से लगा लिये हों। तो यह जरूरी है कि ऐसे टैक्सों को लीगलाइज किया जाय नहीं तो वे बोर्ड बड़े संकट में पड़ जावेंगे। सरकार इस बात को देखते हुये कि उन टाउन एरियाज ने बुद्धिमत्ता से काम लिया और अपनी आर्थिक हालत सुधारी है, उनकी सहायता करे और मेरे संशोधन को मान ले, ऐसी मुझे आशा है। उनकी हमें दाद देनी चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ की पंक्ति २ में शब्द "रखा जाय" के बाद शब्द "और हमेशा रखा हुआ समझा जाय" जोड़ दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं—

खंड १२ द्वारा प्रस्तावित धारा १४ की उपधारा (१) के नये खंड (g) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"Provided that in case a tenant found himself unable to pay his tax in cash, he should be permitted to give its equivalent in labour."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि शायद यही आखरी संशोधन है और इस पर इस ढंग से विचार होना चाहिये कि हम सही मानों में जो कस्बों में ग़रीब जनता बसती है उसकी तकलीफ को कुछ रफ़ा कर सकें। इसमें संदेह नहीं और यह निर्विवाद है कि जिस तरह गांवों में लोग बेरोजगार हैं वैसे ही शहरों में या कस्बों में भी बेरोजगार ग़रीब लोग मिलेंगे। क़स्बों में लगभग हर आदमी को कुछ न कुछ

टैक्स देना होता है। यह बात सही है कि टैक्स आमदनी के अधार पर लगाये जाते हैं। पिछले ज़माने में आय कुछ ठीक रही हो लेकिन आईन्दा समय में डिप्रेशन आने वाला है और उसमें मंदी होगी भले ही, मगर मज़दूरी भी घटेगी और चाहे मज़दूरी भले ही घट जाय, काम भी घटेगा क्योंकि क़स्बों में जो बहुत ज्यादा काम चलते थे वे नहीं चल सकेंगे। पुराने ज़माने के जो टैक्स उन पर लगाये हुये हैं उनकी वसूली में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। मैं यह भी समझता हूं कि किसी मुल्क की सरकार का यह पहला फर्ज होता है कि बेकारी दूर करे। इस बेकारी के मसले को हल करने के लिये मालूम नहीं सरकार को कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, उसका मान माननीय स्वशासन मंत्री जी या सरकार को होगा। इसमें मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं केवल उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यदि टैक्स देने की क्षमता किसी में नहीं है, अगर वह टैक्स देने के काबिल न रह जाय तो वैसी हालत में उसको इतनी आज़ादी हो और टैक्सिंग अोथोरिटी को यह पावर हो कि वे उससे श्रम लेकर उसे टैक्स से मुक्त कर दें। अगर हम यह कहते कि जिन लोगों को टैक्स देने की क्षमता नहीं है उन लोगों को कतई टैक्स देने से मुक्त कर दिया जाय, इसमें एक कठिनाई पड़ सकती है इसलिये मैंने यह सोचा कि अगर उससे श्रम लेकर उसे टैक्स से मुक्त कर दिया जाय तो यह एक बीच का रास्ता है अब सवाल यह उठ सकता है कि इस प्रकार का कौन सा काम कराया जाय लेकिन इसके लिये शहरों में और गांवों में क्या क्या काम लिये जायं, यह सोचना ही होगा कि इसको किस तरह के काम में लगाया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार का उत्तर देना कि क्या काम लिया जाय हमारी बुद्धि की क्षमता के लिये कलंक की बात होगी। तो इस प्रकार मैं समझता हूं कि जिन लोगों की ऐसी शक्ति नहीं है कि वे टैक्स अदा कर सकें उन्हें श्रम के रूप में टैक्स अदा करने की आज़ादी दी जाय। मैं इतना कह कर माननीय स्वशासन मंत्री से सलाह चाहूंगा कि अगर उनके आदेश की प्रतीक्षा करूंगा कि वे इस सदन में अपनी क्या राय कायम करते हैं और उन ग़रीब लोगों के लिये वे क्या व्यवस्था रखना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस भावना से यह संशोधन रखा गया है मैं उसकी सराहना करता हूं। जो ग़रीब आदमी टैक्स देने का सामर्थ्य नहीं रखते, जो बेकार हैं जिनको मजदूरी नहीं मिलती, उनसे टैक्स के बदले में काम करा लिया जाय और टैक्स के लिये उनकी कुर्की न हो। वह टैक्स श्रम रूप में दे सकता है। परन्तु इसमें बहुत दिक्कतें हैं। टैक्स के बदले में अभी तक श्रमधन देने की प्रथा न तो कहीं किसी म्युनिसिपैलिटी में है और न किसी टाउन एरिया में ही। अब लेबर में किस चीज़ को लेंगे यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मान लीजिये एक सुनार है वह कहता है कि मैं टैक्स नहीं दे सकता, मुझसे लेबर ले लीजिये। अब वह अनस्किल्ड लेबर तो कर नहीं सकता। फावड़ा, कुदारी, टोकरी लेकर सड़क कूटने का काम तो वह कर नहीं सकता तो फिर उससे कौन सी लेबर ली जाय। वह कहता है कि अन स्किल्ड लेबर तो मैंने कभी नहीं की तो फिर टाउन ऐरिया में जेवर तो बनवाये नहीं जाते हैं फिर उसको कौन सा काम दिया जायगा। इसके लिये टाउन एरिया के पास काम होने चाहिये जिससे वह लेबर को लगा सके। मान लीजिये कि एक इंजीनियर है वह रिटायर हो गया और किसी कारण से उसकी हालत ख़राब हो गयी। आप कहेंगे कि उससे कहीं भी कंस्ट्रक्शन्स के ऊपर सुपरवाइज़ करने का काम लिया जा सकता है। लेकिन कंस्ट्रक्शंस जब होंगे लेकिन अगर आज कंस्ट्रक्शन्स नहीं है तो उससे लेबर की शक्ल में टैक्स लेने का कौन सा साधन है। उसके लिये एक बहुत बड़े संगठन की आवश्यकता है। जब तक वह संगठन मौजूद नहीं है तब तक यह करना बहुत मुश्किल है। अगर हां झाड़ू देने की बात हो और दस पांच आदमी इसके लिये राज़ी भी हो जायं तो हो सकता है लेकिन हर एक आदमी झाड़

[श्री मोहनलाल गौतम]

देने के लिये तैयार न होगा इसमें बहुत से झंझट पैदा होंगे। इसके लिये ज्यादा अच्छा तो यही होगा कि जब एक अच्छा संगठन इस चीज का हो जाय और इसको वर्क आउट करके देख लिया जाय। मेरी प्रार्थना होगी माननीय गेंदा सिंह जी से कि इसका रूप अगर एकआध गांव सभा ले लें और वे खुद वर्क करें और जब उसकी रूपरेखा बने तो फिर उसको और गांव सभाओं में लागू किया जाय। उसके बाद कहीं टाउन एरिया का सवाल आ सकता है। इसलिये यह दिक्कतों से खाली नहीं है और मुझे अफसोस है कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। आशा है कि माननीय गेंदा सिंह जी इसके बाद इसे वापस ले लेंगे।

श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय स्वशासन मंत्री जी ने अपनी राय जाहिर की उसकी मैं भी सराहना करता हूं। उनकी राय मेरी राय से कुछ ज्यादा भिन्न तो नहीं मालूम हुई लेकिन व्यावहारिक कठिनाइयां उनके सामने आयीं जिसकी वजह से उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। दो एक कठिनाइयों का जिक्र उन्होंने किया। उस संबंध में मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सोनार, बढ़ई, लोहार या कुछ इंजीनियर्स, इस तरह के लोगों की बात की गई है और उनके सामने टैक्स न देने की बात उठ सकती है लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि कोई इंजीनियर अभी तक देश की अवस्था में ऐसा नहीं है जो टैक्स न देकर शारीरिक श्रम देने की बात करे क्योंकि उसकी हैसियत ऐसी है कि टाउन एरिया का जो टैक्स होता है वह इतना कम होता है कि वह शारीरिक श्रम देने की बात नहीं सोच सकता। सोनार या दूसरे लोगों के लिये बात जरूर उठ सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी ने सोनार की चर्चा करके एक समस्या खड़ी जरूर की और उसका उत्तर मैं नहीं दे पाता हूं कि टाउन एरिया के बख्शी जी के पास या टाउन एरिया के दूसरे अधिकारियों के पास गहना गढ़ाने की ताकत होगी या नहीं। उसमें सोनार ही एक ऐसा सोच सकता है कि उसके लिये और तरह की बात सोची जाय। लेकिन कस्बे के केवल सोनार के लिये किसी कानून की इतनी बड़ी कठिनाई को हटाया न जाय यह कुछ उचित नहीं मालूम होता है। हमारा ख़याल है और इस तरह की हमारी धारणा है कि सोनार सम्भवत: टैक्स न देने के एवज में शारीरिक श्रम देने की बात सोचेगा ऐसी बात नहीं है। सोनार कुछ कमाने वाले लोग होते हैं। हालांकि इस वक्त मन्दी के जमाने में कुछ उनकी रोजी खराब होने लगी है। एक बात मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिये कि जिनके लिये कोई काम नहीं दिया जा सके, टाउन एरिया कमेटी कोई धन्धा उनको न दे सकती हो और दूसरी तरफ उनमें इतनी शक्ति न हो कि वे टैक्स अदा कर सकें तो फिर वैसी हालत में मैं समझता हूं कि हमारा जो संशोधन है उसमें अगर माननीय स्वशासन मंत्री जी स्वीकार करें तो यह बढ़ा दिया जाय यानी इधर उधर कुछ घटा बढ़ा दिया जाय कि "फिर उस टैक्स से उसे मुक्त कर दिया जाय।" उससे टैक्स लिया ही न जाय। इस प्रकार मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी की कुछ कठिनाई दूर हो जायगी और कुछ हद तक जो बात हम कहना चाहते हैं वह भी पूरी हो जायगी और जो लोग गरीबी में हैं या गरीबी में होंगे उनके संकट का भी कुछ इलाज हो जायेगा। तो इस प्रकार से यदि वे इस संशोधन को देखें और कुछ शब्दों मेंहेर फेर कर दें जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया जिनमें इतनी शक्ति न हो कि वे टैक्स दे सकें और टाउन एरिया कमेटी उनको काम भी नहीं दे सके तो उनको इस टैक्स के भार से मुक्त कर दिया जाय। चाहे इधर से संशोधन हो या उधर से हो अगर इसको रिड्राफ्ट करके मंत्री जी रखवा दें और इसे स्वीकार कर लें तो बड़ा अच्छा हो।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने यह तो माना है कि कुछ विचार करके, कुछ इधर उधर करके, रिड्राफ्ट करके यह बात लाई जाय तो इसको पोस्टपोन कर दिया जाय और अगली बार जब यह टाउन एरिया के बारे में कोई बात आये तो उस वक्त हम सब लोग विचार कर लें और विचार करने के बाद इसको

रख सकते हैं तो रक्खें। अब इसके बाद हमें कुछ कहना नहीं है क्योंकि उन्होंने स्वयं ही मान लिया है कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाय और मैं समझता हूं कि इसको इस वक्त स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ द्वारा प्रस्तावित धारा १४ की उपधारा (१) के नये खंड (G) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"Provided that in case a tenant found himself unable to pay his tax in cash, he should be permitted to give its equivalent in labour."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं खंड १२ का विरोध करना चाहता हूं। क्योंकि आगे १२(क) आ जायेगा।

(एक क्षण के अनन्तर)

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का खंड १२ इस प्रकार है—

"१२—मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) में वर्त्तमान खंड (*f*) के बाद निम्नलिखित नया खंड (*g*) रखा जाय—

"(*g*) any other tax being one of the taxes mentioned in sub-section (1) of section 128 of the U. P. Municipalities Act, 1916;"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस धारा का घोर विरोध करता हूं इस सदन में बारबार हमारी तरफ से यह कहा गया है कि जनता पर ज्यादा बोझ टैक्सों का न होना चाहिये वह म्युनिसिपैलिटीज़ का हो, चाहे टाउन एरियाज का हो और चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हो। और कर तभी लगाया जाय जब उसके देने की क्षमता हो। लेकिन यह एक प्रकार का ऐडीशनल बरडेन टाउन एरिया में बसने वाले लोगों पर होगा। उपाध्यक्ष महोदय, टाउन एरिया बहुत छोटी छोटी जगहों पर होती है उन जगहों में जहां पर छोटे छोटे व्यापार लोग करते हैं और इसी बात को मद्दे-नजर रखते हुये राज्य सरकार ने पहले से टाउन एरियाज के टैक्सेज़ की जो लिमिट नहीं थी और वह ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा सकती थी लेकिन हमारी प्रादेशिक सरकार ने खुद ही उसकी लिमिट बांध दी है कि ढाई सौ रुपये से ऊपर किसी भी टाउन एरिया में टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो जी० ओ० जो गवर्नमेंट का है वह इस बात का सबूत है कि वह भी इस बात को महसूस करती है कि इससे ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिये। अगरचे इससे ज्यादा परेशानी टाउन एरिया को हुई लेकिन वह जी० ओ० हुआ। अब इस धारा से और उस जी० ओ० से परस्पर विरोध है। मैं यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट, १९१६ की विभिन्न धाराओं को पढ़कर सदन का समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं चाहता हूं कि इस तरह का ऐडीशनल टैक्सेशन टाउन एरियाज़ की जनता पर न रखा जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक इस पर कुछ संशोधन दिखाई दे रहे हैं। वे सब आ जायं तो उस वक्त इसकी क्या शक्ल होगी उसपर अगर जरूरत होगी तो आपकी आज्ञा से बोल दूंगा लेकिन इस समय मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड १२-क

श्री शिवदान सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि—

खंड १२ के बाद निम्नलिखित नया खंड १२-क के रूप में जोड़ दिया जाय—

वैधीकरण

१२-क—मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी—

(१) यदि मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) के खंड (जी) में वर्णित किसी भी प्रकार का कर, उसका चाहे जो भी नाम अथवा विवरण हो, इस अधिनियम के आरम्भ होने से पूर्व किसी भी टाउन एरिया कमेटी द्वारा लगाया (imposed), लिया (levied), अथवा निर्धारित (assess) किया गया हो तो वह विधितः ठीक तथा वैध होगा और एतद्द्वारा विधितः ठीक तथा वैध घोषित किया जाता है मानो कि यह अधिनियम सभी महत्वपूर्ण (material) दिनांकों को प्रचलित था और उक्त कर तत्संबंधी उपयुक्त उपबन्धों के अनुसार लगाया, लिया अथवा निर्धारित किया गया था;

(२) कोई भी न्यायालय खंड (१) में अभिदिष्ट कर की वापसी (refund) के दावे (claim) को केवल इसी आधार पर ग्रहण (entertain) नहीं करेगा कि सम्बद्ध टाउन एरिया कमेटी को इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व कर लगाने, लेने अथवा निर्धारित करने का अधिक्षेत्र प्राप्त नहीं था; और

(३) किसी ऐसे कर की वैधता पर आपत्ति करने से सम्बद्ध अथवा खंड (१) और (२) में वर्णित आधारों पर कर की वापसी के किसी भी दावे (claim) से सम्बद्ध सभी वाद अथवा अन्य कार्यवाहियां जो किसी भी प्राधिकारी (authority) अथवा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हों अथवा इस के पश्चात् योजित की जांय, अपचित (abate) तथा विसर्जित (dismiss) हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुझे ज्यादा निवेदन करना नहीं है क्योंकि अभी हाल में जो संशोधन खंड १२ में स्वीकार हुआ है उस संशोधित खंड का और इस खंड का पारस्परिक संबंध है अर्थात् जो संशोधन स्वीकार किया गया है उससे जो हालत पैदा होगी उसको कानूनी शक्ल देने का उद्देश्य इस संशोधन का है अर्थात् यह बात जो उसमें मानी गयी है कि धारा १४ की उपधारा (१) के खंड (जी) में उल्लिखित किसी भी प्रकार किसी का टैक्स अगर टाउन एरिया ने अपने यहां लगा लिया हो या वसूल कर लिया हो तो वह ठीक माना जायगा। इस खंड का आशय यही है कि जो कर किसी टाउन एरिया ने वसूल कर लिया है उसको वैध किया जाय और उसके रिफंड का दावा किसी भी अदालत में दायर न हो सके। या जो दावे चल रहे हैं वे दावे खारिज किये जायं। अगर यह बात नहीं होती तो फिर टाउन एरियाज के ऊपर बड़ी मुसीबत आ जायगी। कुछ टाउन एरियाज ऐसी हो सकती हैं कि जिन्होंने काफी रकम वसूल कर ली हो और अगर उनको टैक्स का रुपया रिफंड करना पड़े तो उनपर आर्थिक संकट आ जायगा। इसीलिये जो संशोधन स्वीकार हो चुका है उसके बाद यह जरूरी हो जाता है कि यह संशोधन भी स्वीकार हो।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री शिवदान सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि अन्य माननीय सदस्य भी

इस पर विचार करें कि किस तरह से राज्य सरकार कुछ ऐसी गड़बड़ियों पर हम से मोहर लगवाना चाहती है जो कि पहले से की जा चुकी हैं और इस बिल के आने के पहले कुछ इस किस्म के टैक्स जो राज्य सरकार की भी राय में गलत थे एक प्रवैधानिक तरीके से लगाये गये थे आज इस संशोधन द्वारा कानूनी बनाया जा रहा है।

श्री कालीचरण टंडन—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इसके लिये मैं यह मुनासिब समझता हूं कि यह जो धारायें हैं उन को मैं पढ़ दूं।

"(१) यदि मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) के खंड (जी) में वर्णित किसी भी प्रकार का कर, उसका चाहे जो भी नाम अथवा विवरण हो, इस अधिनियम के आरम्भ होने से पूर्व किसी भी टाउन एरिया कमेटी द्वारा लगाया (imposed), लिया (levied) अथवा निर्धारित (assess) किया गया हो तो वह विधितः ठीक तथा वैध होगा और एतद्द्वारा विधितः ठीक तथा वैध घोषित किया जाता है मानो कि यह अधिनियम सभी महत्वपूर्ण दिनांकों को प्रचलित था और उक्त कर तत्संबंधी उपयुक्त उपबन्धों के अनुसार लगाया, लिया अथवा निर्धारित किया गया था ;"

बैठक का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—एक माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव मेरे पास भेजा है कि समय कुछ बढ़ा दिया जाय। इस को मैं उपस्थित करने की अनुमति देता हूं।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह भवन संकल्प विधान सभा का आज का अधिवेशन शाम को ५ बजे के बाद भी "उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०" के द्वितीय और तृतीय वाचन स्वीकृत होने तक जारी रहे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधान सभा का आज का अधिवेशन शाम को ५ बजे के बाद भी उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५२ के द्वितीय और तृतीय वाचन स्वीकृत होने तक जारी रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ (संशोधन) विधेयक, १९५२ (क्रमागत)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—दूसरी उपधारा यह है कि "कोई भी न्यायालय खंड (१) में अभिदिष्ट कर की वापसी (refund) के दावे (claim) को केवल एरिया कमेटी इसी आधार पर ग्रहण (entertain) नहीं करेगा कि सम्बद्ध टाउन को इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व कर लगाने, लेने अथवा निर्धारित करने का अधिक्षेत्र प्राप्त नहीं था।"

यानी पहले ही इस किस्म की गलती हो गयी और न्यायालय के भी हाथ काट दें। चाहिये तो यह था कि स्वशासन मंत्री हाउस को कानफिडेंस में लेते कि इस किस्म की त्रुटियां सरकार द्वारा संचालित मशीनरी द्वारा हो चुकी हैं और उससे जनता का अहित होगा अगर ऐसे टैक्स न लगते। लेकिन होता क्या है कि एक माननीय सदस्य खड़े हुये और माननीय स्वशासन मंत्री ने बिना हाउस को कानफिडेंस में लिये हुये एक मुहर लगवाने की कोशिश की। इसके अतिरिक्त हम यह आशा करते थ कि अगर इस किस्म की गड़बड़ी हो तो न्याय का तकाजा

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

यह था कि जहां विधेयक के इन एंटिसिपेशन ही टैक्स जनता पर लगा लिये हों तो उसको तो वापस कराने की पूरी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिये थी। वह न करके एक आपत्तिजनक तरीके से जो विधान सभा की मुहर इस धारा और उपधारा के लागू होने के संबंध में लगायी जा रही है यह निहायत अनुचित है और मैं आशा करता हूं कि वह फिर हाउस को कानफिडेंस में लेंगे और उन इरेगुलरिटीज की लिस्ट भी बतायेंगे जिनके लिये यह जरूरी हो गया कि वह इस संशोधन को मंजूर करें।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह संशोधन लाया जा रहा है, चूंकि मुझे भी बहुत कुछ ज्ञान है मैं इस संबंध में जानता हूं। मेरे जिले में अलीगढ़ टाउन एरिया है जिसकी बहुत सी शिकायतें लिखित रूप में भी मेरे पास आ चुकी हैं और अदालतों में भी जा चुकी हैं। किसी पार्टी के एक आदमी पर उसी हैसियत पर ५ रुपया और दूसरे पर ५०० रुपया इस तरह के टैक्सेज लगाये गये हैं और यह संशोधन इसी लिये लाया गया है कि यह जो कार्यवाहियां अदालतों में चल रही हैं और जो इस तरह की अवैध कार्यवाहियां की गयी हैं उन पर शासन की मुहर लगा दी जाय। तो मैं इसका घोर विरोध करूंगा और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह से एक एक जिले के किसी एक टाउन एरिया के लिये इस तरह से कानून बनाना शुरू हो जाय तो फिर गिरावट की हद कहां तक पहुंच गयी, मैं नहीं कह सकता। इसलिये मैं मंत्री जी से भी प्रार्थना करूंगा कि ऐसे संशोधनों में जिन में कि अदालतों के भी अधिकार छीने गये हैं और यह भी कहा गया है कि म्युनिसिपैलिटीज वाले टैक्स जो नये लग रहे हैं उनको भी कहीं लगा दिया गया होगा तो वह भी वैध मान लिये जायं। इसको तो बस हिटलरशाही का नमूना ही कहा जा सकता है और मैं क्या कहूं। इससे कम शब्द प्रयोग नहीं हो सकता है।

इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को जो ठाकुर शिवदान सिंह जी के नाम से है, आप स्वीकार न करें और हाउस इसको स्वीकार न करे, क्योंकि मैं आपको अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियेंस से, तजुरबे से बताता हूं। मेरे सामने जो वाकयात हैं उन से बता रहा हूं कि इस संशोधन के द्वारा अवैध कार्यवाहियों को वैध कर देना यह किसी भी सदन के लिये ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको अस्वीकार करेंगे।

स्वशासन मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार बोल चुका हूं। मैंने कह दिया कि मुझे यह स्वीकार है। मेरा ख़याल है कि जो मूवर हैं उस अमेंडमेंट के उनकी राय लें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री शिवदान सिंह (जिला अलीगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस संशोधन का विरोधी पार्टी ने विरोध किया है। अभी हाल में सदन ने एक मेरा संशोधन स्वीकार किया है और उस संशोधन को स्वीकार करने के बाद यह जरूरी हो जाता है, एक तरह से लाजिमी हो जाता है कि इस संशोधन को भी स्वीकार करें।

उस संशोधन में यह स्वीकार किया गया है कि म्युनिसिपल ऐक्ट की धारा १२८ के अन्तर्गत जो टैक्सेज वर्णित हैं टाउन एरियाज लगा सकती हैं और जो पहले लगा चुकी हैं उन्हें जायज मान लिया है। इसमें भी वही बात कही गई है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि दोनों खण्डों में घनिष्ट संबंध है। किसी टाउन एरिया की जो गलत बातें हों उसको यहां खत्म करने की बात नहीं है बल्कि वह टाउन एरिया जो बेचारे टैक्स लगा चुके थे और बहुत से ऐसे टैक्सेज थे जो उसी ऐक्ट में उनको लगाने का अधिकार था यानी यूज आफ लैंड, यूज आफ पब्लिक रोड। अदालत ने इस बात को तो माना कि वह यूज आफ रोड पर टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन उसका मोड आफ कलेक्शन की हजह से उस टैक्स को आक्ट्राय करार दे दिया। टैक्स गलत नहीं था लेकिन वहां

के आदमी कानून दां नहीं थे, उनको अधिकार थे लेकिन वह कानून की पेचीदगियों को नहीं समझते थे। अदालत ने कहा कि जो मोड आफ कलेक्शन था वह आक्ट्राय टैक्स है और उन्होंने कहा कि जो वसूल किया है उसको रिफंड कर दो। तो मेरी गुजारिश यह थी कि इस पर गौर करते कि उन्होंने जो टैक्सेज नेकनियती से लगाये थे उसका उनको अधिकार था लेकिन अगर उसकी वसूली का तरीका भिन्न हो गया तो इसकी वजह से सजा उनको यह न मिलनी चाहिये कि वह उसको वापस कर दें। और जब आपने पहले वाले संशोधन को मान लिया है तो उसी का यह परिणाम है, नतीजा है जो इसमें वर्णन किया गया है। पिछली बार भी प्रापर्टी टैक्स का ऐसा ही मामला आया था जो बहुतसी टाउन एरियाज गलती से लगा चुकी थीं फिर उसको भी लीगलाइज किया था। तो उसी आधार पर मैं यह प्रार्थना करता हूं कि इसमें भी ऐसी ही बात है। जहां तक बसेवां टाउन एरिया की शिकायतें आई हैं, कहीं उसका नाम भी नहीं है। वह तो दूसरी टाउन एरियाज हैं। उनको अधिकार था टैक्सेज लगाने का और उन्होंने लगाया लेकिन मोड आफ कलेक्शन डिफरेंट हो गया और कोर्ट ने यह तय किया कि यह आक्ट्राय टैक्स है, जिसके लगाने का अधिकार टाउन एरियाज को नहीं है। उन बातों को दूर करने के लिये यह प्रस्ताव है और मुझे आशा है कि आप इन बातों पर गौर करके इसे स्वीकार कर लेंगे और अपना विरोध वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ के बाद निम्नलिखित नया खंड १२-क के रूप में जोड़ दिया जाय

बैधीकरण। १२-क—मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी —

(१) यदि मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) के खंड (जी) में वर्णित किसी भी प्रकार का कर, उसका चाहे जो भी नाम अथवा विवरण हो, इस अधिनियम के आरम्भ होने से पूर्व किसी भी टाउन एरिया कमेटी द्वारा लगाया (imposed), लिया (levied) अथवा निर्धारित (assess) किया गया हो तो वह विधितः ठीक तथा वैध होगा और एतद्द्वारा विधितः ठीक तथा वैध घोषित किया जाता है मानो कि यह अधिनियम सभी महत्वपूर्ण (material) दिनांकों को प्रचलित था और उक्त कर तत्संबंधी उपयुक्त उपबन्धों के अनुसार लगाया, लिया अथवा निर्धारित किया गया था ;

(२) कोई भी न्यायालय खंड (१) में अभिदिष्ट कर की वापसी (refund) के दावे (claim) को केवल इसी आधार पर ग्रहण (entertain) नहीं करेगा कि सम्बद्ध टाउन एरिया कमेटी को इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व कर लगाने, लेने अथवा निर्धारित करने का अधिक्षेत्र प्राप्त नहीं था; और

(३) किसी ऐसे कर की वैधता पर आपत्ति करने से सम्बद्ध अथवा खंड (१) और (२) में वर्णित आधारों पर कर की वापसी के किसी भी दावे (claim) से सम्बद्ध सभी वाद अथवा अन्य कार्यवाहियां जो किसी भी प्राधिकारी (authority) अथवा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हों अथवा इस के पश्चात् योजित की जायं, अपचित (abate) तथा विसर्जित (dismiss) हो जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नया खंड १२–क इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा ३६ का संशोधन।

१३—मूल अधिनियम की धारा ३६ की उपधारा (२) के खंड (C) में शब्द "reconstituted" के बाद शब्द "as though the term fixed under section 6 had expired". रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड १३-क

श्री शिवदान सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन पेश करता हूं कि खंड १३ के बाद निम्नलिखित नया खंड १३-क के रूप में जोड़ दिया जाय।

"जब कोई कमेटी दिनांक १ जनवरी, १९५३ को अवक्रांत दशा में हो और इसका अवक्रमण (supersession) उक्त दिनांक से छः महीने के भीतर किसी भी दिनांक पर अवक्रांत होने को हो तो धारा ३६ की उपधारा १ में अथवा उसके अन्तर्गत प्रदत्त आदेशों में उल्लिखित किसी भी बात के होते हुये भी उसके अवक्रमण की अवधितब तक के लिये बढ़ जायगी जब तक कि मूल अधिनियम के, जैसाकि वह इस अधिनियमद्वारा संशोधित हुआ है उपबन्धों के अनुसार नयी कमेटी पुनः संगठित न हो जाय"।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का मतलब और मकसद केवल इतना है कि इस प्रान्त के जो टाउन एरियाज सस्पेंड हैं उनका सुपरशेशन १ जनवरी, सन् १९५३ ई० से ६ महीने के अन्दर खत्म हो जाने को है, उनकी मियाद कुछ महीने के लिये बढ़ा दी जाय इसलिये बढ़ा दी जाय जिससे इन सुपरसीडेड टाउन एरियाज का चुनाव प्रदेश के दूसरे सभी टाउन एरियाज़ के आम चुनाव के साथ जो निकट भविष्य में ही होने वाले है, एक साथ और एक ही समय हो सकें। प्रदेश में जैसे दूसरे चुनाव होते है, डिस्ट्रिक्ट बोर्डस का चुनाव होता है, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव होता है, स्टेट असेम्बली का चुनाव होता है, यह सब चुनाव एक साथ एक ही समय पर हमेशा होते हैं जिससे शासन को, गवर्नमेंट को और चुनाव में भाग लेने वालों को सभी को सुविधा होती है इसी तरह यह भी उचित है कि प्रदेश में जितने टाउन एरियाज हैं सब का चुनाव एक ही साथ, एक ही समय पर हो। जो टाउन एरियाज प्रदेश में सस्पेंड हैं उनकी मियाद एक ही दिन खत्म नहीं होगी बल्कि उनकी मुख्तलिफ तारीखें हैं। जो मौजूदा नियम है उसमें सस्पेंशन की मियाद २ साल की है। उसके बढ़ाने का प्राविजन किसी कानून में नहीं है। इसको देखते हुये यह मुनासिब मालूम होता है कि उनकी मियाद चुनाव होने तक बढ़ादी जाय। यह चन्द महीनों की बात है। माननीय मंत्री महोदय ने कल बतलाया था कि चुनाव गर्मियों से पहले होने जा रहे हैं। तो बहुत दिनों की बात नहीं है, केवल चन्द महीनों की बात है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा तो उनकी अवधि समाप्त होने पर मौजूदा नियम के अनुसार फौरन उनका चुनाव कराना होगा इससे इन सस्पैन्डेड टाउन एरिया के चुनावों की तारीख में और आम चुनावों की तारीख में हमेशा के लिये अन्तर बना रहेगा और यह एक दिक्कततलब बात हो जायगी। यह मेरी प्रार्थना है कि चुनाव एक साथ एक ही समय पर हों इसके एक दो महीने के लिये उनकी मियाद बढ़ा दी जाय। यही मेरा प्रस्ताव है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मजबूर होकर इस संशोधन का हमें घोर विरोध करना पड़ रहा है। यों तो जैसा इसके फेस वैल्यू से मालूम होता है कि यह माना जा सकता है कि मसलन पहली जनवरी, सन् १९५३ ई० को कोई टाउन एरिया सस्पेंड हो और उसकी मियाद उस वक्त तक बढ़ादी जाय जब तक कि दूसरी कमेटी कांस्टीट्यूट न हो, और जैसा माननीय मंत्री ने आश्वाशन दिया था कि अगर जून तक टाउन एरियाज़ का एलेक्शन हो जाता है तब बहुत ही अफेन्सिव यह धारा नहीं होती है। लेकिन अगर जून के बाद एलेक्शन टल गये तो इसके माने यह है कि हम इस सुपरसेशन को लगातार बढ़ाते चले जायगें। इसमें कोई निश्चित अवधि नहीं है कि एलेक्शन्स जून में हों, दिसम्बर में हों या सन् १९५४ में हों, ऐसी हालत में इस संशोधन के द्वारा जितनी टाउन एरियाज सुपरसीडेड हैं उनको हम एक लांग रोप देते चले जायेंगे यदि एलेक्शन एक दो साल के लिये बढ़ गये। एक पहलू तो इस संशोधन का यह हुआ। दूसरा यह हो सकता है कि मान लीजिये कि नया चुनाव हो गया और हम चाहते हैं कि चुनाव हो जाय और माननीय स्वशासन मंत्री को नवम्बर में यह मालूम हो कि जो नयी कमेटी बनी है वह अब कोई नालायकी करने लगी उनकी नजरों में और उस समय सुपरसीड कर दी जाय तो उसके माने यह हैं कि फिर साढ़े तीन साल तक लगातार इन्तजार करे और जब तक नया एलेक्शन शुरू से न हो जाय तब तक वह सुपरसीड रहेगी। तो ये दो ऐसी असंगत बातें हैं कि वैसे देखने से तो यह संशोधन सीधा साधा सा मालूम होता है लेकिन इसका घोर विरोध इसलिये करना पड़ा कि इसके मान लेने से सुपरसेशन का समय बड़ा लम्बा हो जाता है। साढ़े तीन साल का अरसा तो मैं समझता हूं कि ऐसी बात है जिसे माननीय स्वशासन मंत्री जी खुद भी पसन्द नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूं कि अगर बीच में ऐसी कोई बात आ जाय तो फिर से नया चुनाव करा देना चाहिये। और इस तरह से एक ऐसा अधिकार जो कि इनडेफिनिट हो और जब कि माननीय स्वशासन मंत्री जी को लेजिस्लेचर की हैसियत से यह दावा है कि लेजिस्लेशन के हर शब्द पर गौर होना चाहिये और ऐसे नपे तुले वाक्य और शब्द यहां से बाहर जायं जिससे माननीय हाई कोर्ट या और किसी कोर्ट को कोई एतराज करने का मौका न मिले तो ऐसा इनडेफिनिट प्रस्ताव ला कर माननीय स्वशासन मंत्री ने खुद अपनी ही बात का खंडन किया है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी को जो मौजूदा विधेयक में धारायें हैं उन्हीं के अनुसार काफी मौका है कि किसी लिमिटेड पीरियड के लिये किसी टाउन एरिया को सुपरसीड कर दें और उसके बाद उसका चुनाव हो जाय। और इस तरह से इस संशोधन के जरिये से आप एक जनरल पावर ले लेंगे, यह मुनासिब नहीं होगा।

श्री मलखान सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से मेरी माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि पेश्तर इसके कि वह संशोधन पर हमारी राय लें, मैं जानना चाहूंगा कि पहली जनवरी, १९५३ को कितने टाउन एरियाज सुपरसीडेड हैं और उनके क्या नाम हैं जिससे कि हम विचार कर सकें कि इस संशोधन पर हम अपनी क्या राय दें, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये सब बातें इस तरह से की जा रही हैं कि जो कुछ भी ताक़त हो सब अपने हाथ में ले लो। एक मर्तबा जब आपने सुपरसेशन कर दिया, उसकी तारीख आ गयी तो यह कहना कि सब चुनाव एक ही साथ कर दिये जायं यह घपले बाजी नहीं है तो और क्या है। मैं कहता हूं कि चार टाउन एरियाज का चुनाव जनवरी या फ़रवरी में हो जायगा तो कौन सा जमीन असामान एक हो जायगा। मैं कहता हूं कि जब आज आपने ऐक्ट पास कर दिया और आपकी लिस्टें भी ३१ अक्टूबर को फ़ायनल हो गयीं जो कि असेम्बली की लिस्टें थी तो कोई दिक्कत पड़ने वाली नहीं है। कि जनवरी या फरवरी में आप चुनाव करा दें। इसलिये मैं समझता हूं कि जब तक कि पूरी रोशनी के साथ हमारे सामने फैक्टस ऐंड फीगर्स न आ जायं तब तक इस पर कोई विचार न किया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा हो गया।)

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे याद है सिर्फ कोपागंज ही एक ऐसी...

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं एक बिल्कुल मोरल पौइंट आफ़ आर्डर उठाना चाहता हूं। जब कि माननीय सदस्य दिलचस्पी नहीं रखते हैं और ऐसी धारायें आ रही हैं जिन पर माननीय सदस्य विचार विनिमय नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से जब कि कोरम पूरा करने के लिये माननीय सदस्यों को बुलाया जाता है तो इस तरह से टाइम का एक्सटेंशन करना क्या उचित है?

श्री उपाध्यक्ष—वह तो फैसला हो चुका है। मैं आशा करता था कि कम से कम विरोधी दल के सदस्य तो पूरी संख्या में उपस्थित रहते।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी टाउन एरिया कमेटीज हैं कि जिनकी मियाद खत्म होने वाली है जहां तक मुझे याद पड़ता है सिर्फ कोपागंज ही एक ऐसी टाउन एरिया कमेटी है कि जिसकी मियाद १९ जनवरी को समाप्त होने वाली है। इसका विरोध करते हुये जो खतरा और शकूक माननीय सदस्यों के दिमाग में है वह यह है कि न मालूम कब तक इलेक्शन्स होंगे और कब तक मियाद बढ़ती चली जायगी। मैं फिर अपनी उस बात को दोहरा देना चाहता हूं जो मैंने पहले कही थी कि गर्मी खत्म होने से पहले मैं चाहता हूं कि इलेक्शन्स हो जायं और मुझे विश्वास है कि गर्मी खत्म होने से पहले इलेक्शन्स हो जायंगे और विश्वास दिलाने के लिये मुझे किसी और बात के कहने की जरूरत नहीं है। इसलिये जो कुछ भी शकूक और शंकायें प्रगट किये गये हैं वह सब निराधार हो जायंगे अगर मेरी बात यह सदन मान ले और मैं समझता हूं कि और कोई गुंजायश नहीं रह जाती है।

श्री राजनारायण—श्रीमन् एक इंफारमेशन के लिये मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो यह बतलाया कि गर्मी के खत्म होने के पहले वह इलेक्शन्स करना चाहते हैं तो इस गर्मी की कोई अवधि है।

श्री मोहनलाल गौतम—जब श्री राजनारायण जी जेलखाने में बाहर सोने के बाद अंदर सोया करते थे वह शायद उस तारीख को भूले नहीं होंगे।

श्री राजनारायण—मैं अक्टूबर में सोया करता था...

श्री उपाध्यक्ष—आपको दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता है।

प्रश्न यह है कि खंड १३ के बाद निम्नलिखित नया खंड १३-क के रूप में जोड़ दिया जाय —

"१३-क जब कोई कमेटी दिनांक १ जनवरी, १९५३ को अवक्रांत दशा में हो और इसका अवक्रमण (supersession) उक्त दिनांक से छै महीने के भीतर किसी भी दिनांक पर अवक्रांत होने को हो तो धारा ३६ की उपधारा (१) में अथवा उसके अन्तर्गत प्रदत्त आदेश में उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी उसके अवक्रमण की अवधि तक के लिये बढ़ जायगी जब तक कि मूल अधिनियम के, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित हुआ है, उपबंधों के अनुसार नयी कमेटी पुनः संगठित न हो जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नया खंड १३-क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १४ तथा १ एवं शीर्षक और प्रस्तावना

१४—मूल अधिनियम की धारा ३९ में से खंड (c), (d), और (f) निकाल दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा ३९ का संशोधन।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ (संशोधन) विधेयक, १९५२

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० टाउन एरियाज़ ऐक्ट, १९१४ को संशोधित करने का यू० पी० ऐक्ट २, १९१४।

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्ति जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे, यू० पी० टाउन एरियाज़ ऐक्ट, १९१४ को संशोधित करना आवश्यक है; यू० पी० ऐक्ट, २, १९१४।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४, खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपर्युक्त विधेयक जैसा कि इस भवन ने संशोधित किया है, पारित किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को और विशेषकर उन सदस्यों को जिन्होंने इस विधेयक में दिलचस्पी ली है और वादविवाद में हिस्सा लिया उन सब को बधाई देता हूं और उन सब की सहायता से जो जो इसमें त्रुटियां थीं वह सब ठीक हो गयी हैं उसके लिये मैं उनका आभारी हूं। इस समय सदन ने १२ अमेंडमेंट्स मंजूर किये हैं। उनमें दो तो प्रिंटिंग की ग़लती की वजह से थे, दो वर्बल चेंजेज थे, दो क्लेरिफिकेशन थे और ६ मेटेरियल चेंजेज थे इन मेटिरयल चेंजेज में अधिकांश वे हैं जो पहले म्युनिसिपैलिटीज अधिनियम के संबंध में तय हो चुके थे। एक तो डिटेंशन वालों के संबंध में जैसा कि म्युनिसिपल ऐक्ट में था उसी प्रकार यहां भी डिटेंशन में जो होंगे उनको राय देने का हक़ होगा। दूसरा जिस प्रकार से म्युनिसिपैलिटीज में गवर्नमेंट इम्प्लाईज के अलावा लोकल बाडीज के इम्प्लाईज को भी रखा गया था कि वे मेम्बरी के लिये खड़े नहीं हो सकते इसी तरह से यहां भी यह धारा रख दी गयी है। तीसरी चीज यह है कि इस भवन के माननीय सदस्यों को याद होगा जो संशोधन पंत जी ने म्युनिसिपैलिटीज बिल में पेश किया था कि जिन लोगों को ६ महीने से ज्यादा की सजा हो ब्लेक-

[श्री मोहनलाल गौतम]

मार्केटिंग, मारेल टर्पिट्यूड या ११०, १०९ में सजा पाये होंगे वे मेम्बर नहीं हो सकते वही धारा यहां पर आयेगी। लेपर्स और इंसालवेंट्स को डिस्क्वालिफाई किया गया है, यह चौथा संशोधन है और पांचवां यह है कि पहले मेम्बर्स का रिमूवल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करते थे लेकिन उसका कंफर्मेशन अब गवर्नमेंट करेगी और छठा संशोधन यह है कि अगर किसी टाउन एरिया की मियाद ६ महीने के अन्दर खत्म हो तो वह बढ़ा दी जाय। उसका केवल यही अर्थ था कि सारे टाउन एरियाज का चुनाव साथ साथ हो। और अगर किसी टाउन एरिया की मियाद जल्दी खत्म होती है तो उसकी मियाद बढ़ा दी जाय। इस प्रकार से ६ संशोधन हुये हैं। अधिकांश वही हैं जो कि म्युनिसिपैलिटीज बिल में हो चुके हैं और जिनको यह सदन स्वीकार कर चुका है और एक अन्त में यह है कि जनरल इलेक्शन साथ साथ हों। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन का मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। ये जो सुधार हुये हैं वह माकूल हैं। और इन सब के लिये मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाय।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इस विधेयक की कुछ धाराओं में जो संशोधन किया गया है उससे इस विधेयक का स्वरूप और भद्दा हो गया है। मैं उसका विरोध करता हूं और इस सदन को वह पास नहीं करना चाहिये। अभी श्री मलखान सिंह जी ने, जो अन्तिम संशोधन ९१ है उसके संबंध में कुछ कागजात मांगे लेकिन वह कागजात इस सदन के सामने प्रस्तुत नहीं किये गये। यह कितनी नामुनासिब बात है कि उन टाउन एरियाज के नाम, जिनका पीरियड खत्म होता है, यहां पर नहीं रखे गये।

इसके अतिरिक्त दूसरी चीज जो इस विधेयक में रखी गयी है वह यह है कि टाउन एरियाज कमटी के जरिये जो कर लगाये गये थे उन सब को एक संशोधन के जरिये से वैध किया गया है उनको भी नहीं बतलाया गया। वे सब बातें इस सदन के सामने आना चाहियें। मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि इस तरीके से विधेयक यहां पर पास नहीं करना चाहिये क्योंकि इस तरह से सदन की मर्यादा भंग होती है। जबकि सरकार के पास इस तरह के आंकड़े नहीं हैं कि टाउन एरिया कमेटीज के जरिये से कौन-कौन से कर लगाये गये हैं और कौन कौन से नहीं लगाये गये हैं तो उन संशोधनों को यहां पर स्वीकार नहीं करना चाहिये। सरकार ने कुछ ऐसे संशोधन भी इसके अन्दर स्वीकार किये हैं, जो जनतान्त्रिक प्रणाली के विरुद्ध हैं। हमारे विधान के नियम के अनुसार हमको कागजात मिलने चाहियें लेकिन वे कागजात हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य का ध्यान नियम ११९ की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह तृतीय वाचन है। इस विधेयक में जो संशोधन हुये हैं उनके ही विषय में वे चर्चा कर सकते हैं। जो बातें पुरानी हैं उनको माननीय सदस्य यहां पर नहीं कह सकते हैं।

श्री राजनारायण—मैंने उस नियम का अच्छी तरह से अध्ययन किया है और उसका अध्ययन करने के बाद ही यहां पर कुछ बोलने के लिये आया हूं। जो चीज विधेयक की धाराओं से संबंधित है मैं उसी पर बोल रहा हूं। मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि.....

(इस समय ५ बज कर ३७ मिनट पर उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठात्री, श्रीमती प्रकाशवती सूद, ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो संशोधन अभी इस सदन में स्वीकार हुआ है उसमें स्पष्ट तरीके से यह लिखा हुआ है कि "यदि मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा १ के खंड (जी) में वर्णित किसी भी प्रकार का कर, उसका चाहे जो भी नाम अथवा विवरण हो, इस अधिनियम के आरम्भ होने से पूर्व किसी भी टाउन एरिया कमेटी द्वारा लगाया, लिया अथवा निर्धारित किया गया हो तो वह विधितः ठीक तथा वैध घोषित किया जाता है मानो कि यह अधिनियम सभी महत्वपूर्ण दिनांकों को प्रचलित था और उक्त कर तत्संबंधी उपबन्धों के अनुसार लगाया, लिया अथवा निर्धारित किया गया था।" मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह सदन जरा इन लाइनों का अवलोकन करे और जो अधिकार इन लाइनों के जरिये से आज टाउन एरिया कमेटी को मिल रहा है वह कितना अधिकार है। अगर किसी टाउन एरिया ने गलत कर लगाया है और उसके बारे में कोई अपील हो गयी है या जो कुछ भी हालत हो या जबरदस्ती वसूल कर लिया गया है तो तब भी उसको वैध घोषित किया गया है। मैं इस सदन से अपील करना चाहता हूं कि आखिर इस तरह के विधेयक में संशोधन करने का क्या अर्थ है? इस प्रकार से संशोधन करके जो सरकार अधिकार दे रही हैं उसका मतलब साफ है और वह यह है कि टाउन एरिया कमेटीज ने जो ग़लतियां की हैं, जो खामियां की हैं, जो गड़बड़ की हैं उनको आज सरकार त्राण देने जा रहे हैं। उनको मंत्री जी शरण देते हैं उनको बचाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर वह कौन से कारण हैं जिनके बस में होकर सरकार इस संशोधन को मानने के लिये लालायित हुई और क्या वह कारण हमें जनतंत्र प्रणाली की ओर ले जाते हैं या वह पुरानी की हुई ग़लत बातों को प्रश्रय देने की ओर ले जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं और इस बात को बहुत अच्छी तरह से सम्मानित सदन के सामने रखना चाहता हूं कि सदन जरा इस पर ग़ौर करे और सोचे कि जो कर टाउन एरिया कमेटी लेती है सदस्यों से वह कर भी इस क़ानून के द्वारा अब वैध हो जायगा। वह सदस्य जिन्होंने वह दिया है वह उसके ऊपर किसी तरह भी कोई उंगली न उठा सकेंगे। इसका लाज़मी नतीजा यही होगा। अगर माननीय मन्त्री जी के दिमाग़ में कोई दूसरा उल्टा अर्थ हो तो उस को भी हम सुनना चाहेंगे और चाहेंगे कि यह सदन भी उसको सुने। आगे भी उसमें लिखा है कि "टाउन एरिया कमेटी द्वारा लगाया, लिया अथवा निर्धारित किया गया हो," यानी टाउन एरिया कमेटी ने जो लगाया है वह तो है ही जो उसने आगे के लिये निर्धारित किया हो वह भी और इसके अलावा जो अब भी फंक्शन कर रही है वह टाउन एरिया कमेटी आगे के लिये भी जो अनियंत्रित और निरंकुश तरीक़े से, किसी की पहले की दुश्मनी या राग-द्वेष रहा हो, उस राग-द्वेष से परिचालित हो कर अगर टाउन एरिया कमेटी ने कोई कर निर्धारित कर दिया है तो वह भी वैध हो जाता है। उसके खिलाफ भी जो मेम्बर दावा पेश करते हैं वह उंगली नहीं उठा सकेंगे और कोई आवाज़ वह नउठा पावेंगे। इसके मानी क्या होते हैं? जब हम इस सम्मानित सदन में बैठे हैं तो हमें सदन में जो बिल पेश है उस पर विचार करना चाहिये और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस संशोधन की पंक्तियों पर जरा गौर करें और देखें कि इस के द्वारा आगे कौन कौन बड़े भयानक उत्पात होने जा रहे हैं। क्या टाउन एरियाज की जनता इस विधेयक को पाकर प्रसन्न, प्रफुल्लित और खुश होगी या उसके ऊपर घोर बज्राघात होगा। आगे इन्हीं लाइन्स में आप देखें कि "अथवा निर्धारित किया गया हो तो वह विधितः ठीक तथा वैध होगा और एतद्द्वारा विधितः वैध तथा ठीक घोषित किया जाता है मानो कि यह अधिनियम सभी महत्वपूर्ण दिनांकों को प्रचलित था और उक्त कर तत्सम्बन्धी उपयुक्त उपबन्धों के अनुसार लगाया, लिया अथवा निर्धारित किया गया था।"

इन शब्दों द्वारा मनमाने तरीके से, ग़लत तरीक़े से लगाये गये करों को इस तरह से सुरक्षा दी गयी है इस संशोधन के द्वारा और माननीय मंत्री जी ने बड़ी उदारता के साथ इसको क़बूल किया है। इससे दिल में एक भारी ठेस लगती है। आशा तो कुछ और थी लेकिन हुआ कुछ और ही जैसा कि गोस्वामी तुलसी दास जी ने कहा है कि "का बिखाई पुनि काह दिखावा", (एक आवाज़) (अब बिहारी के बाद तुलसी?) जी, यह तो तुलसी की पंक्तियों का अंश था।

[श्री राजनारायण]

बिहारी से मंत्री जी को बड़ा मोह है, एक जमाना था जब वह बिहारी पंक्तियों को पढ़ कर दिल में आनन्द विभोर हुआ करते थे लेकिन अब उनका वह जमाना गुजर चुका है और अब तो उनको तुलसी और सूर की तरफ ही जाना चाहिये परन्तु वह अब भी बिहारी की ही तरफ जाना चाहते हैं तो उससे भी एक विशेष बात ही प्रदर्शित होती है । अब वे इस अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं जो अवस्था कांग्रेस पार्टी के अन्दर बहुत से लोगों ने प्राप्त कर ली है । और पिछले तीन चार वर्षों में समाचार पत्रों में उनके काले कारनामे प्रकाशित हो चुके हैं ।

तो आज मैंने जब कि इस संशोधन को माननीय मंत्री जी द्वारा स्वीकृत होते हुये देखा तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों ने आखिर क्या वही मतलब समझा है जो मतलब कि इस संशोधन से सरकार का है, या कोई और दूसरा मतलब है और वही मतलब समझ कर माननीय सदस्यों ने उसको स्वीकार किया है तब तो मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया है क्योंकि इससे जनता का हित होने वाला नहीं है, टाउन एरिया की जनता का भला इससे होने वाला नहीं है । लेकिन अगर बिना बारीकियों में जाये, बिना ग्रंथियां खोले हुये, केवल माननीय मंत्री जी पर भरोसा रख कर उन्होंने इस संशोधन के मानने में अपनी सम्मति दी है तब तो मैं कहना चाहूंगा कि वे विचार करें और स्पष्ट रूप से सोचें तो उनको मालूम होगा कि केवल दो ही रास्ते हैं एक तो यह कि इस सदन के माननीय सदस्यों को जिन्होंने इसको स्वीकार किया है यह साफ साफ कह देना चाहिये कि जिस तरीके से इस विधेयक को पास किया जा रहा है, जिस तरीके से "अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा" वाला हिसाब इसके द्वारा होने जा रहा है, अगर इसी तरीके से चल कर उसको लागू कर दिया गया, बिना किसी विचार के, बिना किसी न्याय और इंसाफ के सरकार पक्ष ऐसा करना चाहता है तो बहुमत उसके साथ है, वह चाहे जो कुछ कर सकता है, अगर वह ऐसा करने पर ही तुला हुआ है तब तो इसमें ज्यादा ऐतराज करने की बात नहीं है । क्योंकि वह विशाल बहुमत में हैं जिस तरीके के क़ानून वह बनाना चाहे बना सकता है । इसी के लिये हम "रिकौल" के सिद्धांत को रखना चाहते थे । या इस सदन के सम्मानित सदस्य इस बात को कहें कि अगर टाउन एरिया ने किसी ग़लत तरीक़े को लागू कर रक्खा है, अगर इंसाफ को मद्देनजर नहीं रक्खा है, अगर कर लगाते वक्त राग द्वेष से प्रेरित होकर उनको लगाया गया है तो ऐसे कर न लगाये जाने चाहिये तब इस सदन के सम्मानित सदस्यों को खुशी होनी चाहिये कि वे इस धारा को बदलें । ये दोनों बातें स्पष्ट हैं । इसके अलावा तीसरी बात नहीं हो सकती । एक तो जो कर टाउन एरिया में गलत तरीक़े से लगाये गये हैं वे वैसे के वैसे ही क़ायम रहने चाहिये, अगर माननीय सदस्य इस बात को सोचते हैं और उन करों के भार को जनता के ऊपर रखना चाहते हैं, अगर यह बात है तब तो मैं बैठ जाऊंगा और कुछ न कहूंगा लेकिन अगर सदन के माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि वे बहुत बारीकियों में नहीं गये और यह चीज खराब है और जो खराबियां टाउन एरिया की तरफ से हुई हैं उनकी पुष्टि और तुष्टि करने की बात इससे पैदा होती है तब उनको स्पष्ट रूप से कह देना चाहिये कि इस विधेयक की ये धारायें निकाल दी जांय । इसी के साथ साथ जो सरकार की ओर से श्री शिवदान सिंह जी ने प्रस्तुत खंड १३ के बाद तथा खंड १३(क) जोड़ा है और जिसको बड़ी कृपा, श्रद्धा और दयालुता से प्रेरित होकर माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने बड़े आदर के साथ उसको स्वीकार कर लिया उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर इस संशोधन के प्रति माननीय मंत्री जी की विशाल हृदयता और उदारता किस प्रकार जग गयी । यह संशोधन उन्हीं अधिकारों को माननीय मंत्री जी के हाथ में सुरक्षित करने जा रहा है जिनके लिये म्युनिसपल ऐक्ट के संशोधनों के समय १२ दिन तक विचार विनिमय हुआ था और आज दो तीन दिन से विचार विनिमय कर रहे हैं । सरकार के हाथ में वे अधिकार नहीं जाने चाहिये जिन अधिकारों का कुरुपयोग करके सरकार अपने मन से कार्यकाल को बढ़ाने जा रही है । इसी अधिकार के लिये तो बराबर इस सदन में लड़ाई है । यही तो आज जनतंत्र की कसौटी है । इसके बारे में भी हमारे इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों को अपना मत स्पष्ट कर लेना चाहिये, साफ साफ तरीके से । इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, कतई शिकायत नहीं होगी अगर इस सदन के सरकारी पक्ष के सदस्य, सम्मानित

सदस्य यह कह दें कि हम जनतंत्र आदि कुछ नहीं मानते। जनतंत्र का नाम लेते रहेंगे और डिक्टेटोरिअल (तानाशाही) तरीक़े से काम करते रहेंगे, तब तो मुझे कोई विरोध ही नहीं है। मैं समझ जाऊंगा कि सरकार की यही मनोवृत्ति है और सरकारी पक्ष के सम्मानित सदस्यों की यही मनोवृत्ति है कि सरकारी पक्ष से जो विधेयक पेश हों उसमें उसी तरह का संशोधन पेश करें तब मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं होगी। हमारी आपत्ति तो तब बढ़ जाती है जब कि एक बात में क्वानटिटेटिव (मात्र भेद) से और क्वालिटिव चेंज (गुण भेद) हो जाता है, मात्रा भेद से गुण भेद हो जाता है। उस समय जब हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से और सरकारी पक्ष के सम्मानित सदस्यों की तरफ से भी एक ही तरह की बात कही जाती है, उसी तरह का संशोधन पेश किया जाता है तो हमारी आपत्ति बढ़ जाती है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वे बराबर जनतंत्र की बातें कहा करते हैं और अभी अभी जब वे लखनऊ आये थे तो उन्होंने समाचार पत्रों में यह बयान दिया कि डिसेंट्रालाइजेशन आफ पोलिटिकल पावर होना चाहिये (शक्ति का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये)।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आन ए प्वाइंट आफ़ आर्डर, सर। मेरी प्रार्थना है कि माननीय सदस्य नियत बिल पर ही बोलें। कांग्रेस प्रेसिडेंट की बातें या दुनिया भर की और बातें ये सब फाजिल चीजें हैं।

अध्यिष्ठाता—आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री राजनारायण—प्वाइंट आफ आर्डर कब उठाना चाहिये। खैर, जो रूल्स हैं, रूल्स के मुताबिक़ जो संशोधन स्वीकृत हो चुके हैं उन्हीं संशोधन के बारे में आज हमें बोलने का अधिकार मिला है। इसके पहले इस सदन को यह अधिकार था कि थर्ड रीडिंग के समय पूरे बिल पर डिस्कशन (बहस) होता था लेकिन अब चूंकि नया नियम बन गया है और उसके मुताबिक़ हम उन अमेंडमेंट्स के बारे में ही जो कि स्वीकृत हो चुके हैं थर्ड रीडिंग में भी बोल सकते हैं, मैं अपने माननीय मित्र श्री शिवनारायण जी की सेवा में विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस नियम को मद्देनजर रखते हुये ही मैं इन्ही संशोधनों पर बोल रहा हूं। अभी तो चार संशोधन और बाक़ी हैं, अभी बैठे रहिये।

तो मैं यह कह रहा था कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस तरह के बयानात निकाला करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन आफ पोलिटिकल पावर (राज्यशक्ति का विकेन्द्रीय करण) होना चाहिये तो मैं पूछ सकता हूं सदन के सम्मानित माननीय सदस्यों से कि क्या डिसेंट्रलाइजेशन आफ़ पोलिटिकल पावर के यही माने हैं कि सस्पेंशन (मुअत्तल) पीरियड (समय) को बढ़ा कर उसे सुरक्षित किया जायेगा ? मैं समझता हूं कि डिसेंट्रलाइजेशन आफ पोलिटिकल पावर के यह माने नहीं हैं। डिसेंट्रलाइजेशन आफ पोलिटिकल पावर के माने होते हैं कि वही जनता, वही एलेक्टोरेट जो कि प्रतिनिधियों को चुनते हैं, कमेटी का निर्माण करते हैं, उसी की इच्छा शक्ति से, पापुलर विल से जो सदस्य या सभापति हो उसी को नई कमेटी के बनाने का अधिकार होना चाहिये। मगर कार्य को सुचारु रूप से संचालन करने के लिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पुनः आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सफाई के साथ इस सदन में बातें कहें कि आया कांग्रेस पार्टी की ओर से समय समय पर, बार बार डिसेंट्रलाइजेशन आफ पोलिटिकल पावर, सेकुलर स्टेट की बात कही जाती है तो वे डिसेंट्रलाइजेशन आफ पोलिटिकल पावर की बात को विधेयक में कोई स्थान क्यों नहीं देते हैं। जब हम कहते हैं कि जो जाति-पांति का सवाल है, वह नहीं उठना चाहिये या राज काज में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं लेना चाहिए तो भी तो सरकारी पार्टी की ओर से उसका विरोध होता है और अभी इसी लखनऊ के अन्दर एक दो दिन पहले माननीय पंडित जवाहर लाल ने बड़े जोर का गर्जन किया कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का कार्य कुछ भ्रम पैदा करना है।

अध्यिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य से कहना चाहती हूं कि वे कृपया संशोधन के अन्दर ही अपने को सीमित रखें।

श्री राजनारायण—शिरोधार्य। और इसी संशोधन के अन्दर कमेटियों के सुपरसेशन का अधिकार इस सरकार के हाथ में दिया जा रहा है और केवल अधिकार ही नहीं दिया जा रहा है बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि जब कोई कमेटी दिनांक १ जनवरी, १९५३ को अवक्रांत दशा में हो और इसका अवक्रमण उक्त दिनांक से छः महीने के भीतर किसी भी दिनांक पर अवक्रांत होने को हो तो धारा ३६ की उपधारा (१) में अथवा उस के अन्तर्गत प्रदत्त आदेश में उल्लिखित किसी भी बात के होते हुये भी उसके अवक्रमण की अवधि तब तक के लिये बढ़ जायगी जब तक कि मूल अधिनियम के, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित हुआ है उपबंधों के अनुसार नयी कमेटी पुनः संगठित न हो जाय। मैं माननीय मंत्री जी और इस सदन के सम्मानित सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जो यह संशोधन स्वीकार किया गया है सरकार की ओर से उसके मानी क्या हैं? यह सफाई होनी चाहिये। अभी दो दिन पहले मुझे एक चर्चा सुनाई पड़ी म्युनिसिपल बोर्ड के संबंध में कि शायद माननीय मंत्री जी की यह इच्छा है कि जो सुपरसीडेड म्युनिसिपैलिटीज जब्त म्युनिसिपल बोर्ड हैं उस समय भी उनका चुनाव न हो। (एक आवाज.....म्युनिसिपैलिटीज का प्रश्न इस समय कहां है?) जब्त म्युनिसिपल बोर्ड यह टाउन एरिया का जो प्रश्न है वह जितनी स्थानीय संस्थायें हैं उनसे संबंधित हैं और बार बार सरकार की तरफ से जो म्युनिसिपल बोर्ड्स में बातें स्वीकार की गईं थीं वही इसमें भी मान ली गई और स्थानीय शासन की संस्थाओं में कोई फर्क नहीं है और इसी लिये मैं सरकार की मनोवृत्ति का उद्घाटन करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि सरकार क्या करने जा रही है और अगर हमको कोई गलत सूचना है तो सरकार का फर्ज है कि वह उनको सुधारे। माननीय मंत्री जी बतावें कि क्या सुपरसीडेड म्युनिसिपल बोर्डस का जब नया आम चुनाव होगा तो उनका भी चुनाव होगा। एक सीधा सादा सवाल है। हमें जो अफवाह सुन पड़ी और माननीय मंत्री जी का आगरा म्युनिसिपैलिटीज के सवाल को लेते हुये किसी अखबार में ऐसा बयान निकाला है। वहां ८ वर्ष से म्युनिसिपैलिटीज सुपरसीडेड हैं। क्या ऐसा कि जब जनरल चुनाव होगा तो शायद सरकार के दिमाग में यह बात चल रही है कि नये चुनाव में भी इनका चुनाव न हो। क्या टाउन एरिया के चुनाव के अन्दर सुपरसीडेड टाउन एरियाज़ के पीरियड बढ़ाये जा रहे हैं तो यह उसी मनोवृत्ति का द्योतक नहीं है। क्या यह उसी ख्याल से नहीं बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों अनियंत्रित तरीके से पीरियड (समय) को बढ़ाते जा रहे हैं इस बात की सफाई होनी चाहिये। और वह सफाई यह है कि जब एक नई कमेटी हो जाय इसको आखिरी लाइन पढ़िये जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित हुआ है, उपबंधों के अनुसार नयी कमेटी पुनः संगठित न हो जाय। यह विधेयक की धारा पास हुई है। अगर नई कमेटी इसके बाद सुपरसीडेड होती है और फिर सुपरसीडेड कमेटी का चुनाव आम चुनाव के समय नहीं होता है तो क्या होगा? या माननीय मंत्री जी के शब्दों में जब गरमी ठंढी हो जायगी। पता नहीं है कि सरकार की गर्मी कितने समय में ठंढी हो जायगी। इसका पता नहीं है और माननीय मंत्री जी ने इसका भी निर्णय हमारे ऊपर छोड़ दिया था और कहा था कि राजनारायण जी जब जेल में बाहर सोते थे उस समय गरमी और जब भीतर जाते थे तो सरदी। मैं तो अक्तूबर के महीने तक बाहर सोता हूं। तो क्या उस समय सरकार की गरमी ठंडी होगी? किस समय सरकार की गरमी ठंढी होगी इसको माननीय मंत्री जी को साफ करना चाहिये। विधेयक गोलमोल शब्दों का स्वांग नहीं होना चाहिये और गोलमाल शब्दों में रख कर शब्दाम्बर में सम्मानित सदन के समय को नष्ट किया जाय यह इस सरकार की आदत सी पड़ गई है। बारबार यह निवेदन किया गया है कि जब विधेयक लाया जाय तब उस विधेयक पर दिमाग खर्च किया जाय। उसको अधिकसुसंयमित और अधिक सुसंगठित किया जाय और उससे जो भ्रम और उसमें जो दोष पैदा होते हैं उनको दूर किया जाय। यह नहीं कि कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। कुछ जनतंत्र से लिया कुछ डिमोक्रेसी से लिया और कुछ डिक्टेटरशिप से जोड़ा कुछ चीन से लिया, कुछ रशा से लिया, कुछ अमरीका से लिया और कुछ इंग्लैण्ड से लिया, भारतीय प्राण और भारतीय आत्मा की बराबर चर्चा करते हैं लेकिन कहीं का हाड़, कहीं की मज्जा कहीं का मांस और बस एक बकचोथों का मुरब्बा बना हुआ है।

तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह विधेयक वह बकचोंचों का मुरब्बा होने जा रहा है या सही मानी में सरकार चाहती है कि इस विधेयक को इस तरीके से रखे जिससे जनता के हाथ में पूरी ताकत जाय। और अगर जनता के हाथ में पूरी ताकत देनी है तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा और सादर सानुग्रह निवेदन करूंगा कि इन धाराओं को पढ़ कर हमें समझा दें कि इस धारा से जनतंत्र की कौन सी बात साबित होती है। हमें बड़ी खुशी हुई, हमारे इस सम्मानित सदन के अन्दर एक विचारशील मंत्री जी (श्री चन्द्रभानु गुप्त) उपस्थित हो गये हैं और मेरी तो मुसीबत तब होती है जब मैं देखता हूं कि कैबिनेट के सदस्य यहां नहीं हैं उनको रहना चाहिये ताकि वह कैबिनेट के सदस्यगण उस पर कैबिनेट में विचार तो करें। वरना इतनी बातें बतलायी जा चुकी हैं फिर भी उन्हीं खामियों को इस विधेयक में रखा जाता है। एक विधेयक में जो प्रतिक्रिया-वादी कमी रह गयी थी उसको बैकडोर (पीछे दरवाजा) से संशोधन के जरिये मानने पर तुल गये और बड़ी व्यापकता और गम्भीरता के साथ मान लिया। तो मैं माननीय मंत्री जी से निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में कितनी टाउन एरियाज ऐसी हैं जो कि पहली जनवरी के बाद तक उनका सुपरसेशन का रहता है। सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस तरीके से डैमोक्रेसी कैसे चलती है। इस तरीके से सरकर और अपोजीशन (विरोधी पक्ष) कभी अपने फर्ज को कैसे पूरा कर सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि आज तीसरे वाचन के समय माननीय मंत्री जी हठवादिता का परिचय न दें। वह बतायें कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी टाउन एरियाज़ ऐसे हैं जो कि पहली जनवरी के बाद तक सुपरसीड रहेंगी और कितनी टाउन एरियाज़ कितने समय तक सुपरसीड रहेंगी और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि गरमी के पहले चुनाव होगा तो उस समय कितनी कमेटियों का चुनाव हो पायेगा और कितनी कमेटियों का चुनाव नहीं हो पायेगा। कितने के काल को कितना बढ़ा रहे हैं और जब तक कि यह विधेयक नहीं पास होता तो मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर भी रखना चाहता हूं इस सिलसिले में। हमारे रूल्स के मुताबिक अगर कोई धारा है तो उससे संबंधित जो कागजात मैंने मांगे हैं सरकार का फर्ज है कि वह उन कागजात को पेश करे और अगर सरकार उन कागजात को पेश नहीं करती है तो मैं समझता हूं कि इस सदन का अपमान होता है और हमारे विचार पर अंकुश लगाया जाता है। इसलिये इस वैधानिक आपत्ति को सामने रखते हुये मैं चेयर से अपील करता हूं कि इस विधेयक को यहीं पर स्थगित रखें जब तक कि जितने संबंधित कागजात हमने मांगे हैं हमें न मिल जायं। इस पर मैं पहले चेयर की व्यवस्था चाहूंगा। यह जो संशोधन है इस संशोधन से संबंधित विधेयक जो अधिनियम बनने जा रहा है, उसके संबंध में जो कागजात हम मांग रहे हैं अगर वे कागजात हमारे सामने नहीं रखे जाते तो क्या यह सदन इस विधेयक को कानून का रूप देने के लिये प्रस्तुत है? पहले हमारा यह प्वाइंट आफ आर्डर है, उसके बाद में फिर निवेदन करूंगा।

श्री मोहनलाल गौतम—कौन से कागजात ?

श्री राजनारायण—पहली जनवरी के बाद तक उत्तर प्रदेश में कितनी टाउन एरियाज़ हैं कितने का कितना सुपरसेशन का काल रहता है और ऐसे कितने टैक्सेज़ टाउन एरिया कमेटी के ज़रिये से लगाये गये हैं जिनके बारे में टाउन एरिया के अन्दर रहने वाली जनता ने आपत्ति की है क्योंकि यह जो १२ (क) जो मूल अधिनियम की धारा है उसमें संशोधन हो रहा है कि वे तमाम कर जो लिये गये हैं लगाये गये हैं, और आगे के लिये निर्धारित किये गये हैं चाहे वह सही हों या गलत राग-द्वेष से लगाये गये हैं या नहीं वे तमाम कर वैध ही रहे हैं। तो मैं चेयर की रूलिंग नहीं इस पर चाहता हूं कि जबतक कि हमारे सामने वे तमाम कागजात प्रस्तुत नहीं किये जाते तब तक इसकी कार्यवाही यहां पर स्थगित होनी चाहिये।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (ज़िला कानपुर)—मैं इस प्वाइंट आफ आर्डर पर प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ करता हूं कि क्या इससे यह सवालात उठ सकते हैं?

श्री कालीचरण टंडन (जिला फ़रख़ाबाद)—सभा नेत्री महोदया, यह प्रश्न तो इस वक्त तृतीय वाचन पर बहस का था। अभी द्वितीय वाचन से पहले जो धारा स्वीकृत हो चुकी है उस पर अब माननीय विरोधी दल के नेताजी प्वाइंट आफ आर्डर करके आपकी रूलिंग चाहते हैं। यह तो बिलकुल अवैधानिक आपत्ति है और इस पर कोई ग़ौर न करके तृतीय वाचन की कार्यवाही सम्पन्न होनी चाहिये।

अधिष्ठाता—आप असेम्बली रूल संख्या ९६ देखिये।

"विधेयक से सम्बद्ध पत्र मांगने की शक्ति—

जब यह प्रताव कि विधेयक पर विचार किया जाय स्वीकृत हो जाय तो कोई भी सदस्य यह मांग कर सकता है कि ऐसे पत्रों की प्रतियां यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों सदन की मेज पर रख दी जायं।"

जिस समय यह विधेयक प्रस्तुत हुआ उस समय तो माननीय सदस्य को अधिकार था कि इसके विषय में जितने भी कागजात वह मांग सकें मांग सकते थे। इस वक्त तो थर्ड रीडिंग हो रही है, इसलिये इस वक्त सदस्य को अधिकार नहीं है।

श्री राजनारायण—चेयर की रूलिंग के सामने नतमस्तक होते हुये भी माननीय मंत्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि अब तो अधिकार उन्हीं को रह गया है।

श्री मोहनलाल गौतम—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर मुझे यह कहना है कि उनको अधिकार प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज़ करने का था और कोई चीज़ ऐसी बीच में नहीं आई जब से उन्होंने शुरू किया और १५/२० मिनट वह बोले, तो अगर उनको कोई प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ करना था तो पहले शुरू में ही रेज़ कर सकते थे और उसका फैसला सुनने के बाद अपनी स्पीच शुरू करते। लेकिन स्पीच करके फिर बैठ जाना और प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ करने के बाद फिर शुरू करना यह ठीक है या नहीं, यह मैं पूछना चाहता हूं। वह तो अपनी तकरीर खत्म कर चुके।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—श्रीमती जी माननीय मंत्री जी के प्वाइंट आफ आर्डर का प्रश्न ही नहीं उठता जब आप ने आज्ञा दे दी और उनका भाषण हो रहा है।

अधिष्ठाता—मैं समझती हूं, भाषण समाप्त करने के बाद आपने प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ किया था?

श्री राजनारायण—जी नहीं। मैंने आपसे निवेदन किया था कि जिस समय प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ कर रहा था। प्वाइंट आर्डर में दो बातें होती हैं। प्वाइंट आफ़ आर्डर एक वैधानिक आपत्ति है। वैधानिक आपत्ति जब भी, जिस समय भी हो उसी समय की जा सकती है। अगर मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस होती तो मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी की खिदमत में पेश करता और बहुत से उदाहरण रखता कि जब भी वैधानिक आपत्ति सामने आती है तो वह उठ सकती है। उठ जाने के बाद जब तक चेयर की रूलिंग उस पर न हो जाय तब तक भाषण की प्रक्रिया या क्रम नहीं चल सकता। हमने पहले ही माननीय मंत्री जी के भ्रम के निवार्णार्थ यह निवेदन कर दिया था कि प्वाइंट आफ आर्डर हम उठा रहे हैं। इस पर चेयर की जो रूलिंग हो जायगी वह हमको मान्य होते हुये फिर हम भाषण के क्रम को जारी रखेंगे।

अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य से कहना चाहती हूं कि वह पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री राजनारायण—अब माननीय मंत्री जी का भ्रम दूर हो गया होगा वैधानिकता के बारे में। अब उसके बाद मैं उनकी जानकारी के लिये कह देना चाहता हूं कि प्वाइंट आफ आर्डर कब कब उठते हैं, कैसे कैसे उठते हैं वह मैं नोट करके उनके पास भेज दूंगा।

मैं यहां पर निवेदन कर रहा था कि माननीय मंत्री जी यह बतावें कि टाउन एरिया कमेटी ऐसी कितनी हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जिनका पहली जनवरी के बाद तक सुपरसेशन का पीरियड चलता है। और कितने कितने समय तक चलता है। मुझे अफसोस है सद् अफसोस है कि माननीय मंत्री जी ने हमारे सामने वह आंकड़े नहीं रखे। अब तक जब कि उन्होंने आंकड़े नहीं रखे तो जो हमारी तार्किक और जो यहां पर बौद्धिक तरीके से और जो आज जनतंत्र की कसौटी है उस कसौटी पर हम लोग कसते हैं तो हम देखते हैं कि यह संशोधन जो सरकार के ज़रिये स्वीकार किया गया है इस संशोधन को स्वीकार कर लेने से इस विधेयक के अन्दर जो थोड़े से गुण भी उत्पन्न हो रहे थे वह भी अवगुण में परिणत हो गये, वह भी दोष में परिणत हो गये। अब मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही निवेदन करके बैठना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वतः इन दोनों संशोधनों के ऊपर विचार करें और इस सदन के ऊपर और टाउन एरियाज़ में रहने वाली जनता के ऊपर कृपा करके इन संशोधनों को अब भी निकालने की उदारता दिखावें।

श्री मलखान सिंह—माननीय प्रेसीडेंट महोदया, मैं आपकी आज्ञा से जो अधिनियम का तीसारा वाचन चल रहा है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और जो संशोधन अभी जिनका जिक्र साथी राजनारायण जी ने किया उन संशोधनों को जिस तरह से बैकडोर से लाया गया है उसकी भी एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। यह ५ तारीख का जो प्रोग्राम हमारे सामने कल दिया गया था उसमें ८७-क, या ९० और ९१ कहीं भी ठाकुर शिवदान सिंह जी के नाम से कहीं भी नहीं दिया हुआ है। मैं उन सदस्यों को बताना चाहता हूं जो उधर बैठे हुये हैं और जिनके ऊपर रोज अंकुश यह लगाया जा रहा है कि जरा ईमानदारी से काम करिये जरा आप अपना मारल पतन इतनी जल्दी से न होने दीजिये। मैं उनसे उनकी आत्मा पर अपना हाथ रखकर के पूछना चाहता हूं कि यह जो कल तक इस कागज में नहीं था वह ८७-क, ९० और ९१ ठाकुर शिवदान सिंह के नाम से जो आया ६ तारीख में लिया गया है। वह ३६ घंटे पहले होना चाहिये था जो नहीं है। यह मेरे सामने आज ५ तारीख का कागज मौजूद है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह जो संशोधन लिये गये हैं कि जिनमें यह भी कहा गया है कि अदालत में भी अगर कोई केस चल रहा हो पहले से तो वह भी सब डिस्मिस कर दिया जाय और वह सब जो नाजायज़ हैं जायज़ कर दिया जाय, मैं पूछना चाहूंगा हुं उधर बैठे हुये सदस्यों से कि कभी आपसे जो संशोधन स्वीकार किया है माननीय मंत्री ने उसकी राय ली है। क्या आपकी राय ली है। मैं समझता हूं कि आपकी कभी राय नहीं ली और अगर आपसे राय ली जाती तो मैं कहना चाहता हूं कि आप कभी भी राय नहीं दे सकते। तो जब इस तरह की बात थी और आप यहां इतने दिनों से आये हुये हैं और यह माननीय मंत्री महोदय ने भी कहा कि जो कोई भी विरोध की बात हो.....

अधिष्ठाता—मैं यह बता देना चाहती हूं कि इसकी सूचना दफ्तर में काफी दिन पहले से आ गई थी परन्तु यह था कि यह हिन्दी में छापा जाय या अंग्रेजी में इसलिये यह छपा नहीं होगा।

श्री मलखान सिंह—छपा नहीं होगा। तो कम से कम हमको तो इत्तिला नहीं है। ५ तारीख को सदन के सदस्य जिनके सामने कार्यवाही खत्म हुई और अगर कल ही यह विधेयक पास हो जाता जैसी कि कोशिश की गई थी तो फिर यह संशोधन कहां से और कैसे आता। इसलिये मुझे पूरा हक है इस बात को कहने का कि यह बिल्कुल एक अंधेरे में लाकर के हमारे सामने पेश किये गये। मेरा यह दावा है और मैं सही कह रहा हूं इस बात को मैं यही कह रहा था कि यह जो संशोधन ८७(क), ९० और ९१ पर आज लाये गये हैं और जिनको माननीय मंत्री ने बड़ी तत्परता से स्वीकृत कर लिया है, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात के लिये और मुझे इससे बड़ी ठेस पहुंचती है। इससे मेरी या मेरी पार्टी की कोई खास हानि नहीं हुई है। मैं कहूंगा कि माननीय मंत्री जी के प्रति जो मेरे मन में प्रतिष्ठा

[श्री मलखान सिंह]

थी उसी में अन्तर पड़ा है । उस विरोधी दल के सदस्यों के प्रति जो मान और प्रतिष्ठा थी उस में भी मेरे हृदय के अन्दर धक्का पहुंचा है, उसमें भी अन्तर पड़ा है क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे वोट दिया, हर बात में "हां" कह दिया और हर बात में "न" कह दिया। यह बात मैं जानता हूं कि आपका बहुमत इतना अधिक है कि आप किसी कानून को पास करा सकते हैं। हम इस पाशविक बल को स्वीकार करते हैं। अगर आप इस तरह के पाशविक बल से बहुमत के ज़रिये कोई कानून बनाना चाहें तो ठीक है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आप न्याय की दोहाई न दें। मैं कहूंगा कि अलीगढ़ ज़िले के एक प्रतिनिधि और अलीगढ़ के हमारे माननीय मंत्री को अलीगढ़ ज़िले की प्रतिष्ठा रखनी चाहिये थी। मान मर्यादा रखनी चाहिये थी किन्तु मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन कार्यों से अलीगढ़ ज़िले में कांग्रेस दल की मान मर्यादा बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी । इसका मैं चैलेंज देता हूं कि इस तरह के जो विरोधी नियम आपने बनाये हैं इन नियमों का पालन कम से कम अलीगढ़ जिले के किसी भी टाउन एरिया में मैं नहीं होने दूंगा। इस लिये मैं इन का घोर विरोध करता हूं।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय चेयरमैन साहिबा, बहुत अफसोस, सदअफसोस कहा गया है कि यह नहीं बताया गया कि कौन कौन से टाउन एरिया सुपरसीड हुये। उसके बताये न जाने पर कैसे हम अपनी राय दें, मुझे अफसोस और सद अफसोस यही है कि जब गजट में यह चीजें छपती हैं तो माननीय सदस्य पढ़ने की कृपा नहीं करते। जो भी टाउन एरिया सुपरसीड हुआ है उसका गजट हुआ है और उसकी इन्फार्मेशन न मिलने पर अफसोस और सद अफसोस कहा गया ।

श्री राजनारायण—तो आप बता दीजिये ।

श्री मोहनलाल गौतम—जब माननीय सदस्यों के पास गजट जाते हैं तो उन्हें कृपया देख लेना चाहिये कि उनमें क्या क्या है ।

श्री राजनारायण—आप ही बताइये, आप को भी तो पता नहीं है ।

श्री मोहनलाल गौतम—मेरा यह कर्त्तव्य अवश्य है कि विधेयक के लिये जो इन्फार्मेशन छपी हुई न हो उसको मैं बताऊं। छपी हुई इन्फार्मेशन को भी अगर माननीय सदस्य मांगना चाहें तो बगैर अफसोस के मांग सकते हैं और मैं देने की बात कर सकता हूं । इस समय इस प्रदेश में २६५ टाउन एरियाज़ हैं। उनमें से ९ सुपरसीडेड हैं । मेरी मुसीबत तो यह है कि जब मैं कहता हूं तब माननीय सदस्य यहां सुनते नहीं हैं और बाद में दोहराते रहते हैं । मैं इसी सदन के अन्दर कह चुका हूं कि ९ में से केवल एक कोपागंज टाउन एरिया ऐसी है जिसकी मियाद जून से पहले समाप्त होगी ।

और जो यह बात आई है वह केवल कोपागंज टाउन एरिया की मियाद बढ़ाने के लिये है ताकि सब टाउन एरियाज़ का एलेक्शन साथ साथ हो और जितने भी सुपरसीडेड टाउन एरियाज़ हैं, ९ हैं २६५ में, उन सब का चुनाव एक साथ होगा । एक साहब कहते हैं कि जब हो गया तो फरवरी में क्यों नहीं करा देते। क्या बताया जाय, कैसे करा दिया जाय। आप रूल्स रेगुलेशन देखिये। आप यह तय करते हैं कि एलेक्टोरल रोल वह होगा जो असेम्बली का है। अभी टाउन एरियाज के वार्ड् बनाने हैं यह तय करना है कि एक टाउन एरिया में कितने मेम्बर्स होंगे, एक एक वार्ड्स में कितने मेम्बर्स चुने जायंगे, उन वार्ड्स के एलेक्टोरल रोल्स छपेंगे, ये सब काम करने हैं और कोई साहब बड़े हल्के ढंग से कह देते हैं कि फरवरी में क्यों नहीं करा देते। इन सब के लिये समय चाहिये और इन तमाम रूल्स को अगर स्ट्रिक्टली फालो किया जाय तो उसमें कुछ समय लगेगा । बारबार कहने के बावजूद भी हमला डेमोक्रेसी पर, नियत पर, इस पर और उस पर होता है। उस सब

के बारे में तो मैं यहां कहना नहीं चाहता क्योंकि ऐसा मालूम होता है कि जो गर्मी थी वह बाद में ठंडी हो गयी। इसलिये मैं गर्मी सर्दी के सवाल में तो पड़ना नहीं चाहता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जरा इर्रेगुलर टैक्सेज के बारे में बता दीजिये।

श्री मोहनलाल गौतम—अब इर्रेगुलर टैक्सेज के बारे में गोरखपुर में एक टाउन एरिया ने यूज़ आफ पब्लिक हाउसेज, यूज़ आफ पब्लिक लेन्स, स्ट्रीट्स वगैरह पर टैक्स लगा दिया इसको सिविल जज गोरखपुर ने ग़लतडिक्लेयर किया तो केवल गोरखपुर के टाउन एरिया का सवाल है और कहीं का नहीं है। अब अगर यह चाहें कि टाउन एरिया ने जो कलेक्ट किया है वह सब वापिस हो तो उनकी शक्ति नहीं है। सिसवाबाजार में अकेले ५० हजार रुपये वापस करने पड़ेंगे। इस लिये यह जो अमेंडमेंट है वह एक टाउन एरिया के कुछ टैक्सेज के लिये है। लेकिन मिसाले दी जाती हैं कि किसी को ५ रुपया है, किसी को ५०० रुपया है इंडिविजुअल असेसमेंट का सवाल यहां नहीं है।

श्री मलखान सिंह—इसमें कहीं लिखा नहीं है कि किसके लिये है।

श्री मोहनलाल गौतम—मैं समझता हूं कि उसको पढ़ने की जरूरत है और उसमें इंडविजुअल टैक्सेज का सवाल बिलकुल नहीं है। इंडिविजुअल केस जो है उसका मुकदमा हो सकता है और एक आदमी जिस पर ५०० रुपये लगे हुये हैं वह अदालत में जा सकता है। अब इसमें कांग्रेस, डेमोक्रेसी या ईमानदारी कहां से आ गई। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि टाउन एरिया को अधिकार हो, सरकार दखल न दे, रिमूव न करे किसी को और दूसरी तरफ वह जो ग़लती करें उसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। ये लोकल बाडीज एलेक्टेड हैं। वे गलतियां भी करेंगी, आप उनको दुरुस्त कीजिये। लेकिन हर ग़लती की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं लादी जा सकती। इसलिये यह जो टैक्सेज वाला सवाल है वह उन कैटेगोरीज में नहीं है। और मैं एक बात का विश्वास दिलाता हूं ताकि उनके दिल में जो मेरा मान कम हुआ है वह शायद है कि फिर दोबारा कुछ ठीक हो जाय, इसलिये मैं ठाकुर मलखान सिंह साहब को यह विश्वास दिलाता हूं कि अलीगढ़ जिले में जो बिसवां टाउम एरिया है वह कम से कम मेरे दिमाग में नहीं था। उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है।

अलीगढ़ जिले में कोई टाउन एरिया ऐसा नहीं है जिस पर इन दोनों क्लाजेज का असर पड़ता हो। मैं बहुत साफ कह देना चाहता हूं बहुत सी और बातें हैं उन सबका यहां पर मैं जिक्र करना नहीं चाहता हूं और अंधेरे में लाकर जो कहा गया तो वह तो विश्वास था कि बुद्धिमान लोग हैं जो जल्दी से छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं और छोटी छोटी बातें थीं। लेकिन बहुमत को पाशविक बल कहना, यह एक डेमोक्रेट के मुंह से शोभा देता है या नहीं, यह सवाल है। जनता ने जिसको बहुमत दिया है उसको पाशविक बल कहने वाला डेमोक्रेट नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं कि वह अपनी डेमोक्रेसी को दूसरी परिभाषा को बदलें और जनता ने जिसको मैजारिटी में चुना है उसके सामने अपना सर झुकायें और अपनी दूसरी परिभाषा का अपनी अनभिज्ञता के कारण यहां पर वर्णन न करें इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को सदन के सामने पारित होने के लिये सिफ़ारिश करता हूं।

श्री मलखान सिंह—मैं एक सूचना चाहता हूं कि यह ९० नम्बर का जो संशोधन है वह भी क्या आपके पास ३६ घंटे पहले आफिस में आ गया था। इसका मुझे सही सही मालूम है। इस लिये इसका सही समय बतायेंगे।

अधिष्ठाता—जी, पहले से आ गया था।

श्री मलखान सिंह—कब ?

अधिष्ठाता—३६ घंटे पहले आ गया था।

श्री मलखान सिंह—किस तारीख को, कब और किस समय यह आ गया था ?

अधिष्ठाता—आपको समय बतला देंगे।

श्री राजनारायण—आज तक ३६ घंटे पहले आया था।

अधिष्ठाता—३० तारीख को आ गया था।

(कुछ ठहरकर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०, जैसा कि वह संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ६ बजकर २० मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
६ जनवरी, १९५३

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७ पर)

युद्धोत्तरकालीन योजना के प्रथम चरण में, बनारस जिले की बनारस व चन्दौली तहसीलों में ली गई नयी पक्की व कच्ची सड़कें

नयी पक्की सड़क		
तहसील चन्दौली	चन्दौली सकलडीहा	२० मील ४ फ०
नयी कच्ची सड़कें		२१० फीट
तहसील बनारस	बनारस राजातालाब	१२ मील
	राजातालाब चौखंडी	५ मील
	राजातालाब बमहनियां	४ मील
	तमाचाबाद शकलपुर	६ मील
	अनेई बड़ागांव	६ मील
	अनेई हसनपुर	३ मील
	फूलपुर कठरांव	५ मील
	मंगारी चोलापुर	८ मील
	हराहू चौखंडी	७ मील
	चोलापुर चौबेपुर	६ मील
	मरुई फूलपुर	८ मील
	मुंडारी बेला	३ मील
		७३ मील
तहसील चन्दौली	बलुआ फीडर रोड	१ मील ४फ०
	धानापुर सकलडीहा	१० मील
	कमालपुर नया अमरा	६ मील
	चन्दौली धरौली	८ मील
		२५ मील ४ फर्लांग

उपर्युक्त सारी कच्ची सड़कें पहली अगस्त, १९५२, को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बनारस को रख रखाव के लिये लौटा देने का आदेश दिया गया है।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १५४ एल० ए० १९५३—८५०